निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

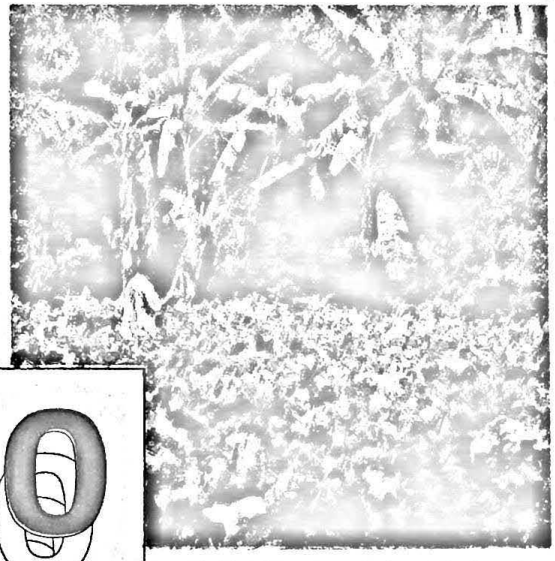

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1993-94

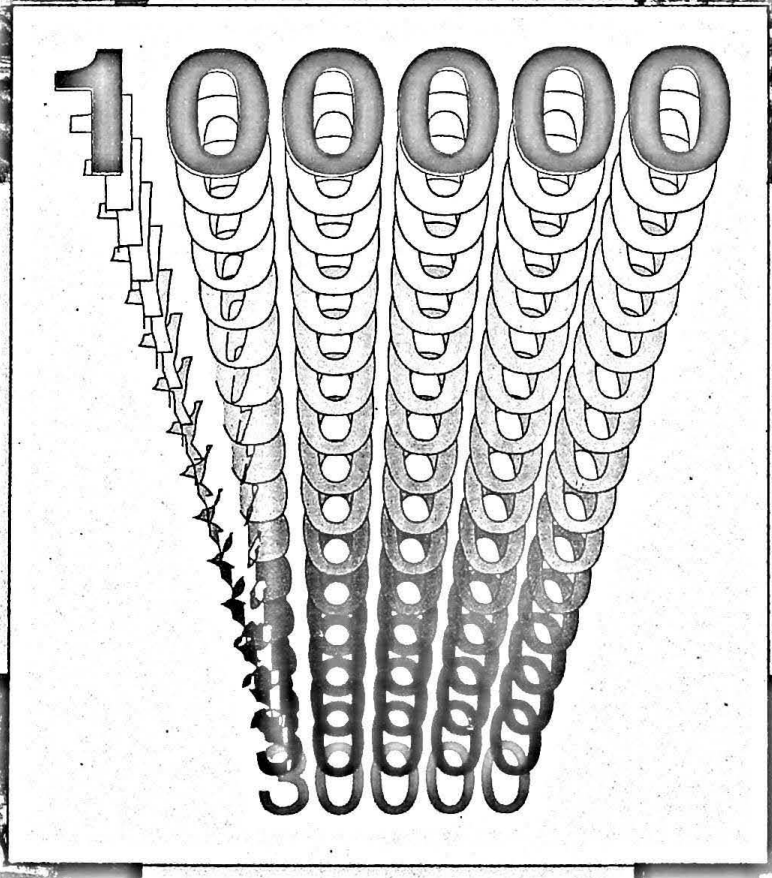

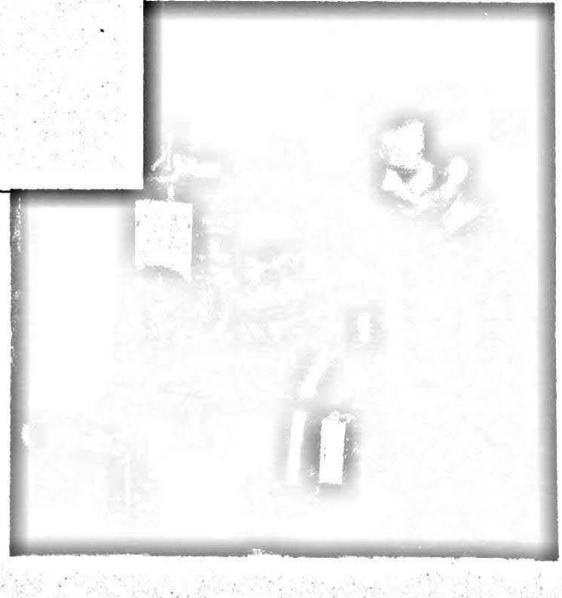

With Best Compliments from :

R. N. Verma
General Manager

DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION
New India Centre, 17, Cooperage Road, Bombay - 400 039.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,

17, कूपरेज रोड, बंबई–400039

निदेशक बोर्ड की 32 वीं वार्षिक रिपोर्ट,

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रेषण पत्र	iii और iv
2.	निदेशक बोर्ड	v
3.	संगठन तालिका	vi
4.	निगम के कार्यालय	vii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
6.	निगम का स्वरूप	ix
7.	विशिष्टता–प्रगति एक दृष्टि में	x
8.	निदेशकों की रिपोर्ट	1
9.	निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध	12
10.	तुलन–पत्र और लेखे	32
11.	कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा तालिका I से X (Charts I to X)	43

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई – 400039.

डीआइसीजीसी/81/06.02/015/94-95

29 जून 1994
8 आषाढ़ 1916 (शक)

सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
बंबई – 400023.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1993-94 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रति, और

(ii) 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

प्रेषण पत्र

(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400039.

डीआइसीजीसी/82/06.02/016/94-95

29 जून 1994
8 आषाढ़ 1916 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग),
"जीवनदीप", संसद मार्ग,
नयी दिल्ली - 110001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1993-94 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. तुलन पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

डी. आर. मेहता
उप–गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निदेशक
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

सुश्री आई. टी. वाज़ (3 मई 1994 तक)
एस. एन. राजदान (4 मई 1994 से)
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

सुश्री मोना शर्मा
संयुक्त निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(घ) के अंतर्गत नामित

एस. एच. खान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई

यू. महेश राव
प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बंबई

एन. पी. सारडा
सनदी लेखाकार, बंबई

पी. डब्ल्यू. रेगे
भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लि., बंबई
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नामित

एम. के. सिन्हा (20 दिसंबर 1993 से)
प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बंबई

गंगाधर गाडगिल
अर्थशास्त्री, बंबई

पी. एन. जोशी (14 जून 1993 से)
अध्यक्ष, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र

बी. राय (6 अगस्त 1993 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता

संगठन तालिका

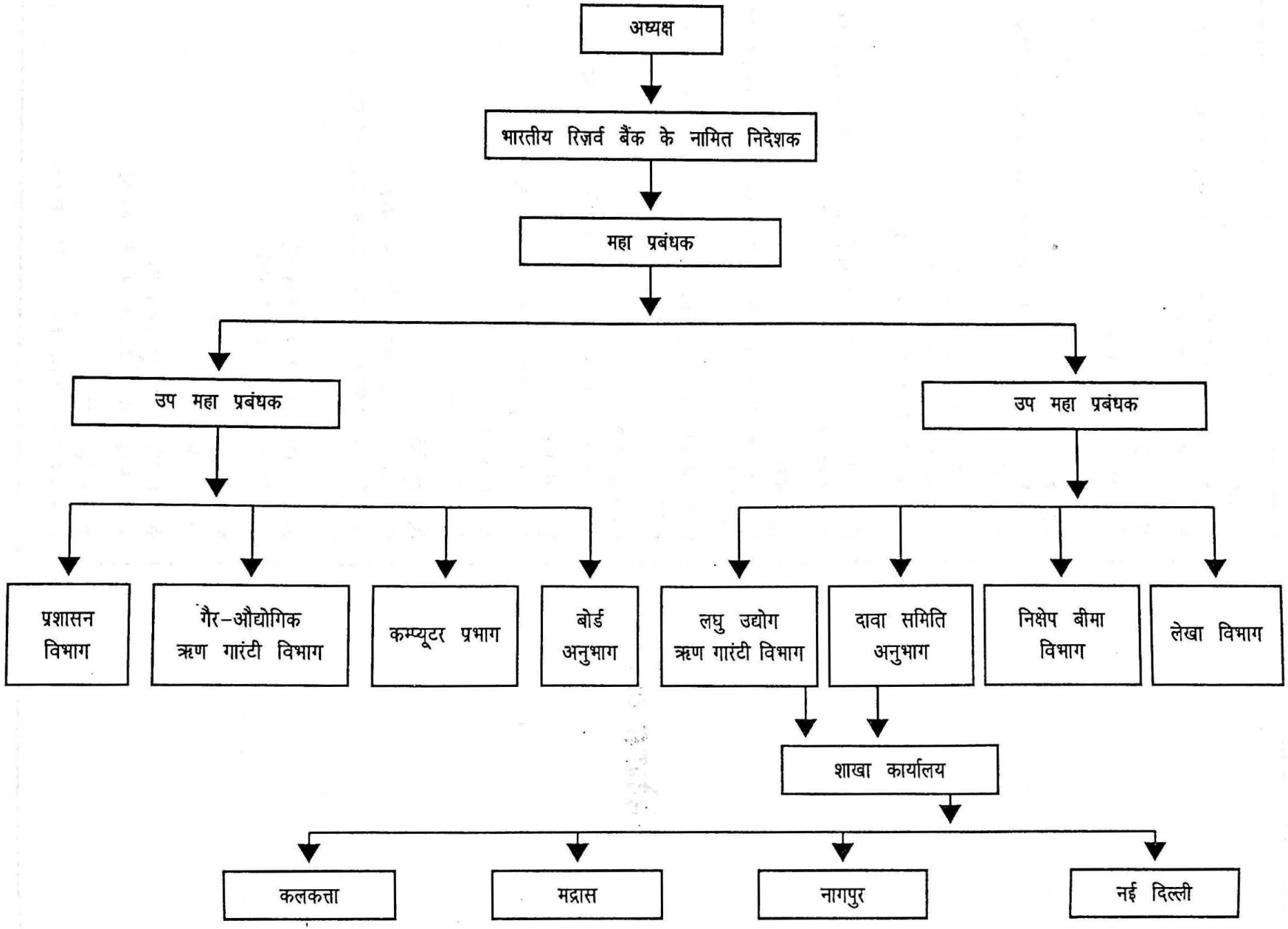
अध्यक्ष
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
महा प्रबंधक
उप महा प्रबंधक
उप महा प्रबंधक
प्रशासन विभाग
गैर–औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग
कम्प्यूटर प्रभाग
बोर्ड अनुभाग
लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग
दावा समिति अनुभाग
निक्षेप बीमा विभाग
लेखा विभाग
शाखा कार्यालय
कलकत्ता
मद्रास
नागपुर
नई दिल्ली

निगम के कार्यालय

		टेलीफोन संख्या	तार
प्रधान कार्यालय :	**न्यू इंडिया सेंटर, 4, 5, 6, 7 और 8 वीं मंजिल, 17, कूपरेज रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बंबई - 400039.**		"क्रेडिटगार्ड"
	महा प्रबंधक	2027323 (सी.ला.) 2020299	
	(i) उप महा प्रबंधक प्रशासन विभाग गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग कम्प्यूटर प्रभाग बोर्ड अनुभाग	2044876(सी.ला.) 2020299	
	(ii) उप महा प्रबंधक निक्षेप बीमा विभाग लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग लेखा विभाग	2022408 (सी.ला.) 2020299	
शाखाएँ :			
1) नागपुर	भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, हाइकोर्ट के समीप, नागपुर - 440001.	521406 (सी.ला.) 532321 532357	"क्रेडिटगार्ड"
2) कलकत्ता	8, कौउन्सिल हाऊस स्ट्रीट (पहली मंजिल), पोस्ट बॉक्स सं. 17, कलकत्ता - 700001.	2481154 (सी.ला.) 2486029	"डिसिन्गर"
3) मद्रास	कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021, मद्रास - 600108.	5341524 (सी.ला.) 5341239	"क्रेडिटगार्ड"
4) नयी दिल्ली	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नयी दिल्ली - 110001.	3716487 (सी.ला.) 3710538 से 42	"डिपॉज़िटिस

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

एस. के. कपूर (31 जुलाई 1994 तक)
आर. एन. वर्मा (1 अगस्त 1994 से)

उप महा प्रबंधक
डी. एन. प्रसाद
श्रीमती एस. एन. जोशी

मुख्य लेखाकार
ओ. पी. अरोड़ा

अन्य अधिकारी

प्रबंधक
जे. पी. शर्मा
सुश्री यू. एस. बनर्जी

सचिव
आर. जी. तावडे

शाखा प्रबंधक

नागपुर
एन. के. साहा (31 अगस्त 1993 तक)

मद्रास
टी. एम. नारायणन

कलकत्ता
एस. एस. गंगोपाध्याय

दिल्ली
एस. एस. सेठी

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
बंबई – 400003.

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरु की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एकही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने पहली अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरु किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं में उनकी सभी जमा राशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी समर्थन लघु ऋणकर्ताओं और लघु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध था। परंतु 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू है। तथापि अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, को गारंटी सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निदेशक बोर्ड द्वारा निगम का प्रबंध देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। महा प्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94
1. पूँजी	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50
2. निक्षेप बीमा										
i) निक्षेप बीमा निधि	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@
ii) बीमाकृत बैंक	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,922	1,931	1,990
iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,854	1,56,892	2,44,375	2,49,034
iv) बीमाकृत जमा राशियाँ	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,09,316	1,64,527	1,68,405
v) खाते (लाखों में)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,089	3,543	3,529
vi) पूर्णत: संरक्षित खाते (लाखों में)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	2983	3,395	3,497
vii) अदाकृत दावे	–	1	2	3	3	44	69	131	178	179
3. ऋण गारंटी										
i) ऋण गारंटी निधि	–	–	27	89	118	@	@	@	@	@
ii) गारंटीकृत अग्रिम										
(क) छोटे उधारकर्ता	–	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	27,692	24,444	26,348
(ख) लघु उद्योग	–	–	–	3,822	4,891	7,788	10,465	16,826	19,162	15,503
iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)										
(क) छोटे उधारकर्ता	–	–	9	25	62	255	364	505	883	1,168
(ख) लघु उद्योग	–	–	–	30	71	149	241	247	260	323
iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान)										
(क) छोटे उधारकर्ता	–	–	3	15	32	225	281	427	566	1,026
(ख) लघु उद्योग	–	–	–	27	47	122	177	260	243	288

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण तुलन-पत्र और आय व्यय लेखे के प्रारूप में संशोधन से 1987 से ऋण गारंटी निधि में वर्ष 1989-90 को छोड़कर हर वर्ष घाटा रहा है। निधि की कमी/अतिरिक्त को संबंधित वर्ष के निक्षेप बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले समायोजित किया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान ऋण गारंटी निधि में रु. 382.19 करोड़ का घाटा था। 31 मार्च 1994 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए रु.858.05 करोड़ की राशि देय थी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड एतद्द्वारा 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष की निगम की 32वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आर्थिक परिदृश्य

2. वर्ष 1993-94 के दौरान, मौद्रिक और ऋण विस्तार कारकों में व्यापक स्वरूप परिवर्तन हुए हैं। विदेशी मुद्रा रिज़र्व में अनेक कारणों से हुई भारी वृद्धि यद्यपि स्वागतयोग्य है परन्तु इससे प्राथमिक मुद्रा और मौद्रिक विकास में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी भी हुई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियाँ वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़कर रु. 45,243 करोड़ (16.8 प्रतिशत) हो गई जबकि वर्ष 1992-93 में ये रु. 37,813 करोड़ (16.4 प्रतिशत) थीं। वर्ष 1993-94 में खाद्यान्न की सरकारी खरीद में रिकार्ड स्तरीय वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य जमा तेजी से बढ़कर रु.4,164 करोड़ (61.8 प्रतिशत) हो गई। वर्ष 1993-94 के दौरान गैर खाद्य ऋणों में रु. 7,477 करोड़ (5.1 प्रतिशत) की गिरावट आयी जबकि 1992-93 में इनमें रु. 24,317 करोड़ (20.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 23 अप्रैल 1994 को मुद्रास्फीति की दर 11.2 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह दर 7.0 प्रतिशत थी।

प्रतिस्पर्धा, परिचालनात्मक दक्षता और वित्तीय क्षेत्र की पारदर्शिता में सुधार की दृष्टि से वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गई सुधार प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा गया। इससे बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार अपेक्षित है। आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान, प्रावधान आदि से संबंधित विवेकपूर्ण मापदंडों से बैंकों की निधियों पर दबाव बढ़ा है। अत: इनमें कुछ उदारता दी गयी है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने सरकारी बांडस् के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिस्सा पूँजी में योगदान करने की दृष्टि से वर्ष 1994-95 के बजट में रु. 5,600 करोड़ का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा बैंकों ने स्वयं अपनी गैर कार्यकारी आस्तियों को कम करने की दृष्टि से अतिदेय अग्रिमों को वसूल करने के अपने स्तर पर भी विशेष प्रयास किये हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान दावों की आवक अप्रत्याशित रूप से अधिक रही और इनके आँकड़े अब तक के वर्षों में सर्वाधिक रहे।

प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम जून 1992 के अंत में रु. 44,995 करोड़ थे जो जून 1993 के अंत में 6.3 प्रतिशत बढ़कर रु. 47,848 करोड़ हो गए। निवल बैंक जमा की तुलना में ऐसे ऋणों में 1992-93 में प्रगति हुई है। तथापि जून 1991 के अंत की इसकी 40.9 प्रतिशत की स्थिति जून 1992 के अंत में 39.3 और इसके पश्चात् जून 1993 के अंत में 35.9 प्रतिशत तक कम हुई जबकि निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत था। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम रु. 17,020 करोड़ (जून 1992) से बढ़कर जून 1993 के अंत में रु. 18,332 करोड़ हो गए परन्तु आलोच्य अवधि के दौरान निवल बैंक जमा में इसकी सहभागिता 14.9 प्रतिशत से घटकर 13.8 प्रतिशत हो गई। लघु उद्योग और दूसरे प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा जून 1992 के अंत में 15.5 और 7.7 प्रतिशत था जो जून 1993 के अंत में घटकर क्रमश: 14.1 और 7.1 प्रतिशत रह गया। प्राथमिकता क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत जून 1993 के अंत में 8.9 रहा। निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मार्च 1993 के अंतिम शुक्रवार को रु. 2,357 करोड़ थे जो उनकी निवल बैंक जमा का 33.2 प्रतिशत है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को सलाह दी गयी थी कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के मामले में मार्च 1992 के अंत तक अपनी निवल बैंक जमा का 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें। परन्तु मार्च 1992 के अंत में इन बैंकों की वास्तविक उपलब्धि 7.9 प्रतिशत ही रही जो मार्च 1991 के अंत में प्राप्त 9.45 प्रतिशत के अनुपात से भी कम है। भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों को श्रेणीबद्ध करने की दृष्टि से विदेशी बैंकों के लिए भारतीय बैंकों की तरह प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों का लक्ष्य उनकी निवल बैंक जमा के 15 प्रतिशत

से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें मार्च 1994 के अंतिम शुक्रवार तक लघु उद्योगों और निर्यात क्षेत्र प्रत्येक के लिए 10 प्रतिशत का अन्तर्लक्ष्य भी रखा गया है। विदेशी बैंकों के संशोधित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उनके मामले में प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में 1 जुलाई 1993 से निर्यात ऋण को भी शामिल कर दिया गया है। ऋण संस्थाओं की संरचना और परिवर्तनशील ऋण अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता क्षेत्र के मामले में कुछ परिभाषा संबंधी परिवर्तन किए गए हैं और कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

निक्षेप बीमा योजना - बैंक आफ कराड़ लिमिटेड का मुकदमा

4.1 जैसाकि पहले की रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है, बैंक आफ कराड़ लिमिटेड के जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से निगम ने बैंक के अस्थायी परिसमापक को जमाकर्ताओं में संवितरित करने के लिए कुल रु. 37.00 करोड़ की राशि का खातागत भुगतान किया था। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार बैंक आफ इंडिया को बैंक आफ कराड़ लिमिटेड की निगम द्वारा अनुमोदित बकाया जमा देयताओं सहित विशिष्ट आस्तियों को क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी यह अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गयी थी कि परिसमापक द्वारा की गयी वसूलियों पर सामान्य जमाकर्ताओं की तुलना में निगम के दावों को संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

तथापि निगम ने जमाकर्ताओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बंबई उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 6 अप्रैल 1994 के आदेश के अनुसार आपसी समझौते के लिए सहमति प्रदान की ताकि बैंक आफ इंडिया बैंक आफ कराड़ लिमिटेड के कर्मचारियों के हितों के लिए तथा जमा देयताओं और विशिष्ट आस्तियों की खरीद के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके।

समझौते के अनुसार अस्थायी परिसमापक बैंक आफ इंडिया से विशिष्ट राशि प्राप्त होने और उसके द्वारा वसूलियों के पश्चात् निगम द्वारा अदा की गयी राशि की चुकौती निगम को करेगा।

ऋण गारंटी योजनाएँ योजनाओं में सहभागिता

4.2 यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 1994 से जो ऋण संस्थाएँ किसी विशेष योजना की सहभागिता से बाहर होने की इच्छुक हैं उन्हें निगम की दूसरी ऋण गारंटी योजना, जिनमें उनकी सहभागिता है, से बाहर होना होगा। दूसरे शब्दों में कोई ऋण संस्था किसी एक ऋण गारंटी योजना से बाहर होने का विकल्प देते हुए दूसरी ऋण गारंटी योजना में अपनी सहभागिता जारी नहीं रख सकती।

गारंटी सुरक्षा की सीमा

4.3 निगम द्वारा परिचालित तीन ऋण गारंटी योजनाओं की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पात्र ऋण सुविधाओं की सभी श्रेणियों के मामले में गारंटी सुरक्षा की सीमा घटाकर समान दर से चूक की राशि के 50 प्रतिशत (जबकि अभी यह सीमा चूक की राशि के 60 प्रतिशत के बराबर है) के बराबर कर दी जाए। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 1994 को या उसके बाद स्वीकृत/नवीकृत पात्र नए अग्रिमों की दावा देयता के मामले में विशिष्ट मौद्रिक सीमा के अधीन लागू होगी।

निगम के कार्यकलाप - एक विहंगम दृष्टि

5.1 वर्ष के दौरान, बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए निक्षेप बीमा योजना के अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के उधारकर्ताओं (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करने के मामले में निगम का तीन ऋण गारंटी योजनाओं- गैर औद्योगिक क्षेत्र के लिए दो तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक गारंटी योजना पर कार्य जारी रहा।

5.2 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, निक्षेप बीमा योजना 1961 के अंतर्गत बीमा सुरक्षा एक ही अधिकार और हैसियत से प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक रु.30,000/- से बढ़ाकर रु. 1,00,000/- कर दी गयी है एवं बीमा किस्त दर आंशिक रूप से बढ़ाकर प्रति रु. 100/- प्रति वर्ष 4 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे कर दी गई है। वर्ष के दौरान योजना के तीन और राज्यों के सहकारी बैंकों पर लागू किये जाने के कारण बीमाकृत बैंकों की संख्या में काफी

बढ़ोतरी हुई तथा यह संख्या वर्ष के अंत में 1990 रही। एवं पूर्णतः संरक्षित जमा खातों की संख्या 3,497 लाख है, यह संख्या कुल जमा खातों की संख्या का 99.1 प्रतिशत है। बैंकों की कुल निर्धारण योग्य जमा रु. 2,49,034 करोड़ है एवं इसमें 67.6 प्रतिशत बीमाकृत जमा राशियाँ हैं। वर्ष के दौरान बीमा किस्त के रूप में रु. 156.35 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान निगम ने कुल रु. 0.57 करोड़ की राशि के 4 सहकारी बैंकों से प्राप्त दावे निपटाये और चार सहकारी बैंकों की दावा देयता के लिए रु. 8.12 करोड़ का प्रावधान किया है। 25 वाणिज्य बैंकों और 27 सहकारी बैंकों के मामले में कुल दावा अदाकृत राशि रु. 178.69 करोड़ थी और मार्च 1994 के अंत तक रु. 19.71 करोड़ की चुकौती प्राप्त हुई।

5.3 निगम की तीन ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुल गारंटीकृत अग्रिम मार्च 1993 के अंत में रु.41,850.49 करोड़ थे। उनमें पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की गिरावट आयी। गैर औद्योगिक क्षेत्र की योजना के अंतर्गत लघु उधारकर्ताओं के गारंटीकृत अग्रिमों में 7.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि लघु उद्योग क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 19.1 प्रतिशत की गिरावट आयी। तीन योजनाओं के अंतर्गत निगम को प्राप्त होने वाले दावों में संख्यावार 26.4 प्रतिशत और राशिवार 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार वर्ष के दौरान निगम द्वारा निपटाये गये दावों में संख्यावार 33.4 प्रतिशत तथा राशिवार 62.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष दावा निपटान की मासिक दर सर्वाधिक 2,90,144 दावे रही जबकि पिछले वर्ष यह दर 2,17,544 थी। समीक्षाधीन अवधि और पिछले वर्ष के दौरान दावों की संख्यावार और राशिवार प्राप्ति तथा निपटान का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है :

(राशि करोड़ रुपये में)

	1992-93 के दौरान		1993-94 के दौरान		प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
I. प्राप्त दावे						
निम्नलिखित के मामले में निगम की योजना						
(i) लघु उधारकर्ता	36,81,272	883.29	46,72,885	1,167.60	(+) 26.9	(+) 32.2
(ii) लघु उद्योग	1,29,968	259.98	1,44,165	323.16	(+) 10.9	(+) 24.3
जोड़	38,11,240	1,143.27	48,17,050	1,490.76	(+) 26.4	(+) 30.4
II. निपटाये गए दावे						
निम्नलिखित के मामले में निगम की योजना						
(i) लघु उधारकर्ता	24,92,375	565.95	33,58,702	1,026.36	(+) 34.8	(+) 81.4
(ii) लघु उद्योग	1,18,147	243.21	1,23,031	287.72	(+) 4.1	(+) 18.3
जोड़	26,10,522	809.16	34,81,733	1,314.08	(+) 33.4	(+) 62.4

5.4 1982 से 1988-89 अवधि के दौरान वैकल्पिक वर्ष एवं उसके पश्चात् प्रति वर्ष दावों की प्राप्ति राशि एवं गारंटी शुल्क की प्राप्ति राशि की स्थिति इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ	गारंटी दावा प्राप्तियाँ	अन्तर
1982	57.67	34.11	+ 23.56
1984	87.91	115.69	- 27.78
1986	127.25	245.86	-118.61
1988-89 (15 माह)	191.89	580.97	-389.08
1989-90	593.83	548.33	+ 45.50
1990-91	524.72	748.76	-224.04
1991-92	565.88	627.23	- 61.35
1992-93	702.78*	1143.27	-440.49
1993-94	846.09	1490.76	-644.67

* पिछले वर्षों के संबंध में पुनर्निवेश प्रावधान सहित ।

5.5 1 अप्रैल 1989 से गारंटी शुल्क की दर बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किये जाने के परिणामस्वरूप गारंटी शुल्क की प्राप्ति गारंटी दावों की प्राप्ति की तुलना में केवल 1989-90 में ही अधिक रही । गारंटी दावों की प्राप्ति की तुलना में गारंटी शुल्क की प्राप्ति उसके बाद लगातार तीन वर्ष तक कम रही अत: सभी तीनों ऋण गारंटी योजनाओं की अर्थ क्षमता की जाँच की गयी तथा 1 अप्रैल 1993 से केवल लघु ऋण गारंटी योजना 1971 के मामले में गारंटी शुल्क की दर बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गयी । इस बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 1993-94 के दौरान गारंटी शुल्क की प्राप्तियों और गारंटी दावा प्राप्तियों में अन्तर रु. 644.67 करोड़ हो गया, योजनावार स्थिति नीचे दी जा रही है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	गारंटी दावा प्राप्ति	गारंटी शुल्क प्राप्ति	अन्तर
i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	1167.58	665.36	-502.22
ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	0.02	0.12	+0.10
iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	323.16	180.61	-142.55
जोड़	1490.76	846.09	-644.67

अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए उपलब्ध 60% की गारंटी सुरक्षा 1 अप्रैल 1994 को या उसके बाद स्वीकृत/नवीकृत अग्रिमों के लिए चूक की राशि (मौद्रिक सीमाओं के अधीन) के 50% के समान स्तर तक घटा दी गयी है ।

वर्ष 1981 से गारंटी शुल्क की योजनावार प्राप्ति अनुबंध XIII में दर्शायी गयी है ।

निक्षेप बीमा कार्य

6.1 वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1994 से बिहार, असम, और मणिपुर राज्यों में कार्यरत पात्र सहकारी बैंकों के लिए लागू कर दी गयी है । निगम की योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1993 में 1931 बैंक शामिल थे जो मुख्यत: इसी कारण 31 मार्च 1994 को बढ़कर 1990 हो गए । इनमें 80 वाणिज्य बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1714 सहकारी बैंक शामिल हैं । वर्ष के दौरान दो वाणिज्य बैंक (अर्थात् एस.बी.आइ. कामर्सियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड और इंडस्ट्रियल नीदरलैंड बैंक एन.वी.) पंजीकृत किये गये और दो अन्य वाणिज्य बैंक (अर्थात् बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इन्टरनेशनल ओवरसीज लिमिटेड और न्यू बैंक आफ इंडिया) विपंजीकृत किये गये । वर्ष के दौरान पंजीकृत और विपंजीकृत सहकारी बैंकों का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है:-

राज्य	बैंकों की संख्या	
	पंजीकृत	विपंजीकृत
असम	10	-
बिहार	38	-
गुजरात	1	-
महाराष्ट्र	2	1
मणिपुर	6	-
तमिलनाडू	2	-
उत्तर प्रदेश	2	-
मध्य प्रदेश	-	1
जोड़	61	2

(1962 से बीमाकृत बैंकों का विवरण अनुबंध I में दर्शाया गया है ।)

6.2 निक्षेप बीमा योजना में वर्तमान में सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और 19 राज्यों तथा तीन केन्द्रशासित

प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल हैं (अनुबंध II)। बाकी बचे 6 राज्यों और 4 केन्द्रशासित प्रदेशों के 33 सहकारी बैंकों को योजना की सीमा में लाया जाना है। निगम ने भारत सरकार से सिक्किम राज्य पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 लागू किए जाने की सिफारिश की है जो भारत सरकार के पास विचाराधीन है। बाकी बचे राज्यों को अपने राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियमों में अपेक्षित संशोधन करने हैं।

6.3 खातों की संख्या और निगम के पास बीमाकृत जमा राशियाँ तथा जून 1992 और जून 1993 के अंत में जमाकर्ताओं को उपलब्ध संरक्षण की सीमा इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

	जून 1992	जून 1993
1. खातों की कुल संख्या (लाखों में)	3,543	3,529
2. पूर्णत: संरक्षित खाते (लाखों में)	3,395	3,497
3. दो के प्रति एक का प्रतिशत	95.8	99.1
4. निर्धारण योग्य जमा राशियाँ	2,44,375	2,49,034
5. बीमाकृत जमा राशियाँ	1,64,527	1,68,405
6. 5 के प्रति 4 का प्रतिशत	67.3	67.6

(पिछले वर्षों के संबंध विवरण अनुबंध III और IV में दिया गया है)

पूर्णत: संरक्षित और आंशिक रूप से संरक्षित खातों की जमा राशियाँ जून 1993 के अन्त में कुल निर्धारणयोग्य जमा राशियों का क्रमश: 63.78 प्रतिशत और 36.22 प्रतिशत है। इस प्रकार बीमा सुरक्षा बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कुल निर्धारण योग्य जमा राशियों की तुलना में बीमाकृत जमा राशियों का प्रतिशत 49.16 से बढ़कर 63.78 प्रतिशत हो गया।

6.4 बीमाकृत बैंकों से 1993-94 के दौरान वसूली गयी किस्त (अतिदेय किस्त पर ब्याज सहित) का पिछले वर्ष की तुलना में श्रेणीवार ब्योरा इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंकों की श्रेणी	प्राप्त किस्तें	
	1992-93	1993-94
i) वाणिज्य बैंक	95.66	138.15
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.13	4.09
iii) सहकारी बैंक	8.18	14.11
	105.97	156.35

6.5 वर्ष 1993-94 के दौरान निगम ने चार सहकारी बैंकों के मामले में निम्नानुसार दावे निपटाये :-

(रुपये लाखों में)

	नाम	राशि
1.	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (परिसमापनाधीन)	0.07
2.	भद्रावती टाउन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड	0.26
3.	भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	19.84
4.	बेलगाम मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (अमानत को.आप. बैंक लि. में समामेलित)	37.11
		57.28

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दावा देयताओं के मामले में खातों में रु. 8.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है:

(क) वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड गुरजाला के संबंध में रु. 0.01 करोड़ का पूरक दावा।

(ख) परिसमापक, नवदीप को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान विचाराधीन होने के कारण रु. 5.52 करोड़।

(ग) अब परिसमापन में लिए गए सिटीजन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर की दावा देयताओं के रूप में रु. 2.25 करोड़।

(घ) मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के विचाराधीन दावों (स्पष्टीकरण के अभाव में) की दावा देयता की शेष राशि के संबंध में रु. 0.34 करोड़।

6.6 25 वाणिज्य बैंकों के संबंध में दावा अदाकृत कुल राशि (संचयी) 31 मार्च 1994 को अपरिवर्तित रु. 172.92 करोड़ रही। मार्च 1994 तक कुल चुकौतियाँ रु. 18.82 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 1.25 करोड़ सहित) रही। मार्च 1994 तक रु. 0.10 करोड़ की राशि बट्टे खाते डाली गयी। 31 मार्च 1994 को 27 सहकारी बैंकों के मामले में आरम्भ से कुल दावा अदाकृत राशि रु. 5.77 करोड़ (वर्ष के दौरान अदाकृत रु. 0.57 करोड़ सहित) है। मार्च 1994 तक कुल चुकौतियाँ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 0.07 करोड़ सहित) रु. 0.89 करोड़ रही।

ऐसे बैंकों की सूची जिनके मामले में 31 मार्च 1994 तक दावा अदा किया गया, राशि बट्टे खाते डाली गयी, प्रावधान किया गया, एवं चुकौतियाँ प्राप्त हुई, का विवरण अनुबंध V में दिया गया है।

ऋण गारंटी कार्य

क) छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

7. छोटे उधारकर्ताओं के लिए निगम की दो ऋण गारंटी योजनाएँ हैं अर्थात् लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 और लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 इन में कृषि और सहायक गतिविधियों, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय आदि के लिए वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं।

8. छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं की समग्र कार्यस्थिति नीचे दर्शाए अनुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

उधारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1993 को गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावों की राशि			दो के प्रति पाँच का प्रतिशत
		मार्च 1993 तक	1993-94 के दौरान	मार्च 1994 तक (3+4)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. कृषक और खेतिहर	17,868.89	1,415.23	435.40	1,850.63	10.36
2. प्राथमिकता क्षेत्र की अन्य उधार राशियाँ	8,110.19	1,689.54	706.75	2,396.29	29.55
3. विभेदक ब्याज दर योजना आदि के अंतर्गत उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणियाँ	368.75	96.66	25.45	122.11	33.11
जोड़	26,347.83	3,201.43	1,167.60	4,369.03	16.58

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

9.1 योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि और सहायक गतिविधियों, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय आदि के लिए स्वीकृत अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

9.2 वर्ष के दौरान 7 वाणिज्य बैंकों और 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निगम द्वारा योजना से बाहर होने की अनुमति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त एक वाणिज्य बैंक अर्थात् न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलयन हुआ। परिणामस्वरूप 31 मार्च 1994 को योजना के अंतर्गत सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 1993 की 248 से

15 घट कर 233 (इसमें 47 वाणिज्य बैंक और 186 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं) हो गयी (अनुबंध VI और VII)।

9.3 योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1993 को गारंटीकृत अग्रिम रु. 26,339.75 करोड़ थे इनमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि निगम की ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा से कुछ श्रेणी के अग्रिमों को अलग किया गया तथा 15 ऋण संस्थाएँ योजना से बाहर हुई/उनके नाम हटाये गए। योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिम रु. 26,347.83 करोड़ कुल प्राथमिकता क्षेत्र के गैर लघु उद्योग खंड अग्रिमों का 99.97 प्रतिशत है। गारंटीकृत अग्रिमों का वर्षवार तथा क्षेत्रवार अलग-अलग ब्योरा अनुबंध-VIII में दिया गया है। गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार ब्योरा तथा उसकी तुलना में दावा प्राप्त राशि का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है:-

उधारकर्ताओं की श्रेणी	कुल का प्रतिशत	
	गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावे
i) कृषक और खेतिहर	67.84	42.36
ii) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र उधारकर्ता	30.76	54.84
iii) विभेदक ब्याज दर अग्रिम आदि	1.40	2.80
जोड़	100.00	100.00

9.4 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान निगम को रु. 1,167.58 करोड़ के 46,72,831 दावे प्राप्त हुए जब कि पिछले वर्ष के दौरान रु. 883.27 करोड़ के 36,81,234 दावे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार दावों में क्रमश: संख्यावार 26.94 प्रतिशत तथा राशिवार 32.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 1,167.58 करोड़ की राशि के दावे कुल रु. 26339.75 करोड़ के गारंटीकृत अग्रिमों का 4.43 प्रतिशत हैं। (छोटे उधारकर्ताओं के संबंध में सभी योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रवार प्राप्त दावों का अलग-अलग विवरण अनुबंध X में दर्शाया गया है)। निगम ने रु. 1,026.26 करोड़ के 33,58,615 दावों का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष रु. 565.83 करोड़ के 24,92,313 दावे निपटाये गये थे। इस वर्ष दावों की औसत मासिक निपटान दर 2,79,885 दावे रही जबकि पिछले वर्ष यह दर 2,07,693 दावे प्रतिमाह थी। वर्ष के अंत में रु. 824.81 करोड़ के 33,51,598 दावे विचाराधीन थे। दावों की प्राप्ति, निपटान (लागू किये जाने की तारीख से) और विचाराधीन दावों की 31 मार्च 1994 की स्थिति अनुबंध IX में दर्शायी गयी है।

9.5 प्रस्थापन अधिकारों के कारण निगम को रिपोर्ट वर्ष के दौरान रु. 109.84 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जबकि पिछले वर्ष रु. 52.97 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। वसूलियों की कुल प्राप्त राशि रु. 352.58 करोड़ रही जो योजना के लागू किये जाने से दावा अदाकृत का 11.32 प्रतिशत है।

सभी योजनाओं के अंतर्गत रु. 25,000/- से अनधिक राशि के दावों के त्वरित निपटान की दृष्टि से निगम ने सभी सहभागी बैंकों को सूचित किया है कि वे दावे मैग्नेटिक टेप्स के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि दावों को कम्प्यूटर* के माध्यम से संसाधित किया जा सके। इस के उत्तर में 90% वाणिज्य बैंकों और 66% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस वर्ष अपने 90% दावे मैग्नेटिक टेप्स् के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। परिणामस्वरूप निगम 33.59 लाख के उल्लेखनीय संख्या में दावे निपटा पाया।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

10.1 योजना के अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि प्रयोजनों के लिए छोटे उधारकर्ताओं को स्वीकृत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों को सुरक्षा प्राप्त है।

10.2 वर्ष के दौरान योजना के सहभागी सहकारी बैंकों की संख्या 29 से 7 घटकर 31 मार्च 1994 को 22 रह गई (अनुबंध VI और VII)। परिणामस्वरूप गारंटीकृत अग्रिम जो 31 मार्च 1992 को रु. 14.34 करोड़ थे, 31 मार्च 1993 को घटकर रु. 8.08 करोड़ रह गए।

10.3 93 ऐसे दावों के अतिरिक्त जिनके मामले में निगम को स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है वर्ष के दौरान निगम को रु. 0.02 करोड़ मूल्य के 54 दावे प्राप्त हुए। रु. 0.10 करोड़ के 87 दावों के निपटान तथा रु. 0.02 करोड़ के 42 दावों के स्पष्टीकरण के अधीन होने के बाद निगम के पास अप्रैल 1994 में निपटान के लिए वर्ष के अंत में मात्र 18 दावे शेष थे।

*(निगम ने सभी वाणिज्य बैंकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि वे 1 अप्रैल 1994 से दावे मैग्नेटिक टेप्स के माध्यम से प्रस्तुत करें)

ख) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

(अ) सरकार की लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)

11.1 सरकार की योजना बंद कर दी गयी है और निगम ने दावे/अभ्यावेदन स्वीकार करना अन्तिम रूप से बंद कर दिया है। योजना के अंतर्गत विचाराधीन सभी दावों का निपटान मार्च 1992 तक कर दिया गया था। तथापि भारत सरकार के एजेन्ट के रूप में दावा अदाकृत खातों से वसूलियों के लिए ऋण संस्थाओं के साथ निगम के प्रयास जारी रहे।

11.2 योजना के अंतर्गत 1992-93 के दौरान दावा अदाकृत खातों में हुई वसूलियों की राशि में से 30.5 प्रतिशत (अर्थात् वही अनुपात जिसके लिए 1986 से 1992 तक के लिए अनुमति दी गयी थी) योजना के अवशिष्ट कार्यों के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में निगम ने अपने पास रखने की अनुमति माँगी थी परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। तथापि सरकार ने दावा अदाकृत खातों में हुई वसूलियों में से निगम को 10 प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति प्रदान की है। तद्नुसार वर्ष 1992-93 के दौरान हुई कुल रु.1.42 करोड़ की वसूलियों में से निगम द्वारा किए गए संस्थागत व्यय के रूप में रु.0.14 करोड़ की राशि रखी गयी तथा शेष राशि रु. 1.28 करोड़ सरकार को अप्रैल 1994 में भेज दी गयी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993-94 के दौरान दावा अदाकृत खातों से वसूली के रूप में प्राप्त रु. 2.04 करोड़ की राशि समायोजन के बाद सरकार को भेजने के लिए निगम ने अपने पास रखी है।

(आ) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

12.1 31 मार्च 1994 को उपर्युक्त योजना की सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 308 (31 मार्च 1993 को 344) थी। इनमें 47 वाणिज्य बैंक, 150 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 111 सहकारी बैंक शामिल हैं (अनुबंध VI)। वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के भुगतान में चूक या योजना से बाहर होने के उनके निर्णय के कारण 40 ऋण संस्थाओं के नाम सूची से हटाये गए। एक ऋण संस्था का नाम दूसरे बैंक में विलयन के कारण हटाया गया। गारंटी शुल्क का भुगतान न किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के कारण 4 ऋण संस्थाओं को योजना में पुनः शामिल किया गया (अनुबंध VII)।

12.2 भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के लघु उद्योग खंड के अंतर्गत आने वाले गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 31 मार्च 1993 को 19.1 प्रतिशत घटकर रु.15,502.66 करोड़ हो गयी थी जबकि 31 मार्च 1992 को यह राशि रु. 19,161.92 करोड़ थी।

12.3 निगम को वर्ष 1993-94 के दौरान रु. 323.16 करोड़ के 1,44,165 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष रु. 259.98 करोड़ के 1,29,968 दावे प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान रु.287.72 करोड़ के 1,23,031 दावे निपटाये गये जबकि 1992-93 में रु. 243.21 करोड़ के 1,18,147 दावे निपटाये गए थे। 1 अप्रैल 1981 से वर्षवार दावों की प्राप्ति और निपटान का ब्योरा अनुबंध XI में दिया गया है। (वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों का राशिवार अलग-अलग विवरण अनुबंध XII में दर्शाया गया है)। 31 मार्च 1994 को रु. 90.29 करोड़ के 44410 दावे विचाराधीन थे। शाखावार स्थिति अनुबंध XI में दर्शायी गयी है।

12.4 निगम के प्रस्थापन अधिकार के कारण योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु. 23.98 करोड़ की वसूलियाँ प्राप्त हुई। 1981 से 31 मार्च 1994 तक कुल रु. 83.49 करोड़ की वसूलियाँ प्राप्त हुई। ये वसूलियाँ रु. 799.21 करोड़ की कुल दावा अदाकृत राशि का 10.4 प्रतिशत है।

12.5 योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1994 तक कुल रु.1859.88 करोड़ की राशि के दावे प्राप्त हुए, ये दावे प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग इकाइयों के रु. 15502.66 करोड़ के गारंटीकृत अग्रिमों का 12 प्रतिशत हैं।

12.6 योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले रु. 8.00 लाख और अधिक के उच्च मूल्य दावों का निपटान "दावा समिति" द्वारा किये जाने का कार्य जारी रहा। निगम के बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में समिति को 21 दिसंबर 1993 को पुनर्गठित किया गया। समिति के सदस्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों के प्रबंध/कार्यपालक निदेशक और एक ख्यातिप्राप्त सनदी लेखाकार शामिल है। वर्ष 1993-94 के दौरान समिति की एक बैठक हुई जिसमें रु. 3.12 करोड़ के 33 दावों का निपटान किया गया।

अन्य गतिविधियाँ

13.1 हाल ही में 30 सितंबर 1993 को महाराष्ट्र के लातुर और उस्मानाबाद जिलों में आये भूकंप से इन जिलों में जन और धन की भारी क्षति हुई। प्रभावित लोगों को आवश्यक ऋण समर्थन प्रदान करने के लिए ऋण संस्थाओं को अधिक निधियाँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से निगम ने भूकंप से पहले उनके द्वारा वित्त पोषित इकाइयों/उधारकर्ताओं के संबंध में दायर दावों के मामले में तीन वर्ष की निश्चित अवधि हटा दी है। ऋण संस्थाओं को ऐसे दावे 30 सितंबर 1994 तक दायर करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

स्व-सहायता समूह को गारंटी सुरक्षा प्रदान करना

13.2 देश में औपचारिक ऋण व्यवस्था के व्यापक प्रसार के बावजूद ग्रामीण गरीबों (विशेषत: सीमान्त कृषक, भूमि-हीन मजदूर, छोटे व्यापारी और ग्रामीण दस्तकार जिनकी बचत प्रवृत्ति सीमित है या इतनी कम है कि इसे बैंकों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता) की कई क्षेत्रों विशेषकर आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर आश्रितता जारी है। बचत के लिए प्रोत्साहन देने ताकि ग्रामीण गरीब अपनी आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साहूकारों के पास न जाएँ, गैर सरकारी संघटनों में तत्परता से अनौपचारिक समूहों का विकास किया है। इन समूहों में औपचारिक बैंकिंग ढाँचे और ग्रामीण गरीबों को आपसी हित के लिए निकट लाने की क्षमता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने तद्नुसार स्व-सहायता समूह के संबंध में प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ की है और स्व-सहायता समूहों को दिये जानेवाले अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में गिने जाएँगे। तद्नुसार इन अग्रिमों के लिए निगम द्वारा लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा प्रदान की गयी है।

उधारकर्ता/प्रतिभू/प्रतिभूति के मामले में कानूनी कार्रवाई से छूट अथवा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार और दावा अदाकृत खातों को बकाया राशि के मामले में समझौता/राशि कम करना और बकाया राशि बट्टे खाते डालना।

13.3 नयी आय पहचान लागू किए जाने, आस्तियों के वर्गीकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधान मानदंडों के लागू किये जाने और वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम ने 22 फरवरी 1994 से वर्तमान सीमाएँ हटा दी हैं और दावा अदाकृत खातों के मामले में कानूनी कार्रवाई से छूट, समझौते, बकाया राशि कम करने, राशि बट्टे खाते डालने, आदि के मामले में सहभागी ऋण संस्थाओं को अधिकार दे दिये हैं। तथापि संबंधित ऋण संस्थाओं को स्टाफ के उत्तरदायित्व, धोखाधड़ी, और दुर्विनियोजन आदि से संबंधित प्रस्तावों के लिए निगम की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम- लघु उद्योग

13.4 लघु उद्योगों की संशोधित परिभाषा के अनुसार ऐसी लघु उद्योग इकाईयों को स्वीकृत अग्रिम जिनका निवेश संयंत्र और मशीनरी में रु. 60 लाख (अनुषंगी इकाईयों और निर्यातोन्मुख इकाईयों के मामले में रु. 75 लाख) से अधिक नहीं है को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप ऐसे सभी अग्रिम 1 अप्रैल 1994 से लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा के लिए पात्र होंगे।

लेखे

तुलन-पत्र तथा आय व्यय लेखे

14.1 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के संबंध में आय-व्यय लेखे तथा निगम की तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि की 31 मार्च 1994 की स्थिति का तुलन-पत्र तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

14.2 1987 से निगम ने निक्षेप बीमा निधि और ऋण निधि की देयताओं के बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर रखी है। तद्नुसार तीनों निधियों के मामले में 1989-90 और 1992-93 के आयकर के लिए अल्प प्रावधान, सहित विचाराधीन दावों आदि के लिए प्रावधान के बाद रु. 98.91 करोड़ का घाटा है जबकि पिछले वर्ष रु. 65.44 करोड़ का निवल घाटा था। सभी आवश्यक प्रावधान (वर्ष 1989-90 और 1992-93 के संबंध में आयकर के लिए रु. 3.87 करोड़ के अल्प प्रावधान सहित) किए जाने के बाद निक्षेप बीमा निधि में रु. 285.38 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध है। ऋण गारंटी निधि में रु. 382.19 करोड़ तथा सामान्य निधि में रु.2.10 करोड़ का घाटा है। ऋण गारंटी निधि के रु. 382.19 करोड़ के घाटे को इतनी ही राशि निक्षेप बीमा निधि से अंतरित कर

बराबर किया गया है। सामान्य निधि के रु. 2.10 करोड़ के घाटे को जनरल रिज़र्व में अंतरित कर बराबर किया गया है।

14.3 जैसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है 31 मार्च 1993 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि को रु. 475.86 करोड़ की निवल राशि देय है। यह राशि वर्ष 1987 के बाद रहे अतिरिक्त/घाटे की राशि है। ऋण गारंटी निधि का चालू वर्ष का रु. 382.19 करोड़ का घाटा एक बार पुन: निक्षेप बीमा निधि से इतनी ही राशि अन्तरित करके बराबर किया गया है। परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में निक्षेप बीमा निधि को देय राशि बढ़कर रु. 858.05 करोड़ हो गयी है।

बजट नियंत्रण

15. तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत राजस्व और व्यय के मामले में निगम का बजट नियंत्रण है।

निवेश

16.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार जिन राशियों की तत्काल आवश्यकता नहीं होती उन्हें खजाना बिलों सहित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निविष्ट किया जाता है। निवेशों का ब्योरा अनुबंध XIV में दिया गया है। तीनों निधियों के निवेशों के मूल्यह्रास के लिए पूर्णत: प्रावधान किया गया है।

निवेश समिति

16.2 निवेशों पर निगम की आय में सुधार करने की दृष्टि से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 25 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए और अपनी अतिरिक्त निधियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से इतर में निवेश के लिए बोर्ड ने सहमति दी थी। इस संबंध में सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। इसी दौरान निदेशक बोर्ड के कहने पर अक्तूबर 1993 में एक निवेश समिति गठित की गयी। समिति में तीन निदेशक (अर्थात् श्री बी. राय, अध्यक्ष और सर्वश्री एन.पी. सारडा एवं यू. महेशराव सदस्य) हैं तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के वर्तमान प्रावधानों की सीमा में निगम के निवेशों से आय बढ़ाने की दृष्टि से निम्नलिखित टिप्पणियाँ/अनुशंसा की गयी है :

i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के वर्तमान प्रावधान अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक हैं अत: समिति ने अनुशंसा की है कि भारत सरकार से अधिनियम की धारा 25 को उसमें उचित संशोधन करते हुए उदार बनाने का अनुरोध किया जाए।

ii) कम आय वाली भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों से निवेशों को अधिक आय वाले निवेशों में रूपान्तरण करने में निगम को सक्षम बनाने की दृष्टि से निगम के ऐसी प्रतिभूतियों में निवेशों को स्टाक-इन-ट्रेड मानने और प्रतिभूतियों के विक्रय से होनेवाले घाटे को व्यवसाय आय से बराबर करने के लिए निगम को अनुमति प्रदान करने के मामले को सरकार के साथ उठाया जाए।

iii) आयकर अधिनियम (धारा 44/115बी) के अंतर्गत जिस प्रकार जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन को कर देयता के निर्धारण के लिए विशेष दर्जा प्रदान किया गया है उसी प्रकार का दर्जा निगम को प्रदान किए जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए।

समिति की विभिन्न सिफारिशों की जाँच कर ली गयी है तथा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

17.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से मैसर्स हबीब एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार, बंबई को 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

हिंदी की प्रगति

17.2 निगम अपने दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग एवं प्रोत्साहन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। निगम का प्रधान कार्यालय राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4)

के अंतर्गत अधिसूचित है। निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड ने निगम के हिंदी कक्ष के लिए हिंदी अधिकारियों के 2 पदों, अनुवादकों के 4 पदों एवं हिंदी टंकक तथा चपरासी के एक-एक पद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। स्टाफ को हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निगम द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषिकरूप में प्रकाशित की जाती है। वर्ष के दौरान निगम के एक अधिकारी ने प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है। हिंदी समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ खरीदी जाती हैं और स्टाफ को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। निगम में "आज का शब्द" प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्तियाँ

17.3 नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एनआइएसआइईटी) हैदराबाद द्वारा आयोजित "स्माल इंडस्ट्री फाइनेंसिंग" पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने आए विकासशील देशों के वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 11 सदस्यों के एक समूह ने निगम में आकर इसकी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त केन्या के एग्रीकल्चरल फाइनेंस कार्पोरेशन और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के विकास वित्त विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने निगम में आकर निगम के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को समझा। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल द्वारा निक्षेप बीमा योजना तैयार किए जाने के काम में मदद और इसके कार्यान्वयन की कार्य योजना बनाने के लिए निगम के एक भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी को दो माह के लिए उस बैंक में प्रतिनियुक्त किया गया है।

निगम के सभी श्रेणियों के स्टाफ को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजा गया समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 30 अधिकारियों और 34 लिपिकीय स्टाफ सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा

17.4 रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग के केन्द्रीय लेखा परीक्षा कक्ष द्वारा निगम की 1 अक्तूबर 1992 से 30 सितंबर 1993 अवधि की लेखा परीक्षा की गयी। लेखा परीक्षा रिपोर्टों में बताई गई अनियमितताओं/सुझावों में से अधिकांश की निगम द्वारा अनुपालना कर ली गयी/सुधार कर लिया गया।

प्रबंधतंत्र

18. 4 मई 1994 से सुश्री आइ.टी. वाज के बदले श्री एस.एन. राजदान, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निगम के बोर्ड में नामित निदेशक हैं।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(इ) के अंतर्गत श्री पी.एन. जोशी, अध्यक्ष, यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लिमिटेड, सातारा (महाराष्ट्र) को 14 जून 1993 से 31 अक्तूबर 1993 तक निगम के निदेशक बोर्ड में नामित किया गया। निगम के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल बढ़ाने का मामला अभी भी सरकार के पास विचाराधीन है।

सरकार की दिनांक 28 अगस्त 1992 और 6 अगस्त 1993 की अधिसूचना के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(इ) के अंतर्गत 18 अक्तूबर 1994 तक प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक और अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक को निगम के बोर्ड में पदेन निदेशक नामित किया गया है। तद्नुसार भारतीय स्टेट बैंक की 20 दिसंबर 1993 की सूचना के अनुसार डॉ. एम.के. सिन्हा, प्रबंध निदेशक श्री वी. महादेवन के स्थान पर निगम के निदेशक होंगे। श्री आर.एल. वाधवा के स्थान पर इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त श्री बी. राय 6 अगस्त 1993 से निगम के निदेशक होंगे।

19. 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड की 5 बैठकें श्री डी.आर. मेहता, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गयीं।

20. स्टाफ द्वारा परिचालन क्षमता को बरकरार रखने की निगम के स्टाफ की बोर्ड बहुत बहुत सराहना करता है।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम
बंबई 400 039.

दिनांक: 24 जून 1994

निदेशक मंडल की ओर से
और उसके वास्ते

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

अनुबंध - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

अवधि/वर्ष	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम में देयता		जोड़ (4+5)	वर्ष/अवधि के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2+3-6)
			आयी	नहीं आयी		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1962	287	–	2	9	11	276
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1971 से 1975	83	544	–	16	16	611
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 से 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 से 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-1991	1921	8	5	2	7	1922
1991-1992	1922	14	2	3	5	1931
1992-1993	1931	3	2	1	3	1931
1993-1994	1931	63	1	3	4	1990

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के अंत में बीमाकृत बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
1991-92	80	196	1655	1931
1992-93	80	196	1655	1931
1993-94	80	196	1714	1990

अनुबंध – II

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1994 की स्थिति)

I. वाणिज्य बैंक..... 80

II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक..... 196

III. सहकारी बैंक..... 1714 (अलग-अलग विवरण नीचे दर्शाए अनुसार)

1990

राज्य	अपैक्स	सेन्ट्रल	प्राइमरी	जोड़
1. आंध्र प्रदेश	1	22	60	83
2. आसाम	1	1	8	10
3. बिहार	1	34	3	38
4. मध्य प्रदेश	1	45	40	86
5. महाराष्ट्र	1	31	380	412
6. मणिपुर	1	–	5	6
7. जम्मू और कश्मीर	1	3	3	7
8. केरल	1	14	56	71
9. त्रिपुरा	1	–	1	2
10. पश्चिम बंगाल	1	17	48	66
11. राजस्थान	1	27	23	51
12. कर्नाटक	1	22	203	226
13. उड़ीसा	1	17	14	32
14. उत्तर प्रदेश	1	56	47	104
15. गुजरात	1	21	290	312
16. तमिलनाडू	1	21	133	155
17. हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
18. हरियाणा	1	13	8	22
19. गोवा	1	–	6	7
केन्द्र शासित क्षेत्र				
1. दिल्ली*	1	–	14	15
2. पॉडिचेरी	1	–	1	2
3. दमण और दीव	–	–	–	–
	21	346	1347	1714

* दिल्ली एक राज्य है।

अनुबंध - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1993 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या* (लाखों में)	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) के प्रति (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियाँ* (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6

* अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक रु. 1,500/- 1981 से 1992-93 तक रु. 30,000/- और 1993-94 के बाद रु. 1.00 लाख से अनधिक शेष राशियाँ रहीं।

अनुबंध - IV

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारण योग्य जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1991-92	वाणिज्य बैंक	80	59	1,13,252.05	1,65,220.12	68.55
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	120	2,358.59	2,631.40	89.63
	सहकारी बैंक	1,655	1,124	12,314.27	18,455.87	66.72
	जोड़	1,931	1,303	1,27,924.91	1,86,307.39	68.66
1992-93	वाणिज्य बैंक	80	59	1,41,356.73	2,12,759.40	66.44
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	116	2,995.59	3,430.41	87.32
	सहकारी बैंक	1,655	1,065	20,174.25	28,185.57	71.58
	जोड़	1,931	1,240	1,64,526.57	2,44,375.38	67.33
1993-94	वाणिज्य बैंक	80	65	1,41,794.51	2,16,024.27	65.64
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	130	4,003.92	4,398.41	91.03
	सहकारी बैंक	1,714	1,122	22,606.39	28,611.15	79.01
	जोड़	1,990	1,317	1,68,404.82	2,49,033.83	67.62

अनुबंध - V

अदा किये गये और प्रावधान किये गये निक्षेप बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ 31 मार्च 1994 की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये उसे कोष्टकों में दर्शाया गया है)	कुल बीमाकृत जमाराशियाँ जो अदा की गयी और जिनके लिए प्रावधान किया गया	निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ	शेष राशि (3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
I. वाणिज्य बैंक				
	i) ऐसे बैंकों का विवरण जिनके मामले में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है			
S 1.	बैंक आफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	–
* 2.	श्री जादेय शंकर लिंग बैंक लिमिटेड, बीजापुर (1965)	0.12	0.12	–
* 3.	बैंक आफ बिहार लिमिटेड, पटना (1970)	46.32	46.32	–
	जोड़ ''क''	55.69	55.69	–
	ii) उन बैंकों से संबद्ध विवरण जिनके मामले में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति की गयी है और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है।			
* 4.	यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास (1963)	2.53	1.37	@@
* 5.	उन्नाव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उन्नाव (1946)	1.00	0.31	@@
* 6.	चावला बैंक लिमिटेड, देहरादून (1969)	0.18	0.14	@@
* 7.	मैट्रोपालिटन बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1964)	8.80	4.41	@@
* 8.	सदर्न बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1964)	7.34	3.73	@@
* 9.	बैंक आफ अलगपुरी लिमिटेड, अलगपुरी (1963)	0.28	0.10	@@
	जोड़ ''ख''	20.21	10.14	@@
	iii) उन बैंकों के संबंध में विवरण जिनके मामले में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।			
* 10.	कोचीन नायर बैंक लिमिटेड, त्रिचूर (1964)	7.10	4.15	2.95
* 11.	लेटिन ख्रिस्तियन बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम (1964)	2.08	1.14	0.94
* 12.	नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99	0.00	0.11
		(0.85)		(0.85)
* 13.	हबीब बैंक लिमिटेड, बंबई (1966)	17.26	16.78	0.48
		(1.18)		(1.18)
* 14.	नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड, दिल्ली (1970)	9.69	–	9.69

जारी..

अनुबंध - V (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.
* 15.	बैंक आफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)	1162.78	440.78	722.00
* 16.	मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड, मिरज (1987)	146.59	33.60	112.99
* 17.	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली (1987)	3340.62	664.25	2676.37
* 18.	हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली (1988)	2191.67	176.56	2015.11
* 19.	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड (1990)	3501.58	38.56	3463.02
* 20.	ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड (1990)	306.34	121.72	184.62
* 21.	बैंक आफ तंजावुर लिमिटेड (1990)	1078.36	175.84	902.52
* 22.	बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड, (1990)	764.50	61.64	702.86
* 23.	परूर सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1990)	260.92	66.65	194.27
* 24.	पूर्वांचल बैंक लिमिटेड (1991)	725.77	13.75	712.02
@ 25.	बैंक आफ कराड लिमिटेड (1922)	3700.00	–	3700.00
	जोड़ ''ग''	17216.25	1816.30	15399.95
	जोड़ ''क'' + ''ख'' + ''ग''	17292.15	1882.13	15399.95
II. सहकारी बैंक				
i)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनके मामले में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है			
SS 26.	मालवन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मालवन (1977)	1.86	1.04	++
% 27.	बाम्बे पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1978)	10.72	10.72	+++
@ 28.	दाधीच सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1984)	18.37	18.37	++++
	जोड़ ''घ''	30.95	30.93	–
ii)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनके मामले में निगम को पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है			
@ 29.	बंबई कामर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1976)	5.73	–	5.73
@ 30.	घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1977)	2.76	–	2.76
@ 31.	आरे मिल्क कालोनी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1978)	0.60	–	0.60
* 32.	रत्नागिरि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रत्नागिरि (1978)	46.43	11.94	34.49
* 33.	विश्वकर्मा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1979)	11.57	5.60	5.97
* 34.	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1979)	7.02	3.06	3.96
* 35.	कलाविहार को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1979)	13.17	3.31	9.86
@ 36.	रामदुर्ग अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रामदुर्ग (1981)	2.30	–	2.30
* 37.	वैश्य को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर (1982)	91.31	12.95	78.36
@ 38.	कोल्लूर पार्वती को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्लूर (1985)	13.96	–	13.96
* 39.	आदर्श को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूर (1985)	2.74	0.65	2.09
* 40.	कुर्दूवाडी मर्चेंट्स अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1986)	4.85	3.54	1.31
@ 41.	गदग अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, गदग (1986)	22.85	8.16	14.69

जारी..

अनुबंध - V (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.
@ 42.	मणिहाल अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, मणिहाल (1987)	9.61	2.28	7.33
@ 43.	हिंद अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, लखनऊ (1988)	10.95	–	10.95
@ 44.	येलामंचिली को-आप. क्रेडिट बैंक लिमिटेड, येलामंचिली (1990)	4.36	–	4.36
@ 45.	वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुरजाला (1991)	3.89	–	3.89
@ 46.	कुंडारा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (1991)	17.37	6.18	11.19
@ 47.	मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1991)	17.44	–	17.44
@ 48.	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (1991)	74.85	–	74.85
@ 49.	मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1992)	125.00	–	125.00
* 50.	बेलगाम मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1993)	37.11	–	37.11
@ 51.	भद्रावती टाउन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1994)	0.26	–	0.26
@ 52.	भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (1994)	19.84	–	19.84
	जोड़ ''ङ''	545.97	57.67	488.30
	जोड़ ''घ'' + ''ङ''	576.92	88.60	488.30
	जोड़: ''क'' + ''ख'' + ''ग'' + ''घ'' + ''ङ''	17,869.07**	1,970.73	15,888.27

S बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया।

@ परिसमापन में लिए गए बैंक

* समामेलन योजना

+ व्यवस्था योजना

@@ कुल रु. 10.7 लाख की राशि बट्टे खाते डाली गयी। इसमें रु. 0.10 लाख की वह राशि भी शामिल है जिसके लिए प्रावधान किया गया है परन्तु यह अदा नहीं की गयी है।

++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु.0.02 लाख की राशि पुरांकित की गयी।

+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु.2.07 लाख की राशि पुरांकित की गयी।

++++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु.0.14 लाख की राशि पुरांकित की गयी।

SS बैंक ने पुन: कार्यारम्भ किया तथा स्वैच्छिक रूप से 1981 में सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ।

% बैंक का स्वैच्छिक रूप से सारस्वत को-आपरेटिव बैंक में 1981 में समामेलन किया गया।

** राशि में बैंक आफ कराड़ लिमिटेड (रु.37 करोड़) और मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (रु.1.25 करोड़) दोनों को परिसमापन में लिया गया) को किए गए खातागत भुगतान शामिल हैं।

टिप्पणियाँ : (क) ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन बाद के हैं।

(ख) कोष्टकों में दिए गए आँकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में निषिद्ध देयताओं को दर्शाते हैं।

अनुबंध - VI

वर्ष 1993-94 के दौरान निगम की तीन ऋण गारंटी योजनाओं की सहभागी ऋण संस्थाओं की वर्गवार स्थिति

	योजना का नाम	31 मार्च 1993 को सहभागियों की कुल संख्या				अप्रैल 1993-मार्च 1994 अवधि के दौरान शामिल होनेवाली (+)/अलग होनेवाली (-) ऋण संस्थाएं				31 मार्च 1994 को सहभागियों की कुल संख्या			
		वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	लघु ऋण गारंटी योजना 1971	55	193	-	248	(-)8£	(-)7	-	(-)15	47	186	-	233
2.	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984	-	-	29	29	-	-	(-)7	(-)7	-	-	22	22
3.	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981	54	149	141	344	(-)7£	(+)4@ (-)3	(-)30	(-)36	47	15	111*	308

@ पुन: शामिल

£ न्यू बैंक आफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलयन सहित

* विवरण इस प्रकार है :-

स्टेट को-आपरेटिव बैंक	2
सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक	61
प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक	48
	111

अनुबंध - VII

I. वर्ष 1993-94 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर हुए/हटाए गए बैंकों के योजनावार नाम

क) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

i) वाणिज्य बैंक

1. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
2. एबीएन-एमरो बैंक एनवी
3. ब्रिटिश बैंक आफ द मिडिल ईस्ट
4. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
5. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
6. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
7. दी गणेश बैंक आफ कुरुंदवाड़ लिमिटेड
8. न्यू बैंक आफ इंडिया*

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश)
2. फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पंजाब)
3. गोर ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल)
4. काशी ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश)
5. मल्लभूम ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल)
6. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक (केरल)
7. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (त्रिपुरा)

ख) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

1. वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (आंध्र प्रदेश)
2. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात)
3. भडौंच नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात)
4. दी ग्रामीण मर्चेन्ट्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (कर्नाटक)
5. मयूरम् को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
6. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश)
7. उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड (मध्य प्रदेश)

ग) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

i) वाणिज्य बैंक

1. बैंक आफ इंडिया
2. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

* पंजाब नेशनल बैंक में विलयन किया गया।

जारी..

3. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
4. ब्रिटिश बैंक आफ द मिडिल ईस्ट
5. बैंक आफ टोक्यो लिमिटेड
6. यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लिमिटेड
7. न्यू बैंक आफ इंडिया*

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. गौर ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल)
2. गोलकुंडा ग्रामीण बैंक (आंध्र प्रदेश)
3. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (त्रिपुरा)

iii) सहकारी बैंक

1. महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)
2. प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड (आंध्र प्रदेश)
3. अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात)
4. वलसाड जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात)
5. अल्लेपी डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
6. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
7. कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
8. मलबार को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड (केरल)
9. पालघाट को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड (केरल)
10. त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
11. नान्देड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)
12. वेल्लोर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
13. चनासमा कामर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात)
14. मीनाचिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
15. पालघाट को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (केरल)
16. तिरूर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
17. पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)
18. तिरुनवेली जंक्शन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
19. बिजनोर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश)
20. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात)
21. दी अकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)

* पंजाब नेशनल बैंक में विलयन किया गया।

जारी..

22. नासिक मर्चेन्ट्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)
23. केरल स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
24. मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
25. पेरियार सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
26. विनाड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
27. मदुराई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
28. वीटा मर्चेन्ट्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)
29. एर्नाकुलम् डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
30. त्रिचुर डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)

II. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में पुनः शामिल बैंकों के नाम

1. लांगपी देहांगी रूरल बैंक (असम)
2. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश)
3. पुरी ग्राम्य बैंक (उड़िसा)
4. बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बिहार)

———0———

अनुबंध - VIII

निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना/उधारकर्ता की श्रेणी	जून के अंत की स्थिति							मार्च के अंत की स्थिति						कुल के प्रति कालम 14 का प्रतिशत
	1972	1981	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
छोटे उधारकर्ता														
(क) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ														
I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	205.71	3546.24	5736.44	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	100.00
i) कृषक और काश्तकार	134.67	2267.52	3594.84	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	67.84
ii) परिवहन चालक	28.29	477.56	937.68	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58						
iii) फुटकर व्यापारी	28.34	398.86	574.80	709.84	972.45	1191.85	1257.99	1795.38	14519.56$	8727.03$	8973.00$	7514.44$	8102.11	
iv) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	9.14	165.66	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99						30.76
v) व्यावसायिक उपक्रम	5.27	150.08	239.62	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18						
vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	-	86.56	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	1.40
II. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	2.56	10.89	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	-	#	#	
III. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	0.12	1.32	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	
IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	-	-	-	5.69*	10.76	14.96	25.00	35.19	20.70	10.98	13.77	14.34	8.08	
i) परिवहन चालक	-	-	-	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31						
ii) फुटकर व्यापारी	-	-	-	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51	20.70$	10.98$	13.77$	14.34$	8.08	
iii) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	-	-	-	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74						
iv) कारोबारी उद्यम	-	-	-	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63						
I, II, III तथा IV का जोड़	208.39	3558.45	5773.83	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	100.00

अनुबंध - VIII (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
लघु उद्योग उधारकर्ता														
(ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना														
I. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग इकाइयाँ	-	3716.43@	4153.73	4890.96	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	
कुल जोड़ (क) + (ख)	208.39	7274.88	7727.56	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53+	46543.18+	43605.50	41850.49	

@ 31 मार्च 1991 की स्थिति

* 31 दिसंबर 1994 की स्थिति

£ विभिन्न सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण प्राप्त न होने के कारण इन कालमों में दर्शाए गए आँकड़े (i) वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में प्रेषणों से वास्तविक प्राप्तियों (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आँकलनों पर आधारित हैं।

$ गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

\+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण 31 मार्च 1990 और 1991 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनन्तिम आँकड़े क्रमशः रु. 35851.33 और रु. 37410.16 करोड़ हैं।

\# 1 अप्रैल 1992 से समाप्त।

अनुबंध - IX

छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		(कॉलम 4 और 5) के अनुसार निपटाये गये दावों में से					
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		अस्वीकृत दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1977 के अंत तक	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23
1978 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
1979 के दौरान	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
1980 के दौरान	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
1981 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,218	9.08	582	0.28	1,232	1.77
1982 के दौरान	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
1983 के दौरान	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
1984 के दौरान	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
1985 के दौरान	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
1986 के दौरान	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
1987 के दौरान	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
1988-89 के दौरान (15 माह)	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
1989-90 के दौरान	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
1990-91 के दौरान	20,87,582	505.05	19,00,904	427.17	18,62,607	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
1991-92 के दौरान	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
1992-93 के दौरान	@36,81,272	@883.29	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
जोड़ "क"	**1,34,33,374@**	**3201.43@**	**1,13,95,959**	**2517.86**	**1,08,27,230**	**2299.15**	**2,84,056**	**134.99**	**2,84,673**	**83.72**
1993-94 के दौरान										
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	46,72,831@	1167.58@	33,58,615	1026.26	32,88,306	816.42	5,782	188.79	64,527	21.05
2. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	54	0.02	87	0.10	47	0.02	–	–	40	0.08
जोड़ "ख" (1+2+3)	**46,72,885@**	**1167.60@**	**33,58,702**	**1026.36**	**32,88,353**	**816.44**	**5,782**	**188.79**	**64,567**	**21.13**
कुल जोड़ (क+ख)	**1,81,06,259@**	**4369.03@**	**1,47,54,661**	**3544.22**	**1,41,15,583**	**3115.59**	**2,89,838**	**323.78**	**3,49,240**	**104.85**

@ अनन्तिम

	विचाराधीन दावों का ब्योरा	
	संख्या	राशि
1. संसाधित परन्तु भुगतान के लिये विचाराधीन हैं तथा जिन्हें संसाधित किया जाना है	22,54,200@	563.29
2. संसाधित परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन	10,97,338@	261.52
जोड़	33,51,598@	824.81

अनुबंध - X

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उधारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1993 तक प्राप्त कुल दावे		1993-94 के दौरान प्राप्त दावे		कॉलम 6 की कुल राशि का प्रतिशत@	31 मार्च 1994 तक कुल जोड़		कॉलम 9 की कुल राशि का प्रतिशत@
		संख्या@	राशि@	संख्या@	राशि@		संख्या (3+5)@	राशि (4+6)@	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	कृषक और काश्तकार	63,41,855	1,415.23	19,83,640	435.40	37.29	83,25,495	1,850.63	42.36
2.	परिवहन चालक	5,22,004	350.82	1,70,560	98.55	8.44	6,92,564	449.37	10.28
3.	फुटकर व्यापारी	32,64,687	860.73	14,58,407	403.52	34.56	47,23,094	1,264.25	28.93
4.	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	12,18,593	267.43	4,03,270	104.85	8.98	16,21,863	372.28	8.52
5.	कारोबारी उद्यम	9,34,162	210.56	3,98,597	99.83	8.55	13,32,759	310.39	7.11
6.	विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	11,15,826	90.75	2,35,981	21.48	1.84	13,51,807	112.23	2.57
7.	उपभोग और मकान या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ	36,247	5.91	22,430	3.97	0.34	58,677	9.88	0.23
	जोड़	1,34,33,374	3,201.43	46,72,885	1,167.60	100.00	1,81,06,259	4,369.03	100.00

@ अनन्तिम।

अनुबंध - XI

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		निपटाये गये दावों में से					
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		निरस्त दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1308	1.74	–	–	–	–	–	–	–	–
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 (15 माह)	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27
पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91
पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992	78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61
पहली अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1993	129968	259.98	118147	243.21	100751	94.92	16261	110.35	1135	37.94
पहली अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1994	144165	323.16	123031	287.72	93008	73.56	25728	162.22	4295	51.95
जोड़	738427	1859.88	694017	1769.59	565868	799.21	115465	700.13	12684	270.25

31 मार्च 1994 को विचाराधीन दावों की शाखावार स्थिति

	संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
नागपुर	4005	29.09
कलकत्ता	26626	22.35
मद्रास	4709	12.43
नई दिल्ली	9070	26.42
	44410	90.29

अनुबंध - XII

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	दावा राशि	31 मार्च 1993 को विचाराधीन दावे		वर्ष के दौरान प्राप्ति		वर्ष के दौरान निपटान						वर्ष के दौरान कुल निपटान		31 मार्च 1994 को विचाराधीन दावे	
						अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		निरस्त दावे					
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	रु. 25,000/- तक	21101	10.99	129637	70.69	89270	43.50	18140	14.38	3033	2.61	110443	60.49	40295	21.19
2.	रु. 25,000/- से अधिक परंतु रु. 1/- लाख तक	1306	5.78	9323	36.35	3010	11.86	4417	16.86	562	2.33	7989	31.05	2640	11.08
3.	रु. 1/- लाख से अधिक और रु. 5/- लाख तक	617	13.51	3780	85.54	673	13.18	2292	54.07	309	7.39	3274	74.64	1123	24.41
4.	रु. 5/- लाख से अधिक और रु. 8/- लाख तक	75	4.61	580	36.43	19	1.14	419	26.12	88	5.73	526	32.99	129	8.05
5.	रु. 8/- लाख से अधिक	177	19.96	845	94.15	36	3.87	460	50.79	303	33.89	799	88.55	223	25.56
	जोड़	23276	54.85	144165	323.16	93008	73.55	25728	162.22	4295	51.95	123031	287.72	44410	90.29

अनुबंध - XIII

वर्ष 1981 से 1993-94 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	योजना	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 माह)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36
2.	लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971*	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	–	–	–
3.	सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971*	×	×	×	×	×	×	×	×	0.01	0.01	0.01	–	–
4.	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	–	–	–	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12
5.	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61
	जोड़	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88	702.78	846.09

×	1981	रु. 39,000/-	×	1985	रु. 5,000/-
×	1982	रु. 73,000/-	×	1986	रु. 1,000/-
×	1983	रु. 14,000/-	×	1987	रु. 7,000/-
×	1984	रु. 25,000/-	×	1988-89	रु. 58,000/-

* ये योजनाएँ 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दी गई हैं।

अनुबंध - XIV

31 मार्च 1994 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण		दर %	जमा बीमा निधि				ऋण गारंटी निधि				सामान्य निधि			
				अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(क)	जिन प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास हुआ है														
1.	6.50% ऋण	2003	69.60	2.66	2.67	1.85	69.29	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	6.75% ऋण	2006	66.96	16.72	16.71	11.19	66.96	–	–	–	–	2.15	2.15	1.44	66.98
3.	6.75% ऋण	2007	65.15	1.12	1.12	0.73	65.18	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	7% ऋण	2009	65.45	40.63	40.66	26.59	65.40	–	–	–	–	0.05	0.05	0.03	60.00
5.	7.50% ऋण	2010	68.25	52.58	50.63	35.88	70.87	–	–	–	–	5.87	5.84	4.01	68.44
6.	8% ऋण	2011	71.22	129.03	119.79	91.89	76.71	–	–	–	–	6.80	6.24	4.84	77.56
7.	8.75% ऋण	2010	76.81	3.78	3.78	2.91	76.98	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	9% ऋण	2013	77.68	101.13	99.24	78.56	79.16	–	–	–	–	15.00	15.02	11.65	77.56
9.	9.50% ऋण	2008	83.28	6.02	5.92	5.02	84.80	17.17	17.04	14.30	83.92	0.65	0.65	0.54	83.08
10.	10% ऋण	2014	84.92	46.81	46.67	39.67	85.19	33.05	33.06	28.07	84.91	10.95	10.97	9.30	84.77
11.	10.25% ऋण	2012	87.18	13.41	13.43	11.69	87.04	26.17	26.20	22.81	87.06	10.26	10.27	8.94	87.05
12.	10.50% ऋण	2014	88.63	55.97	55.96	49.61	88.65	–	–	–	–	7.39	7.38	6.55	88.75
13.	10.50% ऋण	1996(II)	97.00	–	–	–	–	25.00	25.00	24.25	97.00	–	–	–	–
14.	10.50% ऋण	1996	97.30	9.11	9.16	8.86	96.72	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	11.50% ऋण	2006	96.85	85.28	86.47	82.59	95.51	20.57	20.57	19.92	96.84	2.00	2.00	1.94	97.00
16.	11.50% ऋण	2008	96.63	5.85	5.85	5.65	96.58	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	11.50% ऋण	2009	96.55	109.60	109.87	105.82	96.31	102.38	102.42	98.85	96.51	–	–	–	–
18.	11.50% ऋण	2011	96.39	81.32	80.36	78.39	97.55	8.68	8.42	8.37	99.41	–	–	–	–
19.	11.50% ऋण	2015	96.18	87.12	87.14	83.79	96.15	–	–	–	–	11.10	11.12	10.68	96.84
20.	12% सरकारी स्टाक	1997	99.97	–	–	–	–	51.00	50.99	50.98	99.98	–	–	–	–
21.	12.75% सरकारी स्टाक	1996	100.00*	6.50	6.54	6.50	99.39	38.00	38.21	38.00	99.45	–	–	–	–
22.	13.40% सरकारी स्टाक	2002	100.00*	54.20	54.47	54.20	99.50	105.60	106.13	105.60	99.50	–	–	–	–
23.	11.50% ऋण	2007	96.70	–	–	–	–	–	–	–	–	0.03	0.03	0.03	100.00
	जोड़ (क)			908.84	896.44	781.48	87.18	427.62	428.04	411.15	96.05	72.25	71.72	59.95	83.59
(ख)	जिन प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि हुई है														
1.	5.75% ऋण	2002	67.81	3.00	1.86	2.03	109.14	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	11.50% ऋण	2008	96.63	–	–	–	–	8.35	7.80	8.07	103.46	–	–	–	–

जारी..

अनुबंध - XIV (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3.	12% सरकारी स्टाक 1995	100.00*	31.78	31.78	31.78	100.00	11.50	11.50	11.50	100.00	–	–	–	–
4.	12% ऋण 2011	100.00*	77.04	76.70	77.04	100.44	348.07	345.62	348.07	100.71	–	–	–	–
5.	12.30% सरकारी स्टाक 1998	101.28	36.40	36.40	36.87	101.29	44.55	44.61	45.12	101.14	–	–	–	–
6.	12.50% ऋण 2007	103.25	22.90	23.00	23.64	102.78	361.10	362.57	372.84	102.83	–	–	–	–
7.	12.60% सरकारी स्टाक 2000	102.54	–	–	–	–	45.00	45.09	46.14	102.33	–	–	–	–
8.	12.70% सरकारी स्टाक 2001	103.45	–	–	–	–	75.00	75.15	77.59	103.25	–	–	–	–
	जोड़ (ख)		171.12	169.74	171.36	100.95	893.57	892.34	909.33	101.90	–	–	–	–

क्र.सं.	विवरण	दर@	अंकित मूल्य	31.3.94 तक उपचित ब्याज सहित लागत मूल्य	मूल्य	मूल लागत

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(ग)	**भारत सरकार के बांड्स**													
1.	जीरो कूपन्स बांडस् 1999	53.90	125.00	71.09	67.37	69.36								
	जोड़ (ग)		125.00	71.09	67.37	69.36								

क्र.सं.	परिपक्वता तारीख	अंकित मूल्य	लागत	दर	प्राप्ति		अंकित मूल्य	लागत	दर	प्राप्ति	अंकित मूल्य	लागत	दर	प्राप्ति
(घ)	**भारत सरकार के 364 दिवसीय खजाना बिल**													
1.	29 अप्रैल 1994	0.84	0.77	90.7654 से 95.0967	10.20% से 10.80%		–	–	–	–	–	–	–	–
2.	27 मई 1994	0.50	0.46	91.1423	10.75%		–	–	–	–	–	–	–	–
3.	5 अगस्त 1994	–	–	–	–		–	–	–	–	0.50	0.45	90.2269	10.86%
4.	14 अक्तूबर 1994	0.15	0.14	94.9000	9.59%		1.10	1.04	94.90	9.59%	–	–	–	–
5.	28 अक्तूबर 1994	1.59	1.50	94.2070 से 94.2816	9.60% से 9.61%		–	–	–	–	–	–	–	–
	जोड़ (घ)	3.08	2.87	–	–		1.10	1.04	–	–	0.50	0.45	–	–
	जोड़: (क)+(ख)+(ग)+(घ)	1,208.04	1,140.14				1,322.29	1,321.42			72.75	72.17	–	–

	निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास (करोड़ रुपये)	वर्तमान प्रावधान (करोड़ रुपये)	किया गया अतिरिक्त प्रावधान (करोड़ रुपये)
1. जमा बीमा निधि	118.68	161.75	शून्य
2. ऋण गारंटी निधि	16.89	67.20	शून्य
3. सामान्य निधि	11.77	16.38	शून्य

* सांकेतिक बाजार दरें परिपक्वता आधार पर 12% प्राप्ति पर आधारित हैं।

@ 28 मार्च 1994 की भारतीय रिज़र्व बैंक की सूची के अनुसार।

तुलनपत्र
और
आय - व्यय लेखे

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हबीब एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
पठारिया पैलेस,
75, मोहम्मद अली रोड,
बम्बई 400 003.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1994 तक के (i) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (ii) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

i) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये;

ii) उपर्युक्त तुलन पत्र और आय व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीति और लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया है:

(क) तुलन पत्रों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (ii) उपर्युक्त निगम की निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1994 की स्थिति।

(ख) आय व्यय लेखों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि के मामले में अतिरिक्त और (ii) निगम की ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के घाटे की उपर्युक्त तारीखों की स्थिति।

वास्ते हबीब एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

ह.

(ए. वाइ. काबली)
पार्टनर

बम्बई,
दिनांक 24 जून 1994

निक्षेप बीमा और

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के

(विनियम 18

31 मार्च 1994 की कारोबार समाप्ति

I जमा बीमा

पिछले वर्ष							
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		देयताएँ	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
लाख रुपये	लाख रुपये			लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
8958.00	90749.00	1.	निधि (वर्ष के अंत में शेष)		8030.00		152073.00
22166.60	–	2.	अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष)		12485.33		–
8416.99	6720.21	3.	निवेश रिज़र्व: वर्ष के आरंभ में शेष	16174.88		6720.21	
7757.89	–		जोड़िए: वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	–		–	
116174.88	6720.21				16174.88		6720.21
–	178.23	4.	ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और स्वीकार कर लिए गये हैं परंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है		–		2023.11
1493.23	6996.73	5.	प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार न किये गये दावों के मामले में अनुमानित देयता		811.62		74191.36
82.83	–	6.	अदावाकृत बीमा राशियाँ		82.70		–
		7.	अन्य देयताएँ				
2953.55	238.65		I) फुटकर लेनदार	5284.24		2119.22	
47585.83	–		II) ऋण गारंटी निधि	85804.95		–	
11694.00	–		III) आयकर के लिए प्रावधान	12081.45		–	
62233.38	238.65				103170.64		2119.22
111108.92	167854.82		जोड़		140755.17		237126.90

टिप्पणी: *जीरो कूपन बाँडों पर उपचित रु. 173.41 लाख के निवल समायोजनों का निवेश बाजार मूल्य।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स हबीब एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ए. वाइ. काबली)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक: 24 जून 1994

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(एस. एन. राजदान)
निदेशक

(सुश्री मोना शर्मा)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(एम. के. सिन्हा)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म ''क'')
के समय का तुलन-पत्र
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष जमा बीमा निधि लाख रुपये	पिछले वर्ष ऋण गारंटी निधि लाख रुपये		आस्तियाँ	जमा बीमा निधि लाख रुपये	जमा बीमा निधि लाख रुपये	ऋण गारंटी निधि लाख रुपये	ऋण गारंटी निधि लाख रुपये
19.69	309.25	1.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा		2.27		422.79
89298.57	100511.54	2.	केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		113841.09		132141.62
			जमा बीमा निधि लाख रुपये / ऋण गारंटी निधि लाख रुपये				
		अंकित मूल्य	120803.74 / 132229.11				
		बाजार मूल्य*	102156.35 / 132157.81				
3184.78	3009.98	3.	निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		4124.87		4030.03
		4.	अन्य आस्तियाँ				
36.25	104.24		I) बैंकों/ऋण संस्थाओं में किस्त, गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया	306.73		800.19	
8.74	14.27		II) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	4.91		145.82	
0.06	–		III) गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक के परिसमापक के पास राशि	0.06		–	
–	47585.83		IV) जमा बीमा निधि	–		85804.95	
18560.83	16319.71		V) स्रोत पर आयकर की कटौती	22475.24		13252.29	
–	–		VI) विविध देनदार	–		529.21	
18605.88	64024.05				22786.94		100532.46
111108.92	167854.82		जोड़		140755.17		237126.90

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारडा)
निदेशक

(पी.डब्ल्यू. रेगे)
निदेशक

(बी. राय)
निदेशक

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(पी. एन. जोशी)
निदेशक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और

(फार्म

31 मार्च 1995 को समाप्त

I जमा बीमा निधि

पिछले वर्ष जमा बीमा निधि लाख रुपये	पिछले वर्ष ऋण गारंटी निधि लाख रुपये	व्यय	जमा बीमा निधि लाख रुपये	जमा बीमा निधि लाख रुपये	ऋण गारंटी निधि लाख रुपये	ऋण गारंटी निधि लाख रुपये
57.13	88246.04	दावे	220.51		115256.93	
~~3899.06~~	~~62549.57~~	(क) वर्ष के दौरान अदाकृत	~~57.13~~		~~88246.04~~	
-	~~178.23~~ 2023.11	(ख) स्वीकारे गये किंतु अदा न किये गये दावे	-		~~2023.11~~ 2025.56	
		जोड़िये:				
811.62 1493.23	~~69968.73~~ 74191.36	वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामले में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये परन्तु स्वीकृत नहीं किये गये हैं	~~811.62~~ 1592.36		~~74191.36~~	101732.50
868.75 ~~5392.29~~	~~132696.53~~ 164460.51		~~868.75~~ 1812.87		164460.51	219015.39
		घटाइए:				
624.25 ~~5096.62~~	~~37711.25~~ 69968.73	उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो प्राप्त हो चुके थे किंतु पिछले वर्ष के अंत तक स्वीकृत नहीं हुए हैं ~~रु. 1493.23 लाख घटाकर पुनरांकित रु.868.98 लाख अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)~~ जोड़िये: पुनरांकित 6591.05 लाख अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)	~~824.25~~ 811.62		69968.73	74191.36
—	—		591.05		—	144824.03
295.67	94985.28	निवल दावे		1592.30 ~~244.50~~		94491.78
— ~~7757.89~~	-	निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		2247.88		-
— -	~~89.01~~	निवेश की बिक्री पर घाटा		-		-
— ~~1075.00~~	75.04	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		-		~~75.04~~
8030.00 ~~8958.00~~	~~90749.00~~ 152073.00	वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		~~8030.00~~ 16885.00		~~152073.00~~ 179271.00
28925.30 ~~14078.16~~	-	नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष	22547.30	~~28925.30~~		-
37199.80 ~~32164.72~~	~~185773.29~~ 246639.82		43272.48	~~37199.80~~	324095.03	~~246639.82~~
— -	20189.79 38219.12	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा		-		~~38219.12~~ 34868.75
38219.12 ~~20189.79~~		ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा)		34868.75 ~~38219.12~~		
23.75	-	वित्त वर्ष 1992–93 के आयकर के लिए अल्प प्रावधान		~~93.76~~		-
363.70	-	वित्त वर्ष 1989–90 के आयकर के लिए अल्प प्रावधान		~~363.70~~		-
12485.33 ~~22166.60~~	-	तुलन-पत्र में लाया गया शेष	163.88	~~12485.33~~		-
51091.90 ~~42356.39~~	~~20189.79~~ 38219.12	जोड़:		~~51091.90~~ 35032.63		~~38219.12~~ 34868.75

टिप्पणी: जहाँ आवश्यक हुआ पिछले वर्षों के आँकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स हबीब एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ए. वाइ. काबली)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक: 24 जून 1994

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(एस. एन. राजवान)
निदेशक

(सुश्री मोना शर्मा)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(एम. के. सिन्हा)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

'ख')

वर्ष का आय-व्यय लेखा

और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष जमा बीमा निधि लाख रुपये	पिछले वर्ष ऋण गारंटी निधि लाख रुपये	आय	जमा बीमा निधि (लाख रुपये)	ऋण गारंटी निधि (लाख रुपये)	जमा बीमा निधि लाख रुपये	ऋण गारंटी निधि लाख रुपये
~~12246.00~~ 8958.00	~~75108.00~~ 50749.00	वर्ष के आरंभ में निधि शेष			~~8958.00~~ 8030.00	~~90749.00~~ 152073.00
~~10597.06~~ 15635.12		– जमा बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित)			~~15635.12~~ 19328.56	-
-	~~70278.04~~ 84608.65	गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)			-	~~84608.65~~ 82913.71
~~374.94~~ 131.57	~~7049.17~~ 13473.67	जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ (ब्याज सहित)			~~131.57~~ 1705.79	~~13473.67~~ 33113.22
868.98		– जमा बीमा दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान (पुनरांकित दुतरफा)			~~868.98~~ 591.05	-
~~8946.72~~ 10783.41	~~13148.29~~ 18463.27	निवेश से प्राप्त आय (सकल)			~~10783.41~~ 13603.80	~~18463.27~~ 21101.43
		स्रोत पर कर की कटौती वर्ष 1994-95	~~2396.65~~ 2543.77	~~3882.45~~ 4492.03		
		पिछले वर्ष	~~1922.28~~ 2396.65	~~3027.75~~ 3882.45		
822.72	1126.11	अग्रिम कर/टीडीसी पर ब्याज			~~822.72~~ 12.28	~~1126.11~~ 20.92
-	~~20189.79~~ 38219.12	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा			-	~~38219.12~~ 34868.75
~~32164.72~~ 37199.80	~~185773.29~~ 246639.82				~~37199.80~~ 43272.48	~~246639.82~~ 324095.03
~~28278.23~~ 22166.60		– पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			~~22166.60~~ 12465.33	-
~~14078.16~~ 28925.30		– नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष			~~28925.30~~ 22547.30	34868.75
-	~~20189.79~~ 38219.12	जमा बीमा निधि से अंतरण (दुतरफा)			-	~~38219.12~~
~~42356.39~~ 51091.90	~~20189.79~~ 38219.12	जोड़:			~~51091.90~~ 35032.63	~~38219.12~~ 34868.75

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारडा)
निदेशक

(पी. डब्ल्यू. रेगे)
निदेशक

(बी. राय)
निदेशक

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(पी. एन. जोशी)
निदेशक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

पिछले वर्ष (लाख रुपये)		देयताएँ	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
5,000.00	1.	**पूंजी** निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी			5,000.00
	2.	**प्रारक्षित निधियाँ**			
		(क) सामान्य रिज़र्व			
1,770.64		वर्ष के आरंभ में शेष	1,338.96		
431.68		घटाइए: आय व्यय लेखा से अंतरित घाटा	209.61		
1,338.96		वर्ष के अंत में शेष		1,129.35	
		(ख) निवेश रिज़र्व			
1250.24		वर्ष के आरंभ में शेष	1,638.47		
388.23		जोड़िए: वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	–		
1,638.47		वर्ष के अंत में शेष		1,638.47	
22.51		(ग) पूंजी रिज़र्व		22.51	
2,999.94					2,790.33
	3.	**चालू देयताएँ और प्रावधान**			
466.98		बकाया व्यय	452.94		
0.32		विविध लेनदार	1.03		
223.00		आयकर के लिए प्रावधान	223.00		
690.30					676.97
8,690.24		**जोड़:**			8,467.30

आकस्मिक देयताएँ: निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 के संबंध में रु.48.32 करोड़ (ब्याज सहित) आयकर माँग अपील के अधीन है। तथापि आयकर

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स हबीब एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ए. वाइ. काबली)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक: 24 जून 1994

(डी. आर. मेहता)
अध्यक्ष

(एस. एन. राजदान)
निदेशक

(सुश्री मोना शर्मा)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(एम. के. सिन्हा)
निदेशक

(एस. के. कपूर)
महा प्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म ''क'')

के समय का तुलन-पत्र

निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)		आस्तियाँ	लाख रुपये	लाख रुपये
	1.	नकद		
0.12		(i) हाथ में	0.13	
4.43		(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	28.67	
4.55				28.80
7,586.31	2.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		7,217.65
		(लाख रुपये)		
		अंकित मूल्य 7,275.49		
		बाजार मूल्य 6,045.35		
268.38	3.	निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		256.44
	4.	अन्य आस्तियाँ		
22.31		क) मूल्यह्रास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण	18.93	
1.40		ख) लेखन सामग्री का स्टाक	1.37	
2.75		ग) पूर्वदत्त व्यय	2.73	
45.69		घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ	47.86	
758.85		ङ) आयकर कटौती स्रोत पर	889.93	
		च) बकाया राशि		
–		(i) ऋण गारंटी निधि में	0.11	
–		(ii) जमा बीमा निधि में	3.48	
831.00				964.41
8,690.24		जोड़:		8,467.30

विभाग द्वारा इसका समायोजन अन्य वर्षों की धनवापसी में किया गया है।

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारडा)
निदेशक

(पी. डब्ल्यू. रेगे)
निदेशक

(बी. राय)
निदेशक

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(पी. एन. जोशी)
निदेशक

(ओ. पी. अरोड़ा)
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(फार्म "ख")

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

II सामान्य निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	व्यय	(लाख रुपये)	पिछले वर्ष (लाख रुपये)	आय	(लाख रुपये)
715.87	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान (पिछले वर्षों के संबंध में रु. 0.77 लाख सहित)	706.69	754.22	निवेशों से आय (सकल) (स्रोत पर आयकर की कटौती रु. 177.96 लाख) (पिछले वर्ष : रु. 180.80 लाख)	718.30
15.63	कर्मचारी पेंसन और उपदान निधि में अंशदान (पिछले वर्षों के संबंध में रु. 51.78 लाख सहित)	77.50	78.28	लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन दावा अदाकृत लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ (पिछले वर्ष के संबंध में रु. 3.00 लाख का निवल समायोजन)	14.01
0.02	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.02			
0.08	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.08			
81.94	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि (पिछले वर्षों के संबंध में रु. 5.05 लाख सहित)	90.13	0.93	विविध प्राप्तियाँ	0.97
			–	अग्रिम कर/स्रोत पर कर कटौती पर ब्याज	3.44
10.23	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	9.07			
6.64	मुद्रण और लेखन सामग्री	8.22	431.68	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया	209.61
3.54	डाक, तार और टेलीफोन	4.55			
0.35	लेखा परीक्षकों का शुल्क	0.49			
1.62	विधि प्रभार	2.69			
36.68	विविध व्यय	43.10			
4.28	मूल्यह्रास	3.75			
388.23	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	–			
–	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च नीचे लाया गया	–			
1,265.11	जोड़	946.33	1,265.11	जोड़	946.33
431.68	शेष नीचे लाया गया	209.61	431.68	सामान्य रिज़र्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष	209.61
–	आय की तुलना में अधिक खर्च सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया	–	–	शेष नीचे लाया गया	–
431.68	जोड़	209.61	431.68	जोड़	209.61

टिप्पणी: प्रधान कार्यालय की प्रथा के अनुसार और मद्रास कार्यालय के स्तर पर अब तक की प्रथा के विपरीत शाखाओं पर भुगतान/दायित्व आधार पर हिसाब के बजाय बाकी तीन शाखाओं के स्टाफ की उपदान देयता के रूप में रु. 62.49 लाख (पिछले वर्षों के संबंध में रु. 51.78 लाख सहित) का तदथ प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप आय-व्यय खाता पर रु. 62.49 लाख का अधिक प्रभार है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स हबीब एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ए. वाइ. काबली)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक: 24 जून 1994

(डी. आर. मेहता) अध्यक्ष
(एस. एन. राजदान) निदेशक
(सुश्री मोना शर्मा) निदेशक
(यू. महेश राव) निदेशक
(एन. पी. सारडा) निदेशक
(पी. डब्ल्यू. रेगे) निदेशक
(एस. एच. खान) निदेशक
(एम. के. सिन्हा) निदेशक
(बी. राय) निदेशक
(गंगाधर गाडगिल) निदेशक)
(पी. एन. जोशी) निदेशक
(एस. के. कपूर) महा प्रबंधक
(ओ. पी. अरोड़ा) मुख्य लेखाकार

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

वित्तीय विवरण लाभकारी कारोबार संस्थान विचारधारा को ध्यान में रखते हुए और ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

2. आय और खर्च पहचान

i) आय और व्यय की मदें अन्यथा स्थिति को छोड़कर सामान्यत: उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

ii) जमा बीमा किस्त और गारंटी शुल्क प्राप्तियों का सामान्यत: जमा राशियों और गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण प्राप्त होने के पश्चात् विनियोजन राजस्व आय में किया जाता है। यदि लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक ऐसे विवरण प्राप्त न हों तो सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किया गया तदर्थ भुगतान यदि कोई हो तो उसे आय माना जाता है परन्तु, पिछले वर्षों के अभिलेखों की तुलना में यह राशि पर्याप्त होनी चाहिए। असमायोजित राशियाँ विविध लेनदार शीर्ष के अंतर्गत आगे ले जायी जाती हैं।

iii) जमा बीमा किस्तों और गारंटी शुल्क की वसूली न गयी राशि को तब तक आय में नहीं गिना जाता जब तक कि सहभागी ऋण संस्थाओं से संबंधित विवरण प्राप्त नहीं हो जाता।

iv) गारंटी शुल्क और बीमा किस्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज को ऐसे भुगतान की तारीख तक की आय में गिना जाता है और किस्तों/गारंटी शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज को आय नहीं माना जाता है।

v) निपटाये गये जमा बीमा दावों/अदाकृत गारंटी दावों के संबंध में प्रस्थापन अधिकारों के कारण वसूली (दंडस्वरूप ब्याजसहित) को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार निपटाये गये दावों और बाद में अपात्र पायी गयी वसूलियों को वसूली/समायोजन के बाद ही हिसाब में लिया जाता है।

vi) निवेशों पर ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

vii) ऋण गारंटी निधि से संबंधित ऐसे दावे जो सूचित तो हो गए हैं परन्तु स्वीकारे नहीं गए हैं, के संबंध में वर्षांत देयता प्रावधान पिछली प्रथा को ध्यान में रखते हुए यथोचित आधार पर किया जाता है।

viii) ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि के संबंध में वर्ष के अन्त में निधि शेष के रूप में देयता का बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

ix) गारंटी शुल्क की वापसी के लिए दावे और निपटाये गये दावों के बदले चुकौतियाँ निगम द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद हिसाब में ली जाती हैं। ऐसे वापसी दावों के संबंध में वर्षान्त देयता (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत आनेवाले मामलों सहित) और वर्ष की समाप्ति के समय निधि शेष के बीमांकिक मूल्यांकन पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं हो पाया है।

x) भारतीय रिज़र्व बैंक से कुछ संस्थागत व्ययों यथा छुट्टी, वेतन आदि से संबंधित प्रतिपूर्ति दावों को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. निवेश

i) निवेशों का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की खरीद दरें उपलब्ध हैं उन्हें बाजार दरें माना गया है तथा अन्य मामलों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अवधि समाप्ति सारणियों पर 12% आय की सांकेतिक दरों पर आधारित हैं।

ii) प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास का प्रावधान तुलन पत्र में निवेशों में कटौती करके नहीं किया जाता अपितु ऐसा प्रावधान लेखों के विवरण के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप निवेश रिज़र्व लेखा में संचयन के रूप में किया जाता है।

iii) जीरो कूपन बांडस् की अधिग्रहण लागत और प्रतिदेय मूल्य में अन्तर को आय माना जाता है तथा उसे बांड की अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक वित्त-वर्ष के हिसाब में आनुपातिक रूप से बीमांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iv) प्रतिभूतियों का अन्तर निधि अन्तरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

4. अचल आस्तियाँ

i) अचल आस्तियों को लागत में मूल्यह्रास कम कर के दर्शाया जाता है।

ii) मूल्यह्रास का प्रावधान अवलेखन मूल्य आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग विभाग की नियम पुस्तक में दर्शायी दरों पर किया जाता है।

5. लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)

सरकार के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अन्तर्गत दावा अदाकृत के संबंध में प्रस्थापन अधिकार के रूप में समय-समय प्राप्त वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत उक्त योजना के अवशिष्ट कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत लागत खर्च के रूप में सामान्य निधि के आय व्यय लेखा के हिसाब में लिया जाता है।

6. कर्मचारी लागत

वेतन भत्तों, भविष्य निधि और उपदान निधि में योगदान जैसे कर्मचारी लागत खर्च भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यवस्था के अनुसार किए जाते हैं चूँकि निगम का संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

7. पिछली अवधि की आय/खर्च

रु. 25,000/- से अधिक आय और खर्च दोनों ही मामलों में पिछली अवधि की भूल चूक की मदें जो चालू अवधि में देखने में आयी हैं पिछली अवधि में जमा/नामे मानी जाती है।

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की रक्षा से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता करना, जिनके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरु की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कारवाई की श्रृंखला के रूप में शुरु की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहां दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यत: ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की कल्पना एक एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरु की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियां अधिनियमों में संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिए हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है परन्तु उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 87 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता रु. 1,00,000/- की अधिकतम मौद्रिक सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 5 पैसे वार्षिक की दर से अदा की जानेवाली

बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। यह प्रीमियम छमाही अंतरावधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण नि:शुल्क प्राप्त हो सके। अतिदेय किस्त पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से रु. 1,00,000/- तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा जमा करा सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा रु. 1,00,000/- में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिए गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया। जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :

(i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
(ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
(iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
(iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
(v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
(vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम द्वारा निम्नलिखित तीन योजनाएँ परिचालित की जाती हैं:-

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, 1 अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहरों, लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, लघु व्यावसायिक उपक्रमों, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरु की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण शामिल है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में गारंटी शुल्क 2.50% प्रतिवर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तारीख से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 1.25 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। अन्य दो योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 के मामले में गारंटी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतिदेय गारंटी शुल्क पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

क) स्वचालित थोक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की रक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्व-चालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उसके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वत: ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अत: सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी रक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं है।

ख) लाभ प्राथमिकता प्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:- फुटकर व्यापारियों के मामले में ऋण राशि सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनिटों के मामले में

संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है।

गारंटी को लागू करना

10. गारंटी के अधीन दावा प्रस्तुत करने से पहले ऋण संस्थाओं को पांच शर्तें पूरी करनी होती है, वे इस प्रकार हैं, i) अग्रिमों की प्राप्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी हो, ii) संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया जमाराशियों पर देय गारंटी शुल्क की अदायगी जब कभी देय हुई तब कर दी गयी है, iii) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने के लिए माँग नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक माह के भीतर गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो, iv) ऋण संस्थाओं द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध हैं और v) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो। निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करनी होगी कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, प्रतिभुओं के विरुद्ध और जहां कहीं प्रतिभुओं से वसूली की जा सकती हो वहां उसके लिए कारगर कार्रवाई करें। निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थिति 'चूक की राशि' का 50 प्रतिशत अदा करता है। अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों की वसूली के लिए लगातार कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फलस्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूली हुई राशि से घटाकर वसूली राशि में निगम का हिस्सा उसे प्रेषित कर दें। ऋण संस्थाओं को प्रतिभूति/जामिन को मुक्त करने, कानूनी कार्रवाई से छूट देने, बकाया राशियों के लिए समझौता करने और उन्हें कम करने, तथा बकाया राशियों को बट्टे खाते में डालने के लिए 22 फरवरी 1994 से अधिकार दे दिए गए हैं। इन मामलों में ऋण संस्थाओं को निगम की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि स्टाफ उत्तरदायित्व, धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन आदि से संबंधित प्रस्ताव पूर्वानुमोदन के लिए निगम को भेजे जाएँ। अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

———0———

अनुबंध
ऋण गारंटी योजनाएं – प्रमुख विशेषताएं

योजनाएँ	सहभागी पात्र संस्थाएं	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) <u>छोटे उधारकर्ता</u>				
i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
		ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
		iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) कृषक तथा खेतिहर प्रत्यक्ष वित्त		
		1) फसल उगाना	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो
		2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20,000 रुपये में से जो कम हो
		3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (अर्थात् 10,000रु.×3) में से जो कम हो
		4) संबद्ध कार्यकलापों के लिए		
		i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
		ii) रेशम उत्पाद	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
		iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
		v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)		

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		v) **कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त** (शीतगार के निर्माण तथा चलाने और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को छोड़कर जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार)	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये जो प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो
		vi) **शैक्षणिक** पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा वित्त प्रस्तुत की गयी विशेष योजना के अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा वैयक्तिकों को दी गई ऋण सुविधाएं।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
		vii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन** विशेष प्रयोजनों के लिए निवेश योग्य वस्तुओं की खरीद/आपूर्ति और/या हितापिकारियों को उत्पादों के विपणन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रवर्तित संगठनों को मंजूर किये गये अग्रिम।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
		viii) **आवास-प्रत्यक्ष वित्त** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को आवास निर्माण के लिए 5,000 रुपये तक दिये गये ऋण।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
		ix) **आवास-अप्रत्यक्ष वित्त** i) विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और न्यूनतम आय समूहों के हितों के लिए और जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई 5,000 रुपये से अधिक नहीं है वहाँ आवास निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गयी वित्तीय सहायता।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
		ii) विशेष रूप से उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन गंदी-बस्ती निर्मूलन और गंदी-बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गई वित्तीय सहायता।	वही	वही
		x) **उपभोग** उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
		ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
		iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) शैक्षणिक ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
		v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण	वही	वही
		vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000 से अधिक नहीं		
		क) व्यक्तिगत	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
		ख) सरकारी एजेन्सी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
		vii) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप		
		i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
		ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
		iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
		v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, लदाईवाले जानवरों आदि की खरीद	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो
		(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख) लघु उद्योग				
iii) **लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981**	वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ	i) लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से अनधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
		ii) बिना किसी सीमा के ऋण सुविधाओं सहित पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ	वही	वही
		iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित)	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
		लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ।	वही	(क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो।
		ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो।)	वही	वही
		iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण	वही	(ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यगत पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो।
		iv) ट्रैक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, थ्रेशर्स, कंबाईन आदि के समूह का रखरखाव करनेवाले और संविदा आधार पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिम।	वही	वही
		v) औद्योगिक संस्था औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण	वही	वही

बीमाकृत खातों की संख्या

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS

(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART - I

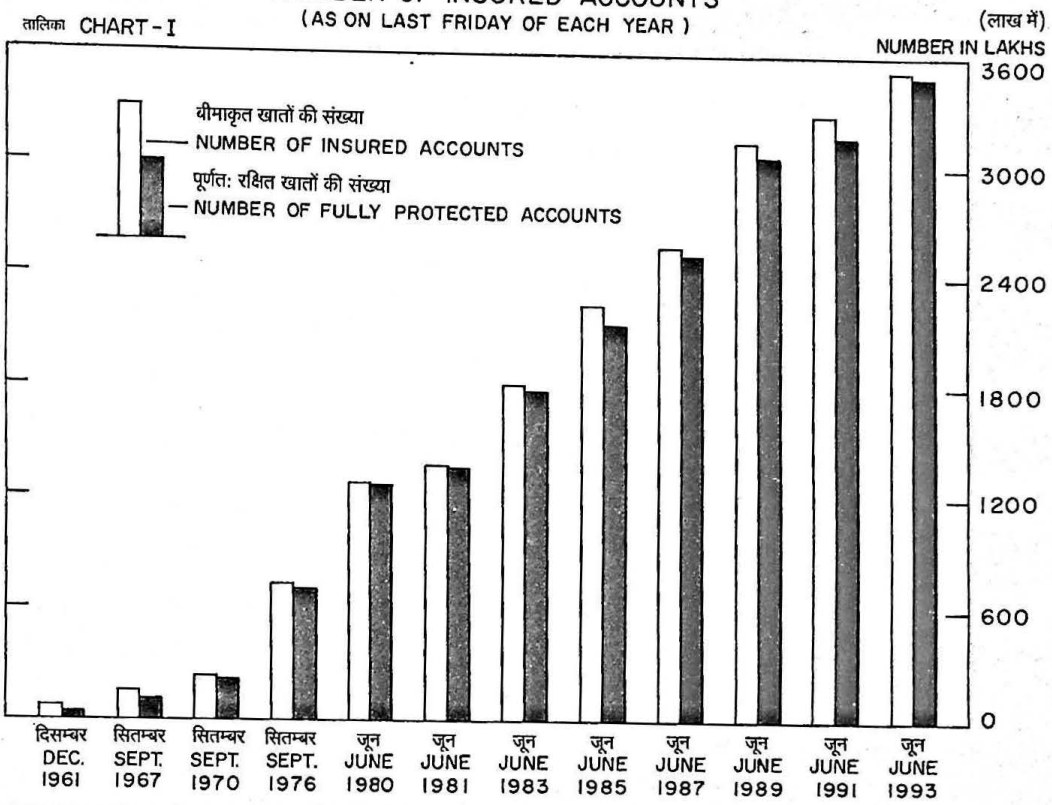

बीमाकृत जमाराशियों की रक़म

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

AMOUNT OF INSURED DEPOSITS

(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART - II

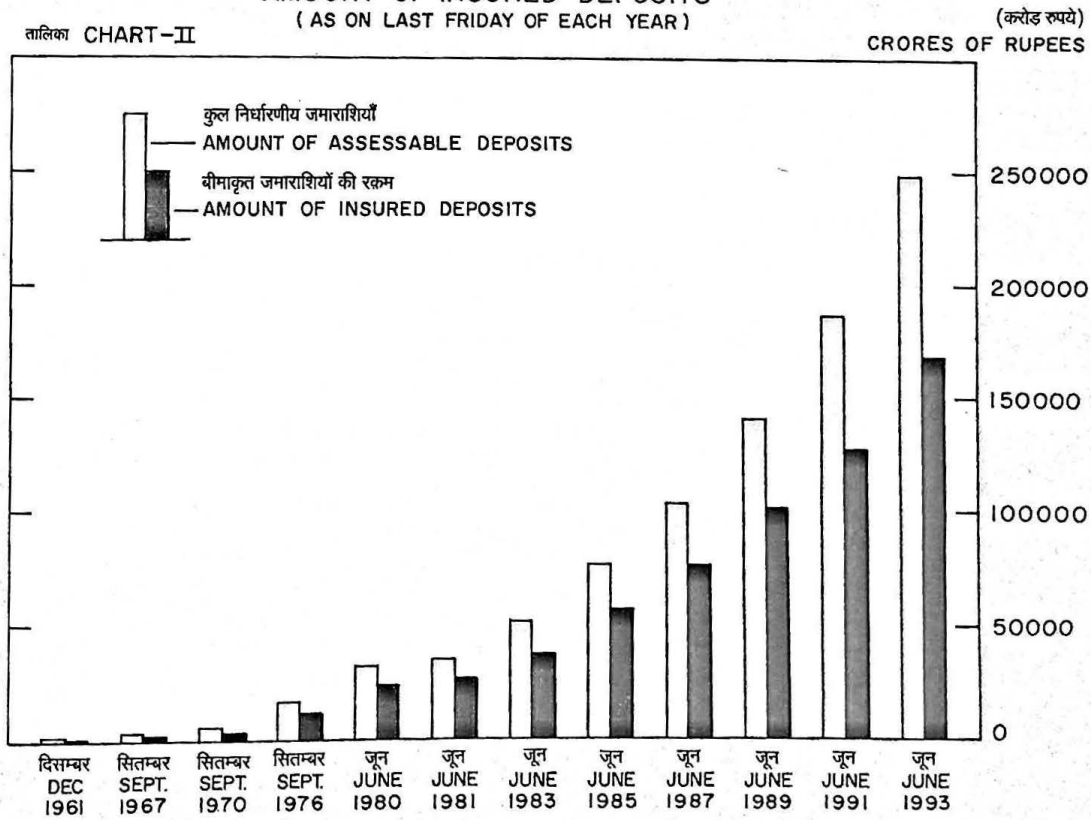

तालिका CHART–III

बीमाकृत बैंकों की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा की सीमा

(जून 1993 के अंतिम शुक्रवार को)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS IN INSURED BANKS

(LAST FRIDAY OF JUNE 1993)

खातों की कुल संख्या 3529.03 लाख
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
3529·03 LAKHS

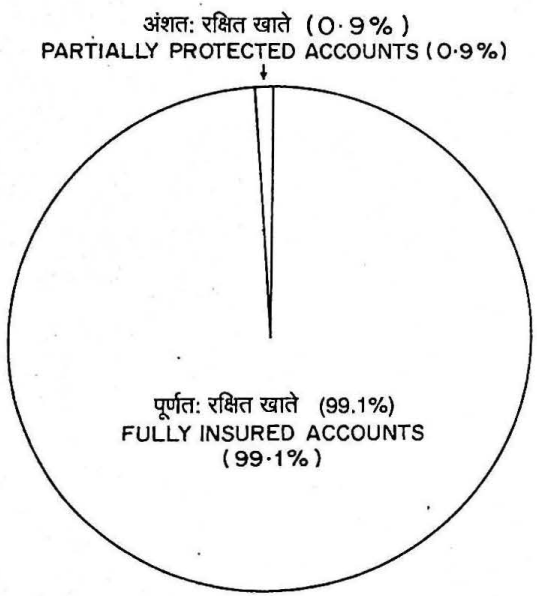

निर्धारणीय जमाराशियों की कुल रकम 249033·83 करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS
Rs. 249033·83 CRORES

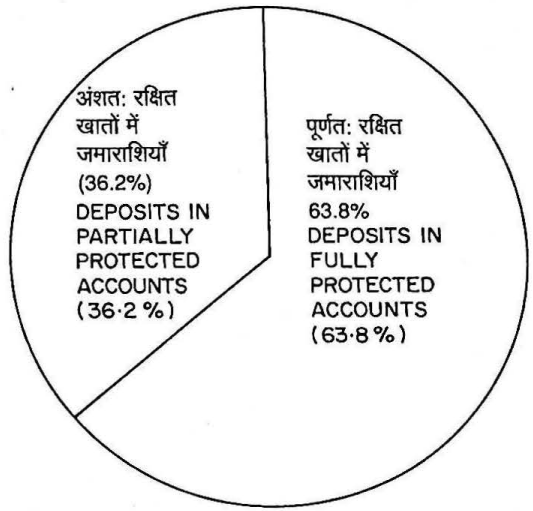

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(मार्च के अंत तक)
(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS
(END OF MARCH)
(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART IV

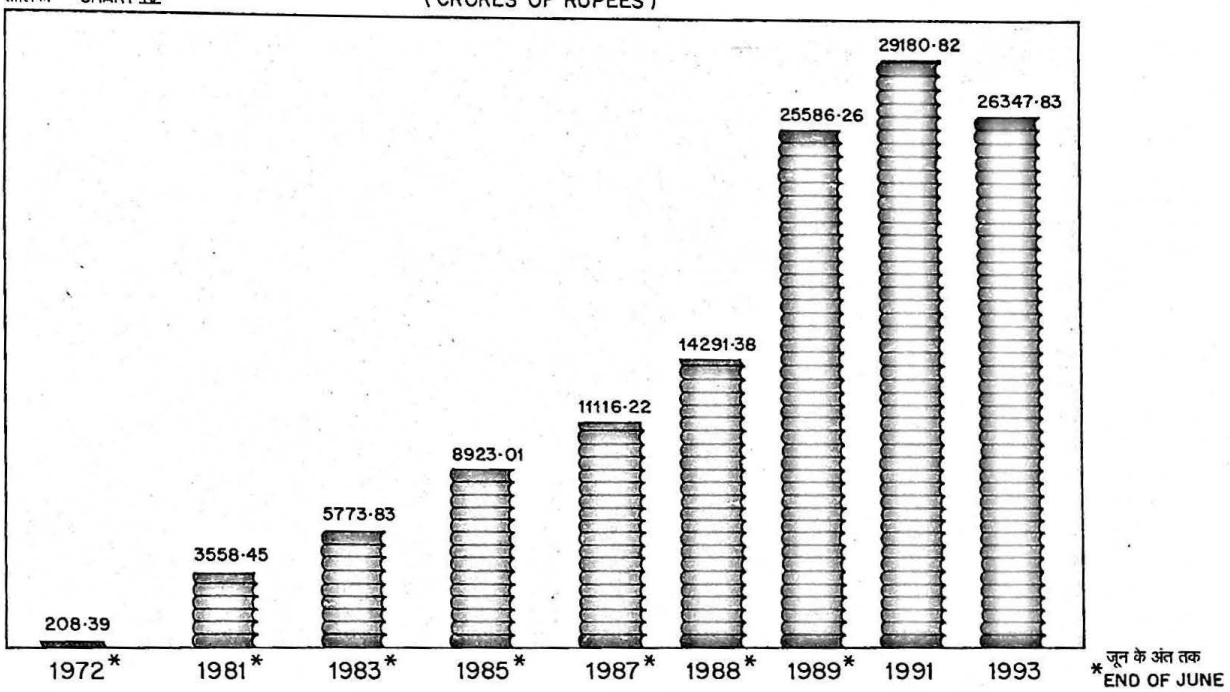

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में
गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण
(मार्च 1993 के अंत की स्थिति)

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS
(AS AT THE END OF MARCH 1993)

तालिका CHART V

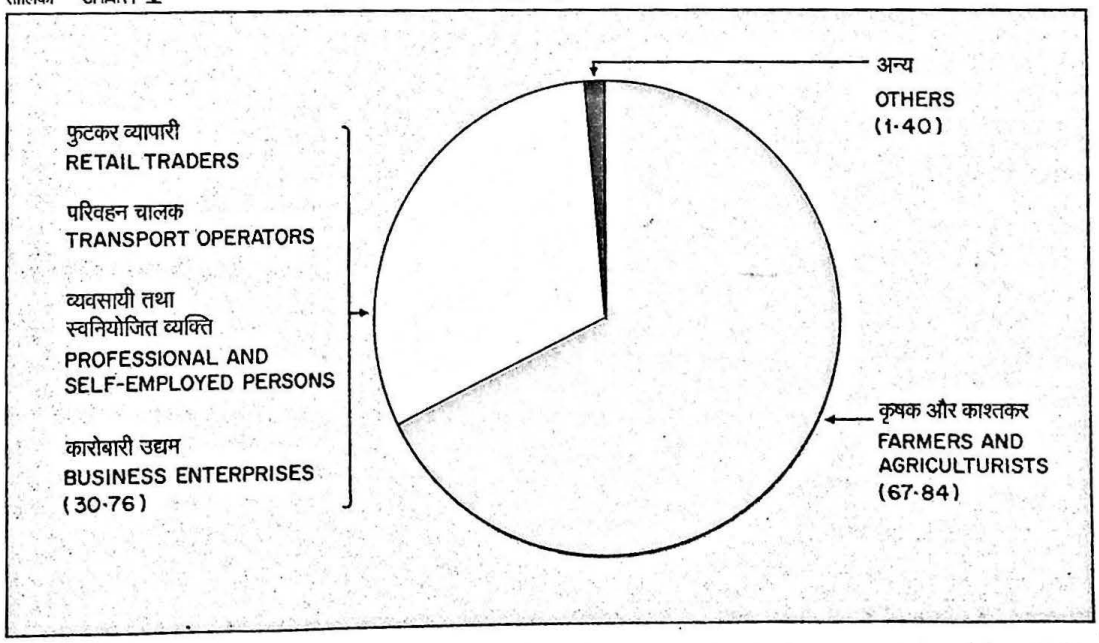

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

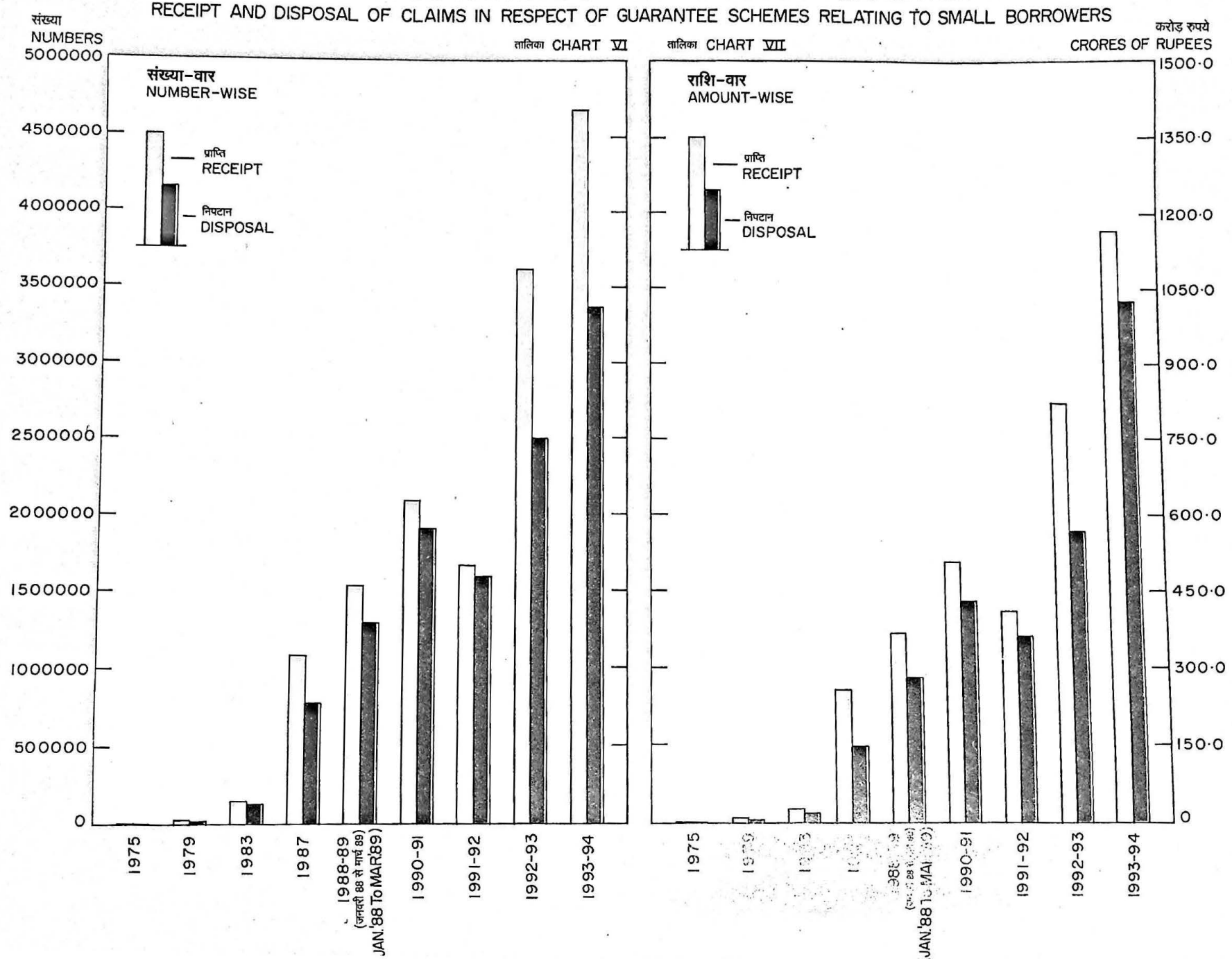

लघु उद्योगों से संबंधित निगम की गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES

(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART - VIII

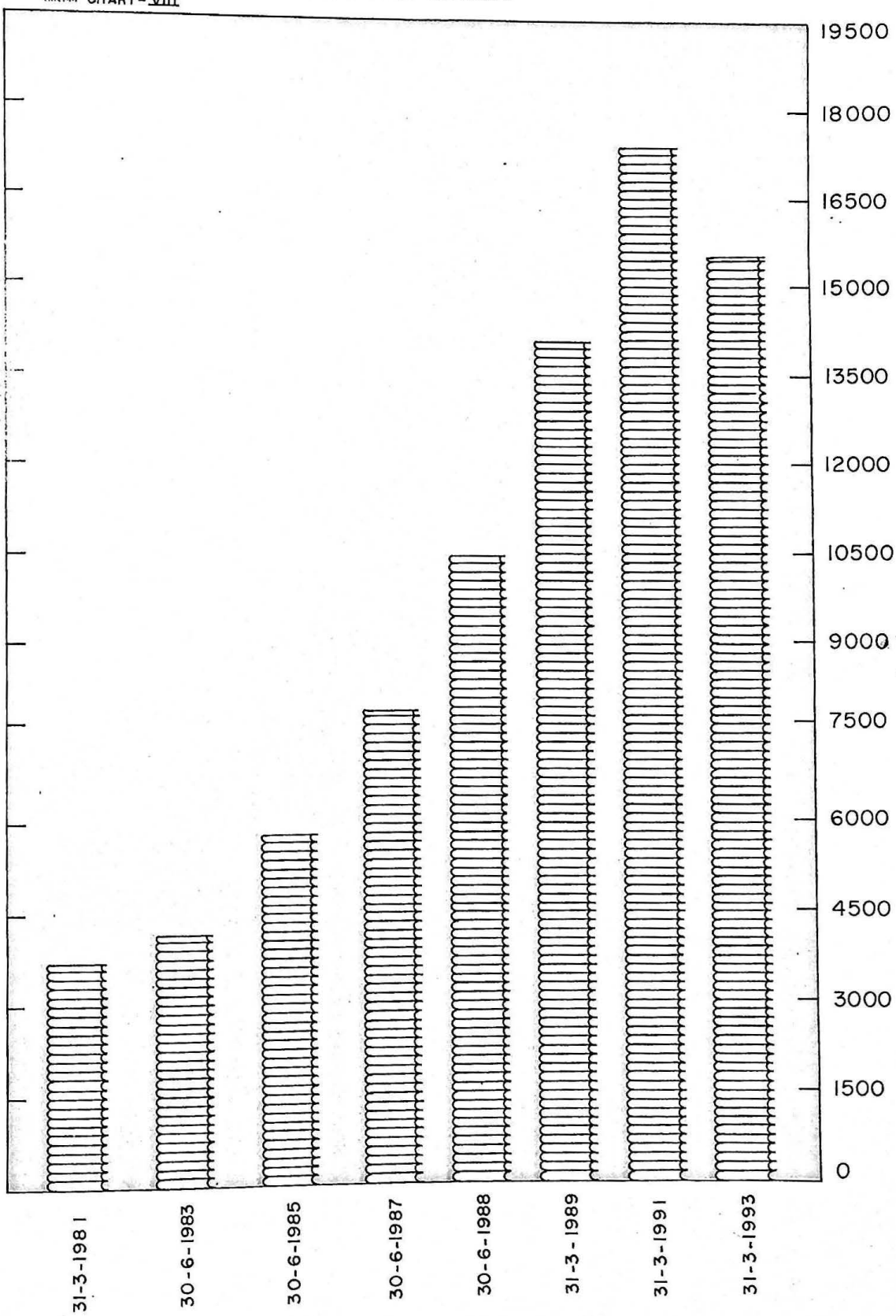

लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

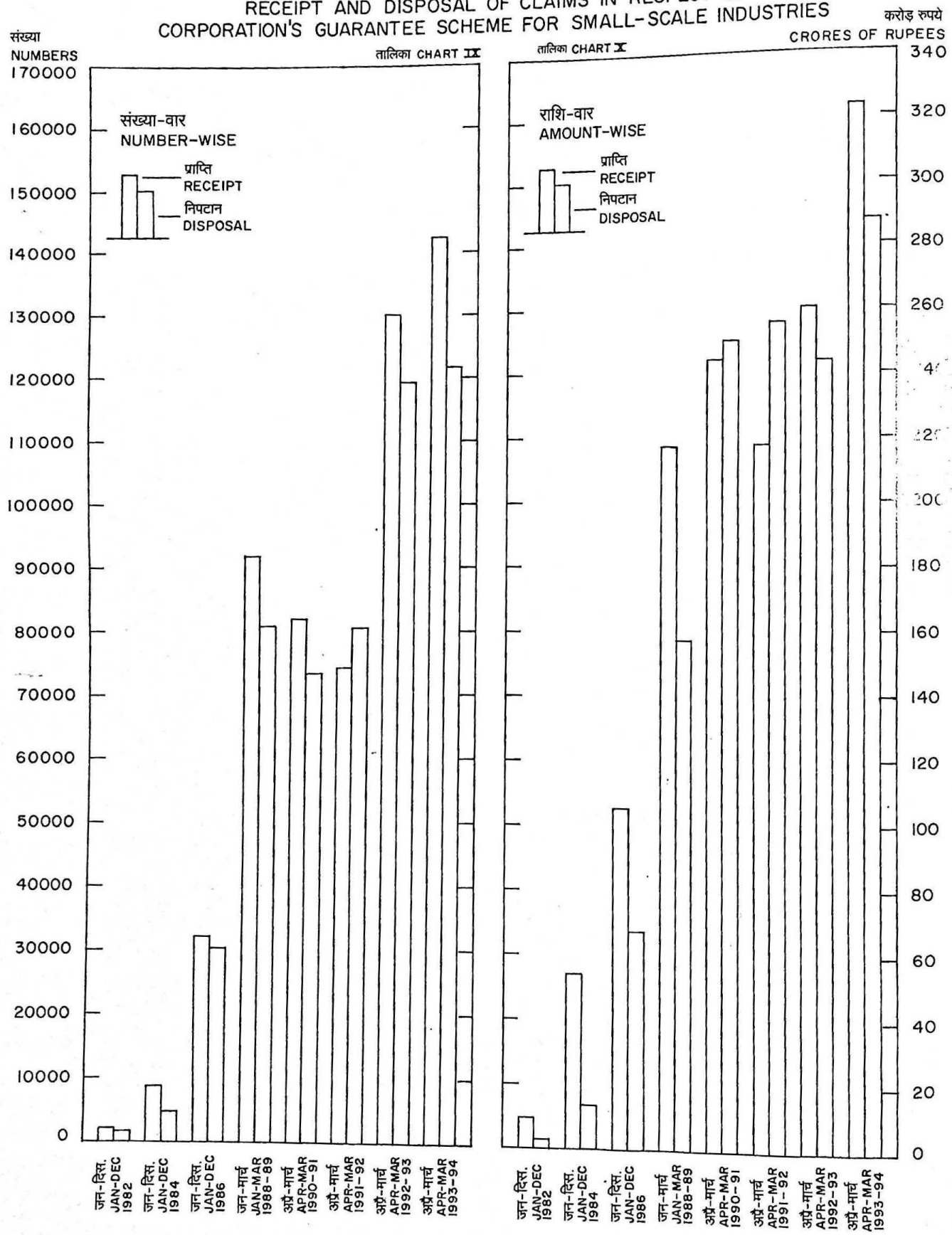

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Bombay 400 039.

32nd Annual Report of the Board of Directors, Balance Sheets and Accounts for the year ended 31 March 1994.

CONTENTS

		Page No.
1.	Letters of Transmittal	iii & iv
2.	Board of Directors	v
3.	Organisation Chart	vi
4.	Offices of the Corporation	vii
5.	Principal Officers of the Corporation	viii
6.	Corporate Profile	ix
7.	Highlights - Progress at a glance	x
8.	Directors' Report	1
9.	Annexures to the Directors' Report	12
10.	Balance Sheets & Accounts	32
11.	An Outline of Functions & Activities	42

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

DICGC/77/06.02/015/94-95

29 June, 1994
8 Asadha 1916 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
BOMBAY 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1993-94

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1994 together with a signed copy of the Auditors' Report and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1994.

Yours faithfully,

sd/-

(S. K. Kapur)
General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

DICGC/78/06.02/016/94-95

29 June, 1994
8 Asadha 1916 (Saka)

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
NEW DELHI 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1993-94

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

1. (i) the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1994 together with the Auditors' Report and

   (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1994.

2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act ibid.

Yours faithfully,

sd/-

(S. K. Kapur)
General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

D. R. MEHTA
Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Ms. I. T. VAZ (Till 3 May 1994)
S. N. RAZDAN (From 4 May 1994)
Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay

Nominated by Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Ms. MONA SHARMA
Joint Director, Department of Economic Affairs, (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. H. KHAN
Chairman &Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay.

U. MAHESH RAO
Managing Director, General Insurance Corporation of India, Bombay.

N. P. SARDA
Chartered Accountant, Bombay.

P. W. REGE
Ex-Chairman, Saraswat Co-operative Bank Ltd., Bombay.

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

M. K. SINHA (From 20 December 1993)
Managing Director, State Bank of India, Bombay.

GANGADHAR GADGIL
Economist, Bombay.

P. N. JOSHI (From 14 June 1993)
Chairman, United Western Bank Ltd., Satara, Maharashtra.

B. RAI (From 6 August 1993)
Chairman and Managing Director, Allahabad Bank, Calcutta.

ORGANISATION CHART

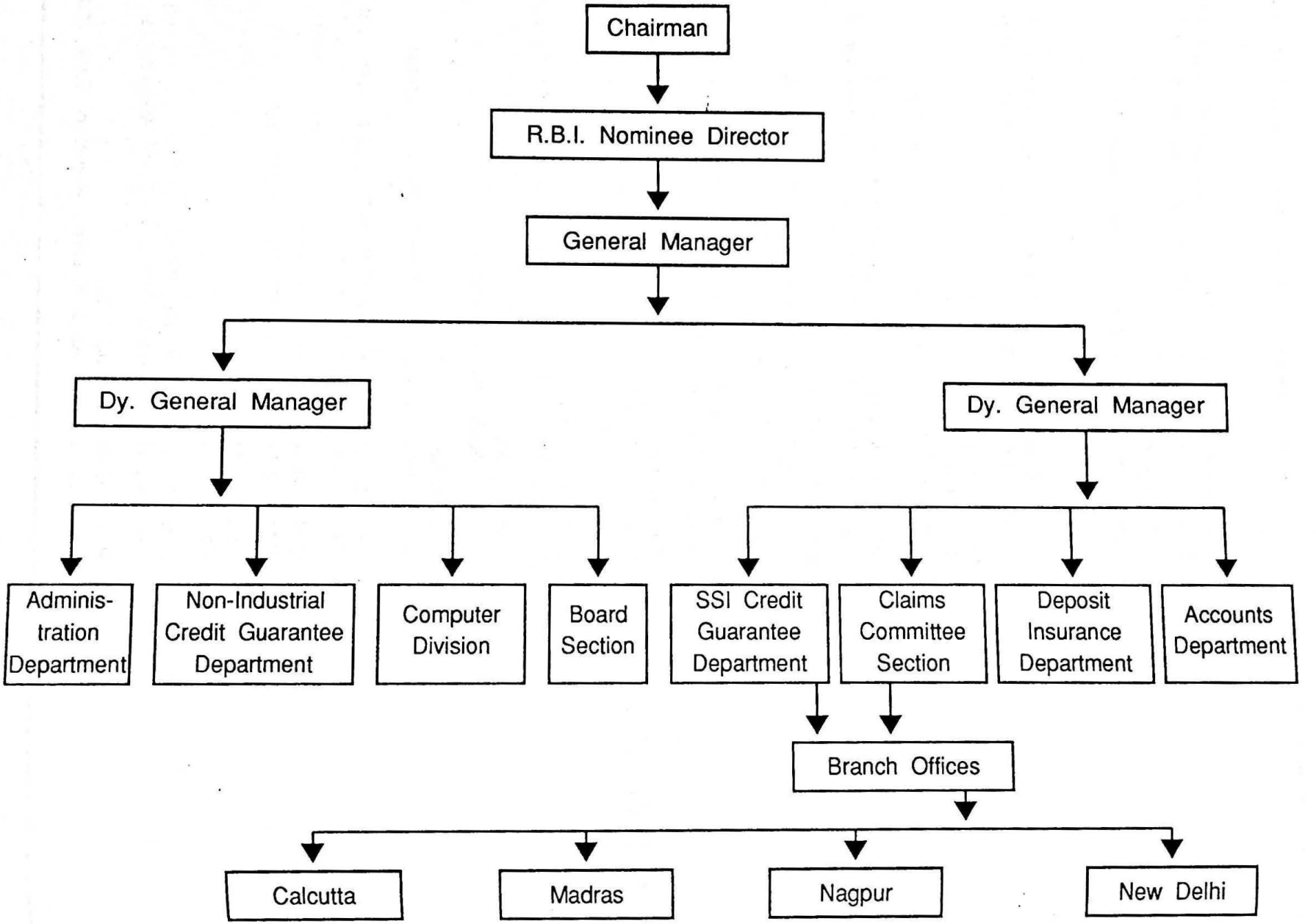

OFFICES OF THE CORPORATION

		Tel. Nos.	Telegram
HEAD OFFICE	**New India Centre, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay 400 039.**		**'CREDITGARD'**
	General Manager	202 7323 (D) 202 0299	
	(i) Dy. General Manager	204 4878 (D)	
	Administration Department Non-Industrial Credit Guarantee Department Computer Division Board Section	202 0299	
	(ii) Dy. General Manager	202 2408 (D)	
	Deposit Insurance Department SSI Credit Guarantee Department Accounts Department	202 0299	
BRANCHES			
(1) NAGPUR	Reserve Bank of India Building, Near High Court, Nagpur 440 001.	521406 (D) 532321 532357	'CREDITGARD'
(2) CALCUTTA	8, Council House Street, 1st Floor, Post Box No. 17, Calcutta 700 001.	2481154 (D) 2486029	'DISINGUAR'
(3) MADRAS	Kuralagam Building, 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021, Madras 600 108.	5341524 (D) 5341239	'CREDITGARD'
(4) NEW DELHI	Reserve Bank of India Building 6, Sansad Marg, Post Box No. 123, New Delhi 110 001.	3716487 (D) 3710538 to 42	'DEPOSITINS'

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

S.K. Kapur (Till 31 July 1994)
R.N. Verma (From 1 August 1994)

DY. GENERAL MANAGERS

D. N. Prasad
Smt. S. N. Joshi

CHIEF ACCOUNTANT

O. P. Arora

OTHER OFFICERS

MANAGERS

J. P. Sharma
Kum. U. S. Banerjee

SECRETARY

R. G. Tawde

BRANCH MANAGERS

NAGPUR

N. K. Saha (Till 31 August 1993)

CALCUTTA

S. S. Gangopadhyay

MADRAS

T. M. Narayanan

NEW DELHI

S. S. Sethi

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s. Habib & Co.
Chartered Accountants
Bombay 400 003.

CORPORATE PROFILE

OBJECTS & PURPOSE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited, a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credits granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank and to provide guarantee support to credits extended by participating institutions viz. commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered certain categories of small borrowers and small scale industries. Effective from 1 April 1989 guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition) advances. Since 1990-91, certain categories of priority sector advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. have been excluded from guarantee cover.

The Corporation maintains two separate funds viz. Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund. They are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more Fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this Fund. The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. The Board is assisted by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Reserve Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation. The General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS - PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

At year-end	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94
1. **Capital**	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50
2. **Deposit Insurance**										
i) Deposit Insurance Fund	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@
ii) Insured Banks	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,922	1,931	1990
iii) Assessable Deposits	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,56,892	2,44,375	2,49,034
iv) Insured Deposits	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,09,316	1,64,527	1,68,405
v) Accounts (in lakhs)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,089	3,543	3,529
vi) Fully Protected Accounts (in lakhs)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	2,983	3,395	3,497
vii) Claims paid	--	1	2	3	3	44	69	131	178	179
3. **Credit Guarantee**										
i) Credit Guarantee Fund	—	—	27	89	118	@	@	@	@	@
ii) Guaranteed Advances										
(a) Small Borrowers	—	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	27,692	24,444	26,348
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	3,822	4,891	7,738	10,465	16,826	19,162	15,503
iii) Claims Received (for the year)										
(a) Small Borrowers	--	—	9	25	62	255	364	505	883	1,168
(b) Small-Scale Industries	—	—	---	30	71	149	241	247	260	323
v) Claims Disposed of (for the year)										
(a) Small Borrowers	—	--	3	15	32	225	281	427	566	1,026
(b) Small-Scale Industries	—	—	---	27	47	122	177	260	243	288

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities since 1987, the Credit Guarantee Fund disclosed deficits every year thereafter except for the year 1989-90. The deficits/surplus in the Fund were adjusted against surplus in the deposit Insurance Fund in the respective years. During 1993-94, the deficit in the Credit Guarantee Fund was Rs. 382.19 crores. As on 31 March 1994, a net sum of Rs. 858.05 crores was due to Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1994

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 32nd Annual Report of the Corporation for the year ended 31 March 1994.

Economic Scenario

2. During the year 1993-94, there had been a sea-change in the factors operating behind monetary and credit expansion. The quantum jump in foreign exchange reserves although welcome for variety of reasons, led to substantial expansion in primary money and monetary growth. Aggregate deposits of scheduled commercial banks increased by Rs. 45,243 crores (16.8 per cent) during 1993-94 as compared with an increase of Rs. 37,813 crores (16.4 per cent) in 1992-93. Food credit rose sharply by Rs. 4,164 crores (61.8 per cent) in 1993-94 on account of a record level of food grains procurement. Growth of non-food credit during 1993-94 was subdued at Rs. 7,477 crores (5.1 per cent) as against an increase of Rs. 24,317 crores (20.1 per cent) in 1992-93. The rate of inflation was 11.2 per cent as on 23 April 1994 as compared with 7.0 per cent a year ago.

In order to improve the competitiveness, operational efficiency and transparency of the financial sector, the process of its reforms initiated during 1991-92 was pursued further. This is expected to bring about a significant improvement in the functioning of banking system. The prudential norms relating to assets classification, income recognition, provisioning etc. have put strain on banks funds. Certain relaxations have, therefore, been made therein. In addition, the Central Government have made a further provision of Rs. 5,600 crores in the budget for the year 1994-95 for contribution to the share capital of the nationalised banks in the form of Government Bonds. Apart from this, the banks themselves have made special efforts to recover overdue advances to bring down their non-performing assets. The inflow of claims during the year 1993-94 was, however, unprecedented and surpassed the figures for earlier years.

Advances to priority sector

3 Priority sector advances of public sector banks increased from Rs. 44,995 crores as at the end of June 1992 to Rs. 47,848 crores as at the end of June 1993 indicating an increase of 6.3 per cent. The share of such lending to net bank credit has, however, showed a decline from 40.9 per cent as at the end of June 1991 to 39.3 per cent as at the end of June 1992 and further to 35.9 per cent as at the end of June 1993 as against stipulated target of 40 per cent. Within the priority sector, direct agricultural advances increased from Rs. 17,020 crores (June 1992) to Rs. 18,332 crores as at the end of June 1993, but its share in net bank credit declined from 14.9 per cent to 13.8 per cent during the period. The share of small scale industries and other priority sector also declined from 15.5 per cent and 7.7 per cent as at the end of June 1992 to 14.1 per cent and 7.1 per cent respectively at the end of June 1993. The share of scheduled castes and scheduled tribes in priority sector stood at 8.9 per cent as at the end of June 1993. As regards the private sector Indian scheduled commercial banks, their priority sector advances stood at Rs. 2,357 crores as on the last Friday of March 1993, accounting 33.2 per cent of their net bank credit. Foreign banks operating in India were advised to achieve the priority sector target of 15 per cent of their net bank credit by end of March 1992, but the actual achievement was only 7.9 per cent as at the end of March 1992 which was lower than even the ratio of 9.45 per cent attained at the end of March 1991. In order to align the priority sector lendings of foreign banks with that of Indian banks, the target of priority sector lendings was raised from 15 per cent to 32 per cent of their net bank credit inclusive of two sub-targets of 10 per cent each in respect of advances for SSIs and the export sector to be achieved by the last Friday of March 1994. For facilitating achievement of revised target, the priority sector lending definition for foreign banks has been enlarged to include export credit effective from July 1, 1993. Taking into account the structure of credit institutions and the changing credit requirements, certain definitional changes have been and are being made in the priority sector.

IMPORTANT DEVELOPMENTS

Deposit Insurance Scheme — Court case of Bank of Karad Ltd.

4.1 As mentioned in the earlier reports, with a view to mitigating the hardships of the depositors of Bank of Karad Ltd., the Corporation had made an 'On Account' payment aggregating Rs. 37.00 crores to the Provisional Liquidator of the bank for disbursement to its depositors. As per the order passed by the Bombay High Court, the Bank of India was permitted to purchase specified assets of Bank of Karad alongwith its outstanding deposit liabilities as approved by the Corporation on the condition that under the relevant Acts, the Corporation should get preferential claim over the general creditors on the realisations made by the Liquidator.

The Corporation, however, in the larger interest of the depositors agreed for mutual settlement as per the order dated 6 April 1994 passed by the Division Bench of the Bombay High Court paving the way for purchase of specified assets of Bank of Karad by Bank of India alongwith the deposit liabilities as also employees of Bank of Karad Ltd.

As per the agreed settlement the Provisional Liquidator after receipt of the specified sum from the Bank of India as also the recoveries effected by him, will repay to the Corporation the sum so paid by it.

Credit Guarantee Schemes — Participation in Schemes

4.2 It has been decided that with effect from 1 April 1994 a credit institution desirous of opting out of a particular credit guarantee scheme has also to opt out simultaneously from the other credit guarantee scheme of the Corporation in which it is participating. In other words, a participating credit institution cannot opt out of one particular credit guarantee scheme while continuing its participation in the other credit guarantee scheme.

Extent of guarantee cover

4.3 On review of the three credit guarantee schemes operated by the Corporation, it has been decided to reduce the guarantee cover in regard to all categories of eligible credit facilities (wherever it is now available to the extend of 60 per cent of the amount in default) to uniform 50 per cent of the amount in default subject to specified monetary ceilings on claims liabilities for eligible fresh advances granted/renewed on or after 1 April 1994.

Operations of the Corporation — An Overview

5.1 During the year, besides the Deposit Insurance Scheme giving insurance protection to small depositors in banks, the Corporation continued to operate its three credit guarantee schemes - two for Non-Industrial Sector and one for Small Scale Industrial Sector, providing guarantee support for credit facilities extended to priority sector borrowers (except certain categories) by banks/financial institutions.

5.2 As mentioned in the last year's report, the insurance cover under Deposit Insurance Scheme, 1961 has been raised from Rs. 30,000/- to Rs. 1,00,000/- per depositor per bank in the same right and capacity and the rate of insurance premium has been marginally raised from 4 paise to 5 paise per Rs. 100/- per annum. Mainly on account of extension of the Scheme to co-operative banks in three more States during the year, the number of insured banks increased substantially and stood at 1990 as at the end of the year. Further, the percentage of fully protected deposit accounts numbering 3497 lakhs constituted 99.1 per cent of total deposit accounts. The insured deposits represented 67.6 per cent of the total assessable deposits at Rs. 2,49,034 crores in banks. The insurance premium received during the year amounted to Rs. 156.35 crores. During the year the Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 0.57 crore received from four co-operative banks and made a provision of Rs. 8.12 crores towards claims liabilities of four co-operative banks. The aggregate amount of claims paid so far in respect of 25 commercial banks and 27 co-operative banks stood at Rs. 178.69 crores and repayments received at Rs. 19.71 crores as at the end March 1994.

5.3 The guaranteed advances under the Corporation's three credit guarantee schemes in operation aggregated Rs. 41,850.49 crores as at the end of March 1993 showing a fall of 4 per cent over the previous year. While the guaranteed advances to small borrowers under the schemes for Non-Industrial Sector rose by 7.79 per cent, the guaranteed advances to small Scale Industrial Sector decreased by 19.1 per cent as compared to the previous year. The claims received by the Corporation under three schemes increased by 26.4

per cent number-wise and 30.4 per cent amount-wise. Like-wise, the claims settled by the Corporation increased by 33.4 per cent number-wise and 62.4 per cent amount-wise during the year. The claims disposal rate per month was all time high at 2,90,144 this year as against 2,17,544 per month during the previous year. The details regarding number and amount of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below :

(Amounts in crores of rupees)

	During 1992-93		During 1993-94		Percentage Increase (+) Decrease (-)	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
I. **Claims received**						
Corporation's Scheme for						
i) Small borrowers	36,81,272	883.29	46,72,885	1,167.60	(+) 26.9	(+) 32.2
ii) SSIs	1,29,968	259.98	1,44,165	323.16	(+) 10.9	(+) 24.3
Total :	38,11,240	1,143.27	48,17,050	1,490.76	(+) 26.4	(+) 30.4
II. **Claims settled**						
Corporation's scheme for						
i) Small borrowers	24,92,375	565.95	33,58,702	1,026.36	(+) 34.8	(+) 81.4
ii) SSIs	1,18,147	243.21	1,23,031	287.72	(+) 4.1	(+) 18.3
Total :	26,10,522	809.16	34,81,733	1,314.08	(+) 33.4	(+) 62.4

5.4 The amounts of claims receipt and guarantee fee receipt every alternate year during the period from 1982 to 1988-89 and every year thereafter were as follows:

(Rs. in crores)

Year	Guarantee fee receipts	Guarantee claims receipt	Gap
1982	57.67	34.11	+23.56
1984	87.91	115.69	-27.78
1986	127.25	245.86	-118.61
1988-89 (15 months)	191.89	580.97	-389.08
1989-90	593.83	548.33	+45.50
1990-91	524.72	748.76	-224.04
1991-92	565.88	627.23	-61.35
1992-93	702.78*	1143.27	-440.49
1993-94	846.09	1490.76	-644.67

* Includes the ploughed-back provisions in respect of earlier years.

5.5 On account of enhancement in guarantee fee rate to 1.5 per cent w.e.f. 1 April 1989, the guarantee fee receipt had exceeded the guarantee claims receipt during the year 1989-90 only. Since the guarantee fee receipt again fell short of guarantee claims receipt thereafter consecutively for 3 years, the financial viability of all the three credit guarantee schemes was examined and the guarantee fee rate for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only was raised to 2.5 per cent per annum w.e.f. 1 April 1993. In spite of this hike, the gap between the guarantee fee receipt and guarantee claims receipt for the year 1993-94 widened to Rs. 644.67 crores as per the scheme-wise position given on the next page.

(Amount in crores of rupees)

Scheme	Guarantee claims receipt	Guarantee fee receipt	Gap
i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	1167.58	665.36	-502.22
ii) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	0.02	0.12	+0.10
iii) Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	323.16	180.61	-142.55
Total :	1490.76	846.09	-644.67

The guarantee cover of 60 per cent available to certain categories of advances has therefore been reduced to a uniform level of 50 per cent of the amount in default (subject to monetary ceilings) for the advances granted/renewed on or after 1 April 1994.

The scheme-wise details of guarantee fee received since 1981 are given in Annexure-XIII.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

6.1 During the year, the Deposit Insurance Scheme was extended to the eligible co-operative banks functioning in the States of Bihar, Assam and Manipur w.e.f. 1 January 1994. Mainly on account of this, the total number of banks insured with the Corporation under the Scheme rose from 1931 as on 31 March 1993 to 1990 as on 31 March 1994 comprising 80 commercial banks, 196 Regional Rural Banks and 1714 co-operative banks. During the year, two commercial banks (viz. State Bank of India Commercial and International Bank Ltd. and International Nederland Bank N.V.) were registered and another two commercial banks (viz. Bank of Credit and Commerce International Overseas Ltd. and New Bank of India) were deregistered. The state-wise break up of co-operative banks registered and deregistered during the year under report is as follows :

State	No. of banks	
	Registered	Deregistered
Assam	10	—
Bihar	38	—
Gujarat	1	—
Maharashtra	2	1
Manipur	6	—
Tamil Nadu	2	—
Uttar Pradesh	2	—
Madhya Pradesh	—	1
	61	2

(A statement of insured banks since 1962 is given as Annexure-I)

6.2 The Deposit Insurance Scheme presently covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) and co-operative banks in 19 States and 3 Union Territories (Annexure-II). The co-operative banks numbering 33 in the remaining 6 States and 4 Union Territories are yet to be brought within the perview of the Scheme. The Corporation has recommended to the Government of India to bring into force the provisions of the DICGC Act, 1961 in the State of Sikkim and the same is under their consideration. The remaining States have yet to carry out the requisite amendments to their respective State Co-operative Societies Acts.

6.3 The number of accounts and amounts of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1992 and June 1993 were as follows :

(Amount in crores of rupees)

	June 1992	June 1993
1. Total number of accounts (in lakhs)	3543	3529
2. Fully protected accounts (in lakhs)	3395	3497
3. Percentage of 2 to 1	95.8	99.1
4. Assessable deposits	244375	249034
5. Insured deposits	164527	168405
6. Percentage of 5 to 4	67.3	67.6

(Details for earlier years are given in Annexures-III & IV)

The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 63.78 per cent and 36.22 per cent respectively of the total assessable deposits at the end of June 1993. Thus consequent upon the enhancement of insurance cover the percentage of fully protected deposits to total assessable deposits increased from 49.16 to 63.78 per cent over the year.

6.4 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premia) collected from insured banks during 1993-94 as compared with the previous year is furnished below:—

(Amount in crores of rupees)

Category of banks	Premium received	
	1992-93	1993-94
i) Commercial Banks	95.66	138.15
ii) Regional Rural Banks	2.13	4.09
iii) Co-operative Banks	8.18	14.11
	105.97	156.35

6.5 During the year 1993-94, the Corporation settled claims of four co-operative banks as indicated below:

(Rs. in lakhs)

	Name	Amount
1.	Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd. (in liquidation)	0.07
2.	Bhadravati Town Co-op. Bank Ltd. (in liquidation)	0.26
3.	Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd. (in liquidation)	19.84
4.	Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd. (Amalgamated with Amanath Co-op. Bank Ltd., Bangalore)	37.11
		57.28

Further, a provision of Rs. 8.12 crores has been made in the accounts towards the following claims liabilities :

a) Supplementary claim of Rs. 0.01 crore in respect of Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala.

b) Rs. 5.52 crores for the claim submitted by the liquidator of Navdeep Co-op. Bank Ltd. pending settlement in this regard.

c) Rs. 2.25 crores towards claim liability in respect of Citizen's Co-op. Bank Ltd., Indore which has since been taken into liquidation.

d) Rs. 0.34 crore towards balance amount of claim liability in respect of the depositors of Metropolitan Co-op. Bank Ltd., pending settlement (for want of clarifications).

6.6 As on 31 March 1994, the aggregate amount (cumulative) of claims paid in respect of 25 commercial banks remained unchanged at Rs. 172.92 crores. The repayments upto March 1994 aggregated Rs. 18.82 crores (including Rs. 1.25 crores received during the year). A sum of Rs. 0.10 crore was written off till March 1994. The total amount of claims paid since beginning as on 31 March 1994 in respect of 27 co-operative banks (including Rs. 0.57 crore paid during the year) was Rs. 5.77 crores. The repayments upto March 1994 aggregated Rs. 0.89 crore (including Rs. 0.07 crore received during the year).

The list of banks in respect of which the claims have been paid, written off and provided for and repayments received, etc. till 31 March 1994 are given in Annexure-V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS

7. The Corporation operates two credit guarantee schemes for small borrowers viz. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984 which cover advances granted for agriculture and allied activities, transport; retail trade, small business, etc. by commercial banks (including RRBs) and primary urban co-operative banks.

8. The overall performance of small borrowers' credit guarantee schemes is given below :

(Amount in crores of Rupees)

Category of borrowers	Guaranteed advances as on March 1993	Amount of claims received			
		Upto March 1993	During 1993-94	Upto March 1994 (3+4)	Percentage of 5 to 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Farmers & Agriculturists	17868.89	1415.23	435.40	1850.63	10.36
2. Other priority sector borrowers	8110.19	1689.54	706.75	2396.29	29.55
3. Residual category of borrowers under DRI Scheme etc.	368.75	96.66	25.45	122.11	33.11
Total :	26347.83	3201.43	1167.60	4369.03	16.58

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

9.1 The Scheme provides guarantee cover for advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc. by commercial banks including Regional Rural Banks.

9.2 During the year, seven commercial banks and seven Regional Rural Banks were allowed by the Corporation to opt out of the Scheme. In addition, one commercial bank viz., New Bank of India was merged with Punjab National Bank. Consequently, as on 31 March 1994, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased by 15 to 233 (comprising 47 commercial banks and 186 Regional Rural Banks) from 248 as on 31 March 1993 (Annexures VI & VII).

9.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs. 26,339.75 crores as on 31 March 1993 showed an increase of 7.82 per cent over the previous year despite exclusion of certain categories of advances from the purview of credit guarantee schemes of the Corporation and opting out/deletion of 15 credit institutions from the Scheme. The Scheme continued to account for 99.97 per cent of the total priority sector advances to non-SSI segment at Rs. 26,347.83 crores. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in Annexure VIII. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme on percentage basis is given below :

Category of borrowers	Per cent of total	
	guaranteed advances	claims received
(i) Farmers & Agriculturists	67.84	42.36
(ii) Other priority sector borrowers	30.76	54.84
(iii) DRI advances, etc.	1.40	2.80
Total:	100.00	100.00

9.4 During the year under report, the Corporation received 46,72,831 claims for Rs. 1,167.58 crores as against 36,81,234 claims for Rs. 883.27 crores received during the previous year registering an increase of 26.94 per cent and 32.19 per cent number-wise and amount-wise respectively. The amount of claims received at Rs. 1,167.58 crores during the year formed 4.43 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 26,339.75 crores under the Scheme. (The sector-wise break-up of claims received under the schemes for small borrowers is given in Annexure X). The Corporation settled

33,58,615 claims for Rs. 1,026.26 crores as against 24,92,313 claims for Rs. 565.83 crores during the previous year. The average monthly rate of disposal this year was 2,79,885 claims as against 2,07,693 claims last year. At the end of the year, there were 33,51,598 claims for Rs. 824.81 crores pending disposal. The break-up of receipt, disposal (since inception) and pending claims as on 31 March 1994 is shown in Annexure IX.

9.5 The recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights amounted to Rs. 109.84 crores as compared to Rs. 52.97 crores received during the previous year. The total amount of recoveries received aggregated Rs. 352.58 crores forming 11.32 per cent of claims paid since inception under the Scheme.

9.6 For speedier settlement of claims for amounts not exceeding Rs. 25,000/- each under the Scheme, the Corporation had advised all the participating banks to submit these claims on magnetic tapes to be processed on computer*. In response to this, 90 per cent of the commercial banks and 66 per cent of Regional Rural Banks have submitted their claims on magnetic tapes forming about 90 per cent of total claims received this year. As a result, the Corporation could settle record number of 33.59 lakhs claims during the year.

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

10.1 The Scheme covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks to small borrowers for non-agricultural purposes.

10.2 During the year, the number of participating co-operative banks in the Scheme decreased by 7 from 29 to 22 as on 31 March 1994 (Annexures VI & VII). Consequently, the guaranteed advances also decreased from Rs. 14.34 crores as on 31 March 1992 to Rs. 8.08 crores as on 31 March 1993.

10.3 In addition to 93 claims which were awaiting receipt of clarification at the end of the previous year, the Corporation received 54 claims for Rs. 0.02 crore during the year. After settlement of 87 claims for Rs. 0.10 crore and 42 claims for Rs. 0.02 crore put under clarification, the Corporation had only 18 claims at the end of the year which were disposed of in the month of April 1994.

B. CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

(a) Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (since cancelled)

11.1 The Government's Scheme has been closed and the Corporation has finally stopped accepting claims/representations. All the pending claims under the Scheme were disposed of by March 1992. However, as an agent of Government of India, the Corporation continues to pursue with credit institutions for recoveries in claim paid accounts.

11.2 The Corporation's proposal to permit it to retain 30.5 per cent (i.e. the same ratio as permitted for the years 1986 to 1992) of the recoveries received in claim paid accounts under the Scheme during 1992-93 towards administrative expenditure for attending to the residual work relating to the Scheme was not accepted by the Government. However, the Government permitted the Corporation to retain 10 per cent of the recoveries received in claim paid accounts. Accordingly, out of the total recoveries of Rs. 1.42 crores during the year 1992-93, the Corporation has retained an amount of Rs. 0.14 crore towards establishment expenditure incurred by it and remitted the balance amount of Rs. 1.28 crores to Government in April 1994. Further, a sum of Rs. 2.04 crores representing the recoveries in claim paid accounts received during the year 1993-94 has been retained pending remittance, after adjustments, to the Government.

(b) Corporation's Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981

12.1 As on 31 March 1994, there were 308 credit institutions (344 as on 31 March 1993) participating in the above Scheme comprising 47 commercial

* (Corporation has, however, made compulsory for all commercial banks to submit their claims on mangetic tapes w.e.f. 1 April 1994).

banks, 150 Regional Rural Banks and 111 co-operative banks (Annexure VI). During the year, names of 40 credit institutions were deleted either on account of default in payment of guarantee fee or their decision to opt out of the Scheme, the name of one credit institution was deleted due to its merger with another bank. The names of 4 credit institutions were re-instated on receipt of clarifications in regard to non-payment of guarantee fee (Annexure VII).

12.2 The guaranteed advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by Reserve Bank of India amounted to Rs. 15,502.66 crores as on 31 March 1993 as against Rs. 19,161.92 crores as on 31 March 1992 registering a fall by 19.1 per cent.

12.3 The Corporation received 1,44,165 claims for Rs. 323.16 crores during the year 1993-94 as against 1,29,968 claims for Rs. 259.98 crores received during the previous year and disposed of 1,23,031 claims for Rs. 287.72 crores as against 1,18,147 claims for Rs. 243.21 crores during the year 1992-93. The details of claims received and disposed of year-wise, from 1 April 1981 onwards is given in Annexure XI. (Amount-wise break-up of claims settled during the year is given in Annexure XII). As on 31 March 1994, 44,410 claims for Rs.90.29 crores were pending as per the branch-wise position shown in Annexure XI.

12.4 The recoveries received under the Scheme during the year under report by virtue of the Corporation's right of subrogation amounted to Rs. 23.98 crores. The recoveries since 1981 aggregated Rs. 83.49 crores as on 31 March 1994 and formed 10.4 per cent of the total amount of claims paid at Rs. 799.21 crores.

12.5 The aggregate amount of claims received till 31 March 1994 under the Scheme at Rs. 1,859.88 crores formed 12 per cent of the total guaranteed advances to SSI units under priority sector at Rs.15,502.66 crores.

12.6 The settlement of high value claims for Rs. 8 lakhs and above received under the Scheme continued to be attended to by 'Claims Committee'. The Committee which was reconstituted on 21 December 1993 is headed by RBI Nominee Director on the Board of the Corporation with Managing/Executive Directors of four public sector banks and an eminent Chartered Accountant as its members. During the year 1993-94, the Committee met once and settled 33 claims for Rs. 3.12 crores.

OTHER DEVELOPMENTS

13.1 The recent earthquake in Latur and Osmanabad districts of Maharashtra on 30 September 1993 caused considerable damage to life and property in those districts. To enable the credit institutions to get more funds for extending necessary credit support to the affected persons, the Corporation removed the lock-in-period of 3 years for lodgement of claims in respect of earthquake affected units/borrowers financed by them prior to the date of earthquake. The credit institutions have been allowed to lodge such claims till 30 September 1994.

Extension of guarantee cover to Self Help Groups (SHGs)

13.2 Despite vast expansion of the formal credit system in the country, the dependence of rural poor (particularly marginal farmers, landless labourers, petty traders and rural artisans whose propensity to save is limited or too small to be mopped up by the banks), on moneylenders continues in many areas especially for meeting emergent needs. In order to encourage thrift with a view to helping rural poor in financing their emergent needs and weaning them away from the moneylenders, non-governmental organisations actively promoted informal groups. These groups have the potential to bring together the formal banking structure and rural poor for mutual benefit. NABARD accordingly launched a pilot project regarding Self Help Groups (SHGs) and advances to such SHGs are to be treated as priority sector advances. Accordingly, guarantee cover has been extended by the Corporation to such advances under its Small Loans Guarantee Scheme, 1971.

Waiver of legal action or right to legal action against the borrower/surety/security/compromise/scaling down of dues and writing off of dues in claim paid accounts.

13.3 Consequent on the introduction of new income recognition, assets classification and provisioning

norms by Reserve Bank of India and in the light of experience gained over the years, the Corporation has removed with effect from 22 February 1994 the existing ceilings and has delegated powers to participating credit institutions in the matter of waiver of legal action, compromise, scaling down of dues, write off, etc. in Claim Paid accounts. The concerned credit institutions have, however, to continue to refer to the Corporation for its prior approval, the proposals involving staff accountability, frauds, misappropriations, etc.

Priority sector advances — Small Scale Industries

13.4 As per the revised definition of Small Scale Industries, advances granted to SSI units whose investment in plant and machinery does not exceed Rs. 60 lakhs (Rs. 75 lakhs in the case of ancillary units and export oriented units) have been classified as priority sector by the Reserve Bank of India. Consequently, all such advances have been made eligible for guarantee cover under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 with effect from 1 April 1994.

ACCOUNTS

Balance Sheets and Revenue Accounts

14.1 Revenue Accounts for the year ended March 1994 and Balance Sheets as at 31 March 1994 showing separately the position of Corporation's three Funds viz. Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund together with the Auditor's Report thereon are attached.

14.2 Since 1987, the Corporation has adopted the system of valuation of liabilities of the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds revealed a net deficit of Rs. 98.91 crores after making all the provisions including short provisions for income-tax for financial years 1989-90 and 1992-93, pending claims, etc. as against the net deficit of Rs. 65.44 crores in the previous year. While the Deposit Insurance Fund shows a surplus of Rs. 285.38 crores, after making all the necessary provisions (including short provisions for income-tax amounting to Rs. 3.87 crores for the years 1989-90 and 1992-93), there are deficits of Rs. 382.19 crores in Credit Guarantee Fund and Rs. 2.10 crores in General Fund. While the deficit of Rs. 382.19 crores in the Credit Guarantee Fund has been set-off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund, the deficit of Rs. 2.10 crores in General Fund has been transferred to its General Reserves.

14.3 As mentioned in the last year's Report, a net sum of Rs. 475.86 crores was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the close of business on 31 March 1993 on account of the surplus/deficits from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs. 382.19 crores in the Credit Guarantee Fund has also been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund. Consequently, the amount due to Deposit Insurance Fund has increased to Rs. 858.05 crores at the end of the year.

Budgetary Control

15. The Corporation exercises budgetary control over revenue and expenditure under its three Funds namely, Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund.

Investments

16.1 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which are not required for the time being are invested in Central Government Securities including Treasury Bills. Particulars of investments are furnished in Annexure XIV. The depreciation in the investments of the three Funds has been fully provided for.

Investment Committee

16.2 In order to enable the Corporation to improve yields on investments, the Board had agreed to the proposed amendments to Section 25 of the DICGC Act, 1961 so as to enable it to invest its surplus funds in other than Central Government Securities. Government's approval in this regard is awaited. Meanwhile an Investment Committee was formed in October 1993 at the instance of the Board of

Directors. The Committee which consisted of three directors (viz. Shri, B. Rai as its Chairman and Shri N.P. Sarda and U. Mahesh Rao as members) has submitted its report. In order to maximise the yields from the Corporation's investments within the frame work of the existing provisions of the DICGC Act, 1961, the Committee has made observations/ recommendations as follows :

(i) the existing provisions in the DICGC Act are unduly restrictive and hence recommended that the Government of India may be requested for relaxation of Section 25 of the Act by effecting suitable amendments thereto.

(ii) to enable the Corporation to switchover from the investments in low yielding Government of India dated securities to high yielding ones, the issue relating to permitting the Corporation to treat its investments in such securities as stock-in-trade and to set-off the loss on the sale of securities against its business income should be taken up with the Government.

(iii) The Government should be approached for grant of special status to the Corporation under the relevant provisions of the Income Tax Act (Section 44/115B) for the purpose of assessing its tax liability on the lines of LIC and GIC.

The various recommendations of the Committee have been examined and action has been initiated.

GENERAL

Auditors

17.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed, with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. Habib & Co., Chartered Accountants, Bombay, as auditors of the Corporation for the year ended 31 March 1994.

Promotion of Hindi

17.2 The Corporation is taking all necessary steps for usage and promotion of Hindi in its day-to-day working. The Head Office of the Corporation is notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rule, 1976. Meetings of the Corporation's Official Language Implementation Committee are held from time to time. During the year, the Board of Directors of the Corporation has sanctioned 2 posts of Hindi Officers, 4 posts of Translators and 1 post each of Hindi Typist and Peon for the Hindi Cell of the Corporation. The staff is encouraged to make greater use of Hindi. Corporation brings out its Annual Report bilingually. During the year one officer has passed Pragya examination. Hindi newspapers and magazines are purchased for circulation. Arrangements are being made for the display of 'Aaj Ka Shabd' in the Corporation.

Training and Deputations

17.3 A group of 11 participants from commercial banks and financial institutions in the developing countries attending the International Programme on 'Small Industry Financing' conducted by the National Institute of Small Industry Extension Training (NISIET), Hyderabad, visited the Corporation to study its working and functions. Besides Senior Officials from Agricultural Finance Corporation of Kenya and officials of the Development Finance Department of the Central Bank of Sri Lanka visited the Corporation to understand various aspects of its working. At the request of the Nepal Rastra Bank, Nepal for expert assistance in preparation of a Deposit Insurance Scheme for them and also formulation of work plan for its implementation, an ex-senior officer of the Corporation has been deputed to that bank for a period of two months.

The staff of the Corporation at all levels was also exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank at its training centres. During the year under report, 30 officers & 34 clerical staff were deputed for various training programmes.

Financial audit by Reserve Bank of India

17.4 The Central Audit Cell of Reserve Bank's Inspection Department carried out two financial audits of the Corporation during the year covering the period 1 October 1992 to 30 September 1993. The financial irregularities pointed out/suggestions made in the audit reports have been mostly complied with/rectified by the Corporation.

Management

18. Shri S.N. Razdan, Executive Director, Reserve Bank of India is the Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation vice Ms. I.T. Vaz with effect from 4 May 1994.

Shri P.N. Joshi, Chairman of the United Western Bank Ltd., Satara (Maharashtra) had been nominated as a Director under Section 6(1)(e) of the DICGC Act, 1961 on the Board of Directors of the Corporation from 14 June 1993 to 31 October 1993. The matter regarding extension of his term of directorship of the Corporation is under consideration of Government of India.

As per Government Notifications dated 28 August 1992 and 6 August 1993, the Managing Director, State Bank of India and Chairman & Managing Director of Allahabad Bank are the ex-officio directors nominated under Section 6(1)(e) of the DICGC Act, 1961 on the Board of the Corporation till 18 October 1994. Accordingly, as advised by State Bank of India on 20 December 1993, Dr. M.K. Sinha, Managing Director is the director of the Corporation in place of Shri V. Mahadevan. Shri B. Rai who has been appointed as Chairman & Managing Director of Allahabad Bank is the director of the Corporation with effect from 6 August 1993 in place of Shri R.L. Wadhwa.

19. During the year ended 31 March 1994, five meetings of the Board of Directors of Corporation were held under the Chairmanship of Shri D.R. Mehta, Deputy Governor, Reserve Bank of India.

20. The Board highly appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Bombay-400 039.

Dated: 24 June, 1994.

For and on behalf of the
the
Board of Directors

(D. R. MEHTA)
Chairman

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

Year/Period	No. of registered banks at the commencement of the year/period	No. of Banks registered during the year/period	No. of banks deregistered where Corporation's liability			Total no. of registered banks at the end of the year/period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1971 to 1975	83	544	—	16	16	611
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 to 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 to 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-91	1921	8	5	2	7	1922
1991-92	1922	14	2	3	5	1931
1992-93	1931	3	2	1	3	1931
1993-94	1931	63	1	3	4	1990

Category-wise break-up of insured banks at the end of 1991-92, 1992-93 and 1993-94

Year	No. of insured banks			
	Commercial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total
1991-92	80	196	1655	1931
1992-93	80	196	1655	1931
1993-94	80	196	1714	1990

ANNEXURE II

SUMMARY OF INSURED BANKS
(As on 31 March 1994)

I.	Commercial Banks	80	
II.	Regional Rural Banks	196	
III.	Co-op. Banks	1714	(Break-up as under)
		1990	

	State	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	22	60	83
2.	Assam	1	1	8	10
3.	Bihar	1	34	3	38
4.	Madhya Pradesh	1	45	40	86
5.	Maharashtra	1	31	380	412
6.	Manipur	1	—	5	6
7.	Jammu & Kashmir	1	3	3	7
8.	Kerala	1	14	56	71
9.	Tripura	1	—	1	2
10.	West Bengal	1	17	48	66
11.	Rajasthan	1	27	23	51
12.	Karnataka	1	22	203	226
13.	Orissa	1	17	14	32
14.	Uttar Pradesh	1	56	47	104
15.	Gujarat	1	21	290	312
16.	Tamil Nadu	1	21	133	155
17.	Himachal Pradesh	1	2	4	7
18.	Haryana	1	13	8	22
19.	Goa	1	—	6	7
	Union Territories				
1.	Delhi@	1	—	14	15
2.	Pondicherry	1	—	1	2
3.	Daman & Diu	—	—	—	—
	TOTAL	21	346	1347	1714

@ Now Delhi is a State.

ANNEXURE III

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1993)

Year	No. of fully protected accounts@ (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits@ (Rs. in crores)	Total assessable deposits (Rs. in crores)	Percentage of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6

@ i.e. Number of accounts with balance not exceeding Rs. 1,500/- till the end of 1967, Rs. 30,000 from 1981 onwards till 1992-93 and Rs. 1.00 lakh from 1993-94 onwards.

ANNEXURE IV

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1991-92, 1992-93 AND 1993-94

Year	Category of Banks	Total no. of insured banks	No. of reporting banks	Insured deposits (Rs. in crores)	Total assessable deposits (Rs. in crores)	Percentage of 5 to 6
1	2	3	4	5	6	7
1991-92	Commercial Banks	80	59	1,13,252.05	1,65,220.12	68.55
	Regional Rural Banks	196	120	2,358.59	2,631.40	89.63
	Co-operative Banks	1,655	1,124	12,314.27	18,455.87	66.72
	Total	1,931	1,303	1,27,924.91	1,86,307.39	68.66
1992-93	Commercial Banks	80	59	1,41,356.73	2,12,759.40	66.44
	Regional Rural Banks	196	116	2,995.59	3,430.41	87.32
	Co-operative Banks	1,655	1,065	20,174.25	28,185.57	71.58
	Total	1,931	1,240	1,64,526.57	2,44,375.38	67.33
1993-94	Commercial Banks	80	65	1,41,794.51	2,16,024.27	65.64
	Regional Rural Banks	196	130	4,003.92	4,398.41	91.03
	Co-operative Banks	1,714	1,122	22,606.39	28,611.15	79.01
	Total	1,990	1,317	1,68,404.82	2,49,033.83	67.62

ANNEXURE V

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENT RECEIVED AS ON 31 MARCH 1994

(Amount in lakhs of rupees)

Sr. No.	Name of the bank (indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3) - (4)
1	2	3	4	5
I.	**COMMERCIAL BANKS**			
	i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full			
$	1) Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2) Shree Jadeya Shanker Ling Bank Ltd., Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3) Bank of Behar Ltd. Patna (1970)	46.32	46.32	—
	Total 'A'	55.69	55.69	—
	ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been paid in part and balance due has been written off			
*	4) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37	@@
*	5) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1946)	1.08	0.31	@@
*	6) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)	0.18	0.14	@@
*	7) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	@@
*	8) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.73	@@
*	9) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)	0.28	0.18	@@
	Total 'B'	20.21	10.14	@@
	iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
*	10) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.10	4.15	2.95
*	11) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	1.14	0.94
*	12) National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*	13) Habib Bank Ltd., Bombay (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
*	14) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69

Contd...

ANNEXURE V (Contd.)

1	2	3	4	5
*	15) Bank of Cochin Ltd. Cochin (1986)	1,162.78	440.78	722.00
*	16) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)	146.59	33.60	112.99
*	17) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987)	3,340.62	664.25	2,676.37
*	18) Hindustan Commercial Bank Ltd. Delhi (1988)	2,191.67	176.56	2,015.11
*	19) United Industrial Bank Ltd. (1990)	3,501.58	38.56	3,463.02
*	20) Traders Bank Ltd. (1990)	306.34	121.72	184.62
*	21) Bank of Thanjavur Ltd. (1990)	1,078.36	175.84	902.52
*	22) Bank of Tamilnad Ltd. (1990)	764.50	61.64	702.86
*	23) Parur Central Bank Ltd. (1990)	260.92	66.65	194.27
*	24) Purbanchal Bank Ltd. (1990)	725.77	13.75	712.02
@	25) Bank of Karad Ltd. (1992)	3,700.00	—	3,700.00
	Total 'C'	17,216.25	1,816.30	15,399.95
	Total 'A' + 'B' + 'C'	17,292.15	1,882.13	15,399.95
II.	**CO-OPERATIVE BANKS**			
	i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full			
$$	26) Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.86	1.84	++
%	27) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd. Bombay (1978)	10.72	10.72	+++
@	28) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.37	18.37	++++
	Total 'D'	30.95	30.93	—
	ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
@	29) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd. Bombay (1976)	5.73	—	5.73
@	30) Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd. Bombay (1977)	2.76	—	2.76
@	31) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd. Bombay (1978)	0.60	—	0.60
*	32) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd. Ratnagiri (1978)	46.43	11.94	34.49
*	33) Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	5.60	5.97
*	34) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979)	7.02	3.06	3.96
*	35) Kalavihar Co-op. Bank Ltd. Bombay (1979)	13.17	3.31	9.86
@	36) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.30	—	2.30

(Contd)....

ANNEXURE V (Contd.)

1	2	3	4	5
*	37) Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	12.95	78.36
@	38) Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96	—	13.96
*	39) Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985)	2.74	0.65	2.09
*	40) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd. (1986)	4.85	3.54	1.31
@	41) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd. Gadag (1986)	22.85	8.16	14.69
@	42) Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987)	9.61	2.28	7.33
@	43) Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd. Lucknow (1988)	10.95	—	10.95
@	44) Yellamanchili Co-op. Bank Ltd. Yellamanchili (1990)	4.36	—	4.36
@	45) Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991)	3.89	—	3.89
@	46) Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., (1991)	17.37	6.18	11.19
@	47) Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd. (1991)	17.44	—	17.44
@	48) Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd. (1991)	74.85	—	74.85
@	49) Metropolitan Co-op. Bank Ltd. (1992)	125.00	—	125.00
*	50) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd. (1993)	37.11	—	37.11
@	51) Bhadravathi Town Co-op. Bank Ltd. (1994)	0.26	—	0.26
@	52) Bhiloda Nagrik Sahakari Bank Ltd. (1994)	19.84	—	19.84
	Total 'E'	545.97	57.67	488.30
	Total 'D' + 'E'	576.92	88.60	488.30
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E'	17,869.07**	1,970.73	15,888.27

$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.

@ Banks taken into liquidation.

* Scheme of amalgamation.

+ Scheme of arrangement.

@@ Balance aggregating Rs. 10.07 lakhs have been writen off. These include a sum of Rs. 0.10 lakh not paid but only provided. for

++ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provisions of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

++++ Provision of Rs. 0.14 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

$$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.

% The Bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1987.

** Amount includes 'On A/C.' payments made in Bank of Karad Ltd. (Rs. 37 crores) and Metropolitan Co-operative Bank Ltd. (Rs. 1.25 crores) (Both taken into liquidation).

Notes : (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.

(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

ANNEXURE — VI

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S THREE CREDIT GUARANTEE SCHEMES DURING THE YEAR 1993-94

Name of the Scheme	Total number of participants as on 31 March 1993				Credit institutions joined (+) or withdrawn (-)/ceased (-) during the period April 1993-March 1994				Total number of participants as on 31 March 1994			
	Comm. banks	RRBs	Co-op. banks	Total	Comm. banks	RRBs	Co-op. banks	Total	Comm. banks	RRBs.	Co-op. banks	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	55	193	—	248	(-)8£	(-)7	—	(-)15	47	186	—	233
2. Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	29	29	—	—	(-)7	(-)7	—	—	22	22
3. Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	54	149	141	344	(-)7£	(+)4@ (-)3	(-)30	(-)36	47	150	111*	308

@ Reinstated

£ Includes New Bank of India merged with Punjab National Bank.

* Break up as follows

State Co-op. Banks	2
Central Co-op. Banks	61
Primary Urban Co-op. Banks	48
	111

ANNEXURE VII

I — SCHEME-WISE NAMES OF BANKS WITHDRAWN/DELETED FROM THE LIST OF PARTICIPATING CREDIT INSTITUTIONS DURNG THE YEAR 1993-94

A. Small Loans Guarantee Scheme, 1971

i) Commercial Banks

1) United Bank of India
2) ABN-AMRO Bank N.V.
3) British Bank of the Middle East
4) Standard Chartered Bank
5) Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
6) Ratnakar Bank Ltd.
7) The Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.
8) New Bank of India*

ii) Regional Rural Banks

1) Ballia Kshetriya Gramin Bank (Uttar Pradesh)
2) Faridkot Bathinda Kshetriya Gramin Bank (Punjab)
3) Gaur Gramin Bank (West Bengal)
4) Kashi Gramin Bank (Uttar Pradesh)
5) Mallabhum Gramin Bank (West Bengal)
6) South Malabar Gramin Bank (Kerala)
7) Tripura Gramin Bank (Tripura)

B. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

1) Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
2) Ankleshwar Nagarik Sahakari Bank Ltd. (Gujarat)
3) Bharuch Nagaric Sahakari Bank Ltd. (Gujarat)
4) The Grain Merchants Co-operative Bank Ltd. (Karnataka)
5) Mayuram Co-operative Urban Bank Ltd. (Tamil Nadu)
6) United Mercantile Co-operative Bank Ltd. (Uttar Pradesh)
7) Ujjain Paraspar Sahakari Bank Ltd. (Madhya Pradesh)

C. Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981

i) Commercial Banks

1. Bank of India
2. United Bank of India
3. Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.

* Merged with Punjab National Bank.

(Contd)...

4. British Bank of the Middle East
5. Bank of Tokyo Ltd.
6. United Western Bank Ltd.
7. New Bank of India*

ii) Regional Rural Banks

1. Gaur Gramin Bank, (West Bengal)
2. Golconda Gramin Bank (Andhra Pradesh)
3. Tripura Gramin Bank (Tripura)

iii) Co-operative Banks

1. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Maharashtra)
2. Prakasam District Co-op. Central Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
3. Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank Ltd. (Gujarat)
4. Valsad Zilla Sahakari Bank Ltd. (Gujarat)
5. Alleppey District Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
6. Idukki District Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
7. Kottayam District Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
8. Malabar Co-op. Central Bank Ltd. (Kerala)
9. Palghat Co-op. Central Bank Ltd. (Kerala)
10. Trivandrum District Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
11. Nanded District Central Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
12. Vellore Central Co-op. Bank Ltd. (Tamil Nadu)
13. Chanasma Commercial Co-op. Bank Ltd. (Gujarat)
14. Meenachil Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
15. Palghat Co-op. Urban Bank Ltd. (Kerala)
16. Tirur Urban Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
17. Punjab & Maharashtra Co-op. Bank Ltd (Maharashtra)
18. Tirunevally Junctions Co-op. Bank Ltd. (Tamil Nadu)
19. Bijnor Urban Co-op. Bank Ltd. (Uttar Pradesh)
20. United Mercantile Co-op. Bank Ltd. (Gujarat)
21. The Akola Urban Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
22. Nasik Merchants Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
23. Kerala State Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
24. Malappuram District State Co-op. Bank Ltd. (Kerala)

* Merged with Punjab National Bank.

(Contd)...

ANNEXURE VII (Contd.)

25. Periyar Central Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
26. Wynad District Central Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
27. Madurai District Central Co-op. Bank Ltd. (Tamil Nadu)
28. Vita Merchant's Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
29. Ernakulam District Co-op. Bank Ltd. (Kerala)
30. Trichur District Co-op. Bank Ltd. (Kerala)

II — NAMES OF THE BANKS RE-INSTATED UNDER SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

1. Langpi Dehangi Rural Bank (Assam)
2. Mandla Balghat Kshetriya Gramin Bank (Madhya Pradesh)
3. Puri Gramya Bank (Orissa)
4. Begusarai Keshetriya Gramin Bank (Bihar)

****

ANNEXURE — VIII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

	Scheme & Category of borrowers	As at the end of June							As at the end of March						% to the total in Col. 14
		1972	1981	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SMALL BORROWERS															
(A)	**SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR**														
I.	**Small Loans Guarantee Scheme, 1971**	205.71	3546.24	5736.44	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	100.00
i)	Farmers & Agriculturists	134.67	2267.52	3594.84	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	67.84
ii)	Transport Operators	28.29	477.56	937.68	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58						
iii)	Retail Traders	28.34	398.86	574.80	709.84	972.45	1191.85	1257.99	1795.38						
iv)	Professional & Self-employed persons	9.14	165.66	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14519.56$	8727.03$	8973.00$	7514.44$	8102.11	30.76
v)	Business Enterprises	5.27	150.08	239.62	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18						
vi)	Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	86.56	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	1.40
II.	**Small Loans (Financial Corpns.) Guarantee Scheme, 1971**	2.56	10.89	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	—	#	#	
III.	**Services Co-op. Societies Guarantee Scheme, 1971**	0.12	1.32	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	
IV.	**Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984**	—	—	—	**5.69***	**10.76**	**14.96**	**25.00**	**35.19**	**20.70**	**10.98**	**13.77**	**14.34**	**8.08**	
i)	Transport Operators	—	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31						
ii)	Retail Traders	—	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51						
iii)	Professional & Self employed persons	—	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74	20.70$	10.98$	13.77$	14.34$	8.08	
iv)	Business Enterprises	—	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63						
	Total of I, II, III & IV	208.39	3558.45	5773.83	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	100.00

(Contd)....

ANNEXURE VIII (Contd.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
SSI BORROWERS														
(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR														
V. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981														
All SSI Units including cottage industries etc.	—	3716.43@	4153.73	4890.96	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	
Grand Total A+B	208.39	7274.88	9927.56	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53+	46543.53+	43605.50	41850.49	

@ As on 31 March 1991. * As on 31 December 1994.

£ Due to non-receipt of statements from several participting credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

$ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

+ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs. 35851.33 and Rs. 37410.16 crores respectively.

Terminated w.e.f. 1 April 1992.

ANNEXURE IX

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees)

Period	Claims received		Claims deposed of		Of the claims disposed of (vide columns 4 & 5)					
					Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Upto end of 1977	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23
During 1978	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
During 1979	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
During 1980	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
During 1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,218	9.08	582	0.28	1,232	1.77
During 1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
During 1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
During 1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
During 1985	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
During 1986	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
During 1987	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
During 1988-89 (15 months)	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
During 1989-90	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
During 1990-91	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
During 1991-92	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
During 1992-93	36,81,272@	883.29@	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
Total 'A'	**1,34,33,374@**	**3201.43@**	**1,13,95,959**	**2517.86**	**1,08,27,230**	**2299.15**	**2,84,056**	**134.99**	**2,84,673**	**83.72**
During 1993-94										
1. SLG Scheme 1971	46,72,831@	1167.58@	33,58,615	1026.26	32,88,306	816.42	5,782	188.79	64,527	21.05
2. S.L. (F.C.) Scheme, 1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. S.L. (Co-op. Banks) G. Scheme, 1984	54	0.02	87	0.10	47	0.02	—	—	40	0.08
Total 'B' (1+2+3)	**46,72,885@**	**1167.60@**	**33,58,702**	**1026.36**	**32,88,353**	**816.44**	**5,782**	**188.79**	**64,567**	**21.13**
Grand Total (A+B)	**1,81,06,259@**	**4369.03@**	**1,47,54,661**	**3544.22**	**1,41,15,583**	**3115.59**	**2,89,838**	**323.78**	**3,49,240**	**104.85**

@ Provisional

Break-up Pending Calims

	No.	Amount (Rs. in crores)
1. Claims processed and pending for payment and claims to be processed	22,54,200@	563.29
2. Processed and to be settled for want of clarification	10,97,338@	261.52
Total	33,51,598@	824.81

ANNEXURE — X

SECTOR-WISE BREAK UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

Sr. No.	Category of Borrowers	Total Claims received upto 31 March 1993		Claims received during 1993-94		% to total amt. in Col 6@	Total upto 31 March 1994		% to total amt. in Col. 9@
		Number@	Amount@	Number@	Amount@		Number@ (3+5)	Amount@ (4+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Farmers and Agriculurists	63,41,855	1415.23	19,83,640	435.40	37.29	83,25,495	1850.63	42.36
2.	Transport Operators	5,22,004	350.82	1,70,560	98.55	8.44	6,92,564	449.37	10.28
3.	Retail Traders	32,64,687	860.73	14,58,407	403.52	34.56	47,23,094	1264.25	28.93
4.	Professional and self-employed persons	12,18,593	267.43	4,03,270	104.85	8.98	16,21,863	372.28	8.52
5.	Business Enterprises	9,34,162	210.56	3,98,597	99.83	8.55	13,32,759	310.39	7.11
6.	Residual Category of Borrowers under DRI Scheme	11,15,826	90.75	2,35,981	21.48	1.84	13,51,807	112.23	2.57
7.	Credit Facilities for Consumption and for purchase or construction of houses or tenaments	36,247	5.91	22,430	3.97	0.34	58,677	9.88	0.23
	Total	**1,34,33,374**	**3201.43**	**46,72,885**	**1167.60**	**100.00**	**1,81,06,259**	**4369.03**	**100.00**

@ Provisional.

ANNEXURE — XI

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of					
					Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1 Apr. 1981 to 31 Dec. 1981	1308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—
1 Jan. 1982 to 31 Dec. 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04
1 Jan. 1983 to 31 Dec. 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50
1 Jan. 1984 to 31 Dec. 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90
1 Jan. 1985 to 31 Dec. 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41
1 Jan. 1986 to 31 Dec. 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67
1 Jan. 1987 to 31 Dec. 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81
1 Jan. 1988 to 31 March 1989 (15 months)	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24
1 Apr. 1989 to 31 March 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27
1 Apr. 1990 to 31 March 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91
1 Apr. 1991 to 31 March 1992	78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61
1 Apr. 1992 to 31 March 1993	129968	259.98	118147	243.21	100751	94.92	16261	110.35	1135	37.94
1 Apr. 1993 to 31 March 1994	144165	323.16	123031	287.72	93008	73.56	25728	162.22	4295	51.95
Total	**738427**	**1859.88**	**694017**	**1769.59**	**565868**	**799.21**	**115465**	**700.13**	**12684**	**270.25**

Branch-wise position of pending claims as on 31 March 1994

	No.	Amount (Rs. Crores)
Nagpur	4005	29.09
Calcutta	26626	22.35
Madras	4709	12.43
New Delhi	9070	26.42
	44410	90.29

ANNEXURE — XII

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1993-94 UNDER THE SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

	Claims for amount	Claims pending as on 31 March 1993		Receipt during the year		Disposal during the year						Total disposal during the year		Claims pending as on 31 March 1994	
						Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected					
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1.	Upto Rs. 25,000/-	21101	10.99	129637	70.69	89270	43.50	18140	14.38	3033	2.61	110443	60.49	40295	21.19
2.	Above Rs. 25,000/- and upto Rs. 1.00 lakh	1306	5.78	9323	36.35	3010	11.86	4417	16.86	562	2.33	7989	31.05	2640	11.08
3.	Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 5.00 lakhs	617	13.51	3780	85.54	673	13.18	2292	54.07	309	7.39	3274	74.64	1123	24.41
4.	Above Rs. 5.00 lakhs and upto Rs. 8.00 lakhs	75	4.61	580	36.43	19	1.14	419	26.12	88	5.73	526	32.99	129	8.05
5.	Above Rs. 8.00 lakhs	177	19.96	845	94.15	36	3.87	460	50.79	303	33.89	799	88.55	223	25.56
	Total	**23276**	**54.85**	**144165**	**323.16**	**93008**	**73.55**	**25728**	**162.22**	**4295**	**51.95**	**123031**	**287.72**	**44410**	**90.29**

ANNEXURE — XIII

STATEMENT INDICATING SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1993-94

(Amount in crores of Rupees)

	Scheme	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 months)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36
2.	Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971@	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	—	—	
3.	Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971@	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	0.01	0.01	—	—
4.	Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12
5.	Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61
	Total	**40.21**	**57.67**	**71.17**	**87.91**	**105.66**	**127.25**	**145.17**	**191.89**	**593.83**	**524.72**	**565.88**	**702.78**	**846.09**

* 1981 Rs. 39,000/-
* 1982 Rs. 73,000/-
* 1983 Rs. 14,000/-
* 1984 Rs. 25,000/-
* 1985 Rs. 5,000/-
* 1986 Rs. 1,000/-
* 1987 Rs. 7,000/-
* 1988-89 Rs. 58,000/-

@ These schemes have been terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE — XIV

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1994

(Amount in crores of Rupees)

Sr. No.	Particulars	Rate %	Deposit Insurance Fund				Credit Guarantee Fund				General Fund			
			Face Value	Book Value	Value as per rates	% of value to Book value	Face Value	Book Value	Value as per rates	% of value to Book Value	Face Value	Book Value	Value as per rates	% of value to Book value
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
A.	**Securities which have depreciated**													
1.	6.50% Loan 2003	69.60	2.66	2.67	1.85	69.29	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	6.75% Loan 2006	66.96	16.72	16.71	11.19	66.96	—	—	—	—	2.15	2.15	1.44	66.98
3.	6.75% Loan 2007	65.15	1.12	1.12	0.73	65.18	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	7% Loan 2009	65.45	40.63	40.66	26.59	65.40	—	—	—	—	0.05	0.05	0.03	60.00
5.	7.50% Loan 2010	68.25	52.58	50.63	35.88	70.87	—	—	—	—	5.87	5.84	4.01	68.44
6.	8% Loan 2011	71.22	129.03	119.79	91.89	76.71	—	—	—	—	6.80	6.24	4.84	77.56
7.	8.75% Loan 2010	76.81	3.78	3.78	2.91	76.98	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	9% Loan 2013	77.68	101.13	99.24	78.56	79.16	—	—	—	—	15.00	15.02	11.65	77.56
9.	9.50% Loan 2008	83.28	6.02	5.92	5.02	84.80	17.17	17.04	14.30	83.92	0.65	0.65	0.54	83.08
10.	10% Loan 2014	84.92	46.81	46.67	39.76	85.19	33.05	33.06	28.07	84.91	10.95	10.97	9.30	84.77
11.	10.25% Loan 2012	87.18	13.41	13.43	11.69	87.04	26.17	26.20	22.81	87.06	10.26	10.27	8.94	87.05
12.	10.50% Loan 2014	88.63	55.97	55.96	49.61	88.65	—	—	—	—	7.39	7.38	6.55	88.75
13.	10.50% Loan 1996 (II)	97.00	—	—	—	—	25.00	25.00	24.25	97.00	—	—	—	—
14.	10.50% Loan 1996	97.30	9.11	9.16	8.86	96.72	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	11.50% Loan 2006	96.85	85.28	86.47	82.59	95.51	20.57	20.57	19.92	96.84	2.00	2.00	1.94	97.00
16.	11.50% Loan 2008	96.63	5.85	5.85	5.65	96.58	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	11.50% Loan 2009	96.55	109.60	109.87	105.82	96.31	102.38	102.42	98.85	96.51	—	—	—	—
18.	11.50% Loan 2011	96.39	81.32	80.36	78.39	97.55	8.68	8.42	8.37	99.41	—	—	—	—
19.	11.50% Loan 2015	96.18	87.12	87.14	83.79	96.15	—	—	—	—	11.10	11.12	10.68	96.04
20.	12% Govt. Stock 1997	99.97	—	—	—	—	51.00	50.99	50.98	99.98	—	—	—	—
21.	12.75% Govt. Stock 1996	100.00@	6.50	6.54	6.50	99.39	38.00	38.21	38.00	99.45	—	—	—	—
22.	13.40% Govt. Stock 2002	100.00@	54.20	54.47	54.20	99.50	105.60	106.13	105.60	99.50	—	—	—	—
23.	11.50% Loan 2007	96.70	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	100.00
	Total : (A)		**908.84**	**896.44**	**781.48**	**87.18**	**427.62**	**428.04**	**411.15**	**96.05**	**72.25**	**71.72**	**59.95**	**83.59**
(B)	**Securities which have appreciated**													
1.	5.75% Loan 2002	67.81	3.00	1.86	2.03	109.14	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	11.50% Loan 2008	96.63	—	—	—	—	8.35	7.80	8.07	103.46	—	—	—	—

(Contd.)....

ANNEXURE — XIV (Contd.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15
3.	12% Govt. Stock 1995	100.00@	31.78	31.78	31.78	100.00	11.50	11.50	11.50	100.00	—	—	—	—
4.	12% Loan 2011	100.00@	77.04	76.70	77.04	100.44	348.07	345.62	348.07	100.71	—	—	—	—
5.	12.30% Govt. Stock 1998	101.28	36.40	36.40	36.87	101.29	44.55	44.61	45.12	101.14	—	—	—	—
6.	12.50% Loan 2007	103.25	22.90	23.00	23.64	102.78	361.10	362.57	372.84	102.83	—	—	—	—
7.	12.60% Govt. Stock 2000	102.54	—	—	—	—	45.00	45.09	46.14	102.33	—	—	—	—
8.	12.70% Govt. Stock 2001	103.45	—	—	—	—	75.00	75.15	79.59	103.25	—	—	—	—
	Total : (B)		**171.12**	**169.74**	**171.36**	**100.95**	**893.57**	**892.34**	**909.33**	**101.90**	—	—	—	—

Sr. No.	Particulars	Rate@	Face Value	Cost Value inclusive of accrued interest upto 31.3.1994	Value	Original Cost
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(C)	**GOI Bonds**					
1.	Zero Coupons Bonds 1999	53.90	125.00	71.09	67.37	69.36
	Total : (C)		**125.00**	**71.09**	**67.37**	**69.36**

Sr. No.	Due Date	Face Value	Cost	Rate	Yield	Face Value	Cost	Rate	Yield	Face Value	Cost	Rate	Yield
(D)	**GOI 364 Days Treasury Bills**												
1.	29 April 1994	0.84	0.77	90.7654 to 95.0967	10.20% to 10.80%	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	27 May 1994	0.50	0.46	91.1423	10.75%	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	5 August 1994	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.45	90.2269	10.86%
4.	14 October 1994	0.15	0.14	94.9000	9.59%	1.10	1.04	94.90	9.59%	—	—	—	—
5.	28 October 1994	1.59	1.50	94.2070 to 94.2816	9.60% to 9.61%	—	—	—		—	—	—	—
	Total 'D'	**3.08**	**2.87**	**—**	**—**	**1.10**	**1.04**	**—**	**—**	**0.50**	**0.45**	**—**	**—**
	Total 'A'+'B'+'C'+'D'	**1,208.04**	**1,140.14**			**1,322.29**	**1,321.42**			**72.75**	**72.17**		

(Amount in crores of Rupees)

	Depreciation in the value of Investments	**Existing Provision**	**Additional provision made**
1. Deposit Insurance Fund	118.68	161.75	NIL
2. Credit Guarantee Fund	16.89	67.20	NIL
3. General Fund	11.77	16.38	NIL

* Indicative market - rates based on 12% yield to maturity basis @ As per R.B.I. list dated 28 March 1994.

Balance Sheets
&
Accounts

AUDITOR'S REPORT

HABIB & CO.
Chartered Accountants
Patharia Palace,
75, Mohamedali Road,
Bombay - 400 003.

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund & Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation as at March 31, 1994 and also the Revenue Accounts of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report that :

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

ii) the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounts read with the accounting policies and the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner as required and exhibit a true and fair view:

a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the State of Affairs of the Corporation as at March 31, 1994 and,

b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund and General Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For Habib & Company
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner

Place: Bombay
Dated: 24 June 1994.

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18-
Balance Sheet as at the close
1.— DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous Year				Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		LIABILITIES				
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs			Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
8958.00	90749.00	1.	Fund (Balance at the end of the year		8030.00		152073.00
22166.60	—	2.	Surplus Balance (as per Revenue Account Annexed)		12485.33		—
8416.99	6720.21	3	Investment Reserve: Balance at the beginning of the year	16174.88		6720.21	—
7757.89	—		Add: Amount Provided for during the year	—		—	
16174.88	6720.21				16174.88		6720.21
—	178.23	4	Claims intimated and claims admitted but not paid		—		2023.11
1493.23	69968.73	5.	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		811.62		74191.36
82.83	—	6.	Insured deposits remaining unclaimed		82.70		
		7.	Other Liabilities				
2953.55	238.65		i) Sundry Creditors	5284.24		2119.22	
47585.83			ii) Credit Guarantee Fund	85804.95	—	—	—
11694.00	—		iii) Provision for Income-Tax	12081.45		—	
62233.38	238.65				103170.64		2119.22
111108.92	167854.82		Total		140755.17		237126.90

* Market value of Investments is net of adjustments of accrued interest of Rs. 173.41 lakhs on Zero Coupon Bonds.

As per our report of even date attached.
FOR M/s. Habib & Co.
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner
BOMBAY
DATED: 24 June, 1994

(D.R. Mehta)
Chairman

(S.N. Razdan)
Director

(Ms. Mona Sharma)
Director

(S.H. Khan)
Director

(M.K. Sinha)
Director

(S.K. Kapur)
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1994
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous Year							
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		ASSETS	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs			Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
19.69	309.25	1.	Balance with the Reserve Bank of India		2.27		422.79
89,298.57	100511.54	2.	Investments in Central Government Securities (at cost)		113841.09		132141.62
			D.I. Fund Rs. in lakhs / C.G. Fund Rs. in lakhs				
			Face Value 120803.74 / 132229.11				
			Market Value* 102156.35 / 132157.81				
3184.78	3009.98	3.	Interest accrued on investments.		4124.87		4030.03
		4.	Other Assets				
36.25	104.24		i) Outstanding premium, Guarantee fees and excess claims paid due from Banks/Credit Institutions.	306.73		800.19	
8.74	14.27		ii) Outstanding interest on overdue premium & guarantee fee	4.91		145.82	
0.06	—		iii) Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of a bank	0.06		—	
—	47585.83		iv) Deposit Insurance Fund	—		85804.95	
18560.83	16319.71		v) Income-tax deducted at source	22475.24		13252.29	
—	—		vi) Sundry Debtors	—		529.21	
18605.88	64024.05				22786.94		100532.46
111108.92	167854.82		Total		140755.17		237126.90

(U. Mahesh Rao)
Director

(B. Rai)
Director

(N.P. Sarda)
Director

(Gangadhar Gadgil)
Director

(O.P. Arora)
Chief Accountant

(P.W. Rege)
Director

(P.N. Joshi)
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. — DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous Year		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
		To Claims —				
3899.06	62549.57	a) Paid during the year	57.13		88246.04	
	178.23	b) Admitted but not paid	—		2023.11	
		Add:				
1493.23	69968.73	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	811.62		74191.36	
5392.29	132696.53		868.75		164460.51	
		Less:				
5096.62	37711.25	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year Rs. 1493.23 lakhs less excess provision of Rs. 868.98 lakhs written back (per contra)	624.25		69968.73	
295.67	94985.28	Net Claims		244.50		94491.78
7757.89	—	To provision for depreciation in the value of investment		—		—
—	39.01	To loss on sale of investment		—		—
1075.00	—	To provisions and contigencies		—		75.04
8958.00	90749.00	To Balance of fund at the end of the year (as per actuarial valuation)		8030.00		152073.00
14078.16	—	To Net surplus carried down		28925.30		—
32164.72	185773.29	Total		37199.80		246639.82
—	20189.79	To Net Deficit brought down		—		38219.12
20189.79	—	To transfer to Credit Guarantee Fund (per contra)		38219.12		—
—	—	To short provision for Income Tax for Financial year 1992-93		23.75		—
—	—	To short provision for Income Tax for Financial year 1989-90		363.70		—
22166.60	—	To Balance carried to Balance Sheet		12485.33		
42356.39	20139.79	Total		51091.90		38219.12

Note: Previous year's figures have been regrouped wherever considered necessary.

As per our report of even date attached.
FOR M/s. Habib & Co.
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner
BOMBAY
DATED: 24 June, 1994

(D.R. Mehta)
Chairman

(S.N. Razdan)
Director

(Ms. Mona Sharma)
Director

(S.H. Khan)
Director

(M.K. Sinha)
Director

(S.K. Kapur)
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
Year Ended 31 March 1994
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous Year Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs	Previous Year Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs	**INCOME**	Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs	Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs
12246.00	75108.00	By Balance of Fund at the beginning of the year	8958.00	90749.00
10597.06	—	By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premia)	15635.12	—
—	70278.04	By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fees)	—	84608.65
374.94	7049.17	By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/ guarantee claims paid (including interest)	131.57	13473.67
—	—	By excess provision for D.I. claims written back (per contra)	868.98	—
8946.72	13148.29	By Income from investments (Gross)	10783.41	18463.27
		Tax deducted at source: Deposit Insurance Fund (Rs. in lakhs) 2396.65; Credit Guarantee Fund (Rs. in lakhs) 3882.45		
		Previous year: Deposit Insurance Fund (Rs. in lakhs) 1922.28; Credit Guarantee Fund (Rs. in lakhs) 3027.75		
		By Interest on Advance tax/TDS	822.72	1126.11
—	20189.79	By Net Deficit carried down	—	38219.12
32164.72	185773.29	Total	37199.80	246639.82
28278.23	—	By Balance brought forward from last year	22166.60	—
14078.16	—	By Net Surplus brought down	28925.30	—
—	20189.79	By transfer from Deposit Insurance Fund (per contra)	—	38219.12
42356.39	20189.79	Total	51091.90	38219.12

(U. Mahesh Rao)
Director

(B. Rai)
Director

(N.P. Sarda)
Director

(Gangadhar Gadgil)
Director

(O.P. Arora)
Chief Accountant

(P.W. Rege)
Director

(P.N. Joshi)
Director

82272,000
112611000
194883,000

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18
Balance Sheet as at the close
II — GENERAL

Previous Year (Rs. in lakhs)		LIABILITIES	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1.	**CAPITAL**			5,000.00
5,000.00		Provided by the Reserve Bank of India under Sec. 4 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961			
	2.	**RESERVES**			
		A) General Reserve			
1,770.64		Balance at the beginning of the year	1,338.96		
431.68		Less: Deficit transferred from Revenue Account	209.61		
1,338.96		Balance at the end of the year		1,129.35	
		B) Investment Reserve			
1,250.24		Balance at the beginning of the year	1,638.47		
388.23		Add: Amount provided during the year	—		
1,638.47		Balance at the end of the year		1,638.47	
22.51		**C) Capital Reserve**		22.51	
2999.94					2790.33
	3.	**CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**			
466.98		Outstanding expenses	452.94		
0.32		Sundry Creditors	1.03		
223.00		Provision for Income-Tax	223.00		
690.30					676.97
8,690.24		Total			8,467.30

Contigent Liabilities:

Income tax demands (including interest) of Rs. 48.32 crores for the Assessment years 1990-91 and 1991-92 under Appeal.

As per our report of even date attached.
FOR M/s. Habib & Co.
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner
BOMBAY
DATED: 24 June, 1994

(D.R. Mehta)
Chairman

(S.N. Razdan)
Director

(S.H. Khan)
Director

(S.K. Kapur)
General Manager

(Ms. Mona Sharma)
Director

(M.K. Sinha)
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1994
FUND

Previous Year (Rs. in lakhs)		ASSETS	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1.	**CASH**		
0.12		i) In hand	0.13	
4.43		ii) With Reserve Bank of India	28.67	
4.55				28.80
7,586.31	2.	**INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES** (at cost)		7,217.65
		(Rs. in lakhs)		
		Face Value 7,275.49		
		Market Value 6,045.35		
268.38	3.	**INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS**		256.44
	4.	**OTHER ASSETS**		
22.31		a) Furnitures, Fixtures and equipment less depreciation	18.93	
1.40		b) Stock of Stationery	1.37	
2.75		c) Pre-paid Expenses	2.73	
45.69		d) Advances for expenses staff Allowances receivable from Reserve Bank of India & other deposits	47.86	
758.85		e) Income tax deducted at source	889.93	
		f) Amount due from		
—		i) Credit Guarantee Fund	0.11	
—		ii) Deposit Insurance Fund	3.48	
831.00				964.41
8,690.24		Total		8,467.30

However, the same have been adjusted by the Income-Tax Department against the refunds for the other years.

(U. Mahesh Rao)
Director

(B. Rai)
Director

(N.P. Sarda)
Director

(Gangadhar Gadgil)
Director

(O.P. Arora)
Chief Accountant

(P.W. Rege)
Director

(P.N. Joshi)
Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

Form 'B'

Revenue Account for the year ended 31 March 1994

II — GENERAL FUND

Previous Year (Rs. in lakhs)	EXPENDITURE	(Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)	INCOME	(Rs. in lakhs)
715.87	To Salaries and Allowances and Contribution to Staff Provident Fund (including Rs. 0.77 lakh for earlier years)	706.69	754.22	By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs. 177.96 lakhs) (Previous Year Rs. 180.80 lakhs)	718.30
15.63	To Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund (including Rs. 51.78 lakhs for earlier years)	77.50	78.28	By Recoveries in Claims Paid Account in Govt. of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) (Net of adjustments of Rs. 3.00 lakhs for the previous year)	14.01
0.02	To Directors' and Committee Members' Fees	0.02	0.93	By Miscellaneous Receipts	0.97
0.08	To Directors' and Committee Members' Travelling and other Allowances	0.08	—	By Intertest on Advance Tax/Tax Deducted at Source	3.44
81.94	To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc, (including Rs. 5.05 lakhs for earlier years)	90.13	431.68	By Balance being excess of expenditure over income for the year carried down	209.61
10.23	To Establishment, Travelling & Halting Allowances	9.07			
6.64	To Printing & Stationery	8.22			
3.54	To Postage, Telegrams & Telephones	4.55			
0.35	To Auditors' Fees	0.49			
1.62	To Legal Charges	2.69			
36.68	To Miscellaneous Expenses	43.10			
4.28	To Depreciation	3.79			
388.23	To Provision for Depreciation on Investment	—			
—	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down	—			
1,265.11	Total	946.33	1,265.11	Total	946.33
431.68	To Balance B/D	209.61	431.68	By Balance being excess of expenditure over income transferred to General Reserve	209.61
—	To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve	—	—	By Balance B/D	—
431.68	Total	209.61	431.68	Total	209.61

Note: As per practice at Head Office and Madras Office level, ad-hoc provision of Rs. 62.49 lakhs (including Rs. 51.78 lakhs for the earlier years) has been made towards gratuity liability in respect of the staff at the remaining three branches instead of the erstwhile practice at the branches of accounting for the same on payment / incurrence basis. Consequently the charge to revenue account is more by Rs. 62.49 lakhs.

As per our report of even date attached
FOR **M/s. Habib & Co.**
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner
BOMBAY
DATED : 24 June, 1994

(D.R. Mehta) Chairman
(S.N. Razdan) Director
(Ms. Mona Sharma) Director
(U. Mahesh Rao) Director
(N.P. Sarda) Director
(P.W. Rege) Director

(S.H. Khan) Director
(M.K. Sinha) Director
(B. Rai) Director
(Gangadhar Gadgil) Director
(P.N. Joshi) Director

(S.K. Kapoor)
General Manager

(O.P. Arora)
Chief Accountant

Significant Accounting Policies

1. General

The financial statements are prepared by following going concern concept and on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country.

2. Recognition of Income & Expenditure

i) Items of income & expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Receipts towards deposit insurance premia and guarantee fees are generally appropriated as revenue income on receipt of relevant statements of deposits and guaranteed advances, and in cases where such statements are not received till the finalisation of accounts, ad-hoc payments, if any, made by the participating credit institutions are recognised as income, if considered adequate when compared with the previous years' records. Un-adjusted amounts are carried forward under the head 'Sundry Creditors'

iii) Unrealised amount of deposit insurance premia and guarantee fee is not recognised as income, unless the relevant statements are received from the participating credit institutions.

iv) Penal interest for delay in payment of guarantee fee and insurance premia is accounted as income upto the date of last such payment by the credit institutions and interest on outstanding amount of premia/guarantee fee is not recognised as income.

v) The recovery (including penal interest) by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid is accounted in the year in which it is received. Likewise, recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realised/adjusted.

vi) Interest on investments is accounted on accrual basis.

vii) Provision for year end liability in respect of claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is made on prudential basis taking into consideration the past trends.

viii) Adequate provision is made on the basis of actuarial valuation of the liability towards fund balances as at the end of the year in respect of Credit Guarantee Fund & Deposit Insurance Fund.

ix) The claims for refund of guarantee fees and of repayments against claims settled are accounted for on such refund claims being admitted by the Corporation. The year end liability towards such refund claims (including cases falling under Agricultural Rural Debt Relief Scheme, 1990) and its impact on the actuarial valuation of fund balances as at the close of the year remain undetermined.

x) Claims for reimbursement from RBI against certain establishment expenses, such as, leave salary etc. are accounted on realisation basis.

3. Investments

i) Investments are valued at cost or market value, whichever is lower. For the purpose of valuation, RBI purchase rates where available have been adopted as market rates and in other cases securities have been valued at indicative market rates based on 12% yield to maturity tables.

ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed proforma of statement of accounts.

iii) The difference between acquisition cost and redemption value of zero coupon bonds is recognised as income on accrual basis proportionately in each financial year over the term of bonds.

iv) Inter Fund transfer of securities is made at cost price.

4. Fixed Assets

i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.

ii) Depreciation is provided on the written down value basis at the rates indicated in the Banking Department manual of RBI.

5. Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)

As per arrangements arrived at with the Government, from time to time part of recoveries effected towards subrogation rights in respect of claims paid under the Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI (Old) is being accounted for in the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961 towards cost of establishment expenditure for managing the residual work of the said scheme.

6. Employees' Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India since all the staff of the Corporation is on deputation from the Reserve Bank of India.

7. Prior Period Income/Expenditure

Income and expenditure over Rs. 25,000/- in each case pertaining to prior period items arising in current period on account of errors and omissions are considered as prior period credits/debits.

****

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION:

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and conseqent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hestitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME:

Institutional coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 87 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that banks upto a monetary ceiling of Rs. 1,00,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium. The premium at the rate of 5 paise per annum per hundred rupees is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue premium.

Payment of Insurance Claims

5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 1,00,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another banks and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle

the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 1,00,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected by if from out of the assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

CREDIT GUARANTEE SCHEMES:

Extension of guarantee support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, were intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising to of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of credit guarantee functions relating to small scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987, the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation till end March 1992 were as indicated below :

(i) Small Loans Guarantee Scheme 1971
(ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
(iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
(iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
(v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
(vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 With the termination of the schemes at (ii), (iii) & (v) above with effect from 1 April 1992, the Corporation presently operates the following three schemes:

i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans.

ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from

1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

iii) The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business entreprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act, 1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee:

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the priority sector advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 2.50 per cent per annum for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only. The Regional Rural Banks are however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e, @ 1.25 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Scheme. The guarantee fee rate for two other schemes viz Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme 1981, is 1.50 per cent per annum. The fee is required to be paid regularly and in advance on an annual basis in order to keep the guarantee in force. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue guarantee fee.

GUARANTEE COVER - KEY CHARACTERISTICS

Automatic Bulk Coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursal without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to "Priority Sector" borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. Five conditions have to be compiled with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) minimum period of 3 years has elapsed after grant of an eligible advance; (ii) the guarantee fee has been paid on the entire priority sector advances outstanding as and when it became due; (iii) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (iv) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (v) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would

expect the credit institution to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 50% of the 'amount in default' subject to certain absolute limiits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Since 22 February 1994, credit institutions have been delegated powers to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action compromise and scaling down of dues and write-off and they are not required to obtain the Corporation's prior approval. The proposals involving staff accountability frauds, misappropriation etc., have, however, to be referred to the Corporation for its prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

****

ANNEXURE
CREDIT GUARANTEE SCHEMES - SALIENT FEATURES

Schemes	Eligible participants	Category of Borrowers	Guarantee fee	Guarantee cover
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A) SMALL BORROWERS				
I) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	Commercial Banks (including Regional Rural Banks)	**(i) Transport Operators**	2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	50% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower.
		(ii) Retail Traders	—do—	50% of the amount in detault or Rs. 25,000/- whichever is lower.
		(iii) Professional & self employed persons & Business Enterprises	—do—	50% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower.
		(iv) Farmers & Agriculturists — Direct Finance		
		1) For raisng crops	—do—	50% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower.
		2) For developmental activities	—do—	50% of the amount in default or Rs. 20,000/- whichever is lower.
		3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	—do—	50% of the amount in default or Rs, 30,000/- (i.e., Rs. 10,000x3) whichever is lower.
		4) For allied activities		
		i) Pisciculture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		(With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity)		

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(v) Indirect Finance to agriculture (As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981)	2.5% p.a. uniformity to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution.
		(vi) Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.	—do—	50% of the amount in default.
		(vii) State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned of State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and support of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution.)
		(viii) Housing-Direct Finance (a) Loans upto Rs. 2 lakhs for construction a houses granted to all categories of borrowers	—do—	50% of the amount in default.
		(b) Loans upto Rs. 25,000/- for repairs to damaged houses granted to all categories of borrowers		
		(ix) Housing Indirect Finance i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing house exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs. 2 lakhs per housing unit.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution).
		ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers where loan component does not exceed Rs. 2 lakhs per housing unit.	—do—	—do—
		(x) Consumption Pure consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme.	—do—	50% of the amount in default.

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II) Small Loans (Co-operative Banks Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-operative Banks	I) Transport Operators	1.5% p.a. uniformly to be calculated on oustanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower.
		II) Retail Traders	—do—	50% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower.
		iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed perosns	—do—	50% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower.
		iv) Educational Loans	—do—	50% of the amount in default.
		v) Consumption Loans to Individuals upt Rs. 500/-	—do—	—do—
		vi) Housing Loans not exceeding Rs. 25,000/- to		
		a) Individuals	—do—	50% of the amount in default.
		b) Government Agency	—do—	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constitutions/institution.
		vii) Activities allied Agriculture		
		i) Pisciculture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	—do—	50% of the amount of default or Rs. 18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	—do—	50% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower.
		(With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity)		

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B) SMALL SCALE INDUSTRIES				
Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981)	Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies	i) Small Scale Industrial Units (in1luding ancilliary units) to whom credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constitutent in the aggregate extended.	1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs. 20 lakhs (approtioned) separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for terms loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		ii) Small Scale industrial units in backward areas with credit facilities without any limit.	—do—	—do—
		iii) Small Scale Industrial units (including ancialliary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs. 2.00 lakhs.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 20 lakh (apportioned separately and equally viz Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		Indirect Finance to SSI i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries.	—do—	(a) 50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding for 2 lakhs per borrowring constituent in the aggregate.
		ii) Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee)	—do—	—do—
		iii) Loans for construction and running of cold storage.	—do—	50% (as stated above) of the amount in default or Rs. 20 lakhs (Rs. 10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower.
		iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisation who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. * and undertake work from farmers on contract basis.	—do—	—do—
		v) Industrial Estates Loans for setting industrial estate	—do—	—do—

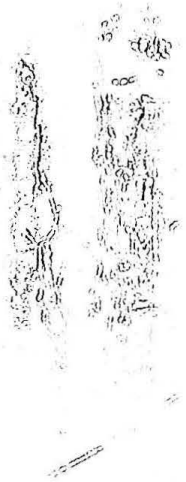

Printed at Karnatak Orion Press, Bombay-400 001. Tel.: 204 8843/204 4578